संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

जनवरी 2021

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1

भौगोलिक घटनाक्रम 7

विसुवियस के ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य 7

पूर्वोत्तर मानसून और ला-नीना 8

शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, 2020 8

त्रिस्तान दा कून्हा (Tristan Da Cunha) 9

टाइफून गोनी 9

इतिहास, कला एवं संस्कृति 10

सरना धार्मिक कोड की बढ़ती मांग 10

महारानी जिंद कौर 11

चार-चपोरी क्षेत्र 11

सर छोटू राम जी 12

लचित बोरफूकन 12

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 13

यू.ए.ई. में इस्लामिक कानूनों में सुधार 13

आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य नया शांति समझौता 14

इथोपिया में नृजातीय संकट और गृहयुद्ध 16

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय 18

यू.ए.ई. का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम 19

फाइव आइज़ (Five Eyes) 19

पारस्परिक पहुँच समझौता (Reciprocal Access Agreement) 20

भारत एवं विश्व 21

हिंद-प्रशांत क्षेत्र : एक सामरिक विश्लेषण 21

अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी 23

आर.सी.ई.पी. तथा भारत के निर्णय के निहितार्थ 24

भारत और बहरीन के मध्य समझौता 26
भारत और विभिन्न देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 28
भारत द्वारा अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास
परियोजनाओं के चरण-IV का शुभारम्भ 29
सिटमैक्स-20 (SITMEX-20) 29
मिशन सागर-II 30
जी-20 का 15वाँ शिखर सम्मेलन 30

राजव्यवस्था एवं गवर्नेंस 31

विशेष विवाह अधिनियम : प्रमुख विशेषताएँ तथा चुनौतियाँ 31
कार्य का अधिकार : प्रासंगिकता 32
सी.बी.आई. जाँच के लिये दी जाने वाली सामान्य सहमति 33
जम्मू-कश्मीर और रोशनी अधिनियम 35
न्यायाधीशों का स्वयं को मामलों से अलग करना 36
दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर जी.एस.टी. 37
चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस कॉर्नर 38
अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union) 39
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) 39
न्याय कौशल (Nyay Kaushal) 40
आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना 40

स्वास्थ्य 41

फूड फोर्टिफिकेशन तथा इससे सम्बंधित पहलू 41
नारकोटिक्स मामले में स्वीकारोक्ति पर उच्चतम न्यायालय का आदेश 42
रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता 44
बल्क ड्रग पार्क 46
कोरोनो वायरस में D614G उत्परिवर्तन 48
सामुदायिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग 49
कावासाकी रोग 49
राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 49
चापरे वायरस 50

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3

कृषि एवं अर्थव्यवस्था....51

किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी चिंताएँ....51

कृषक उपज, व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, 2020....53

बायो-डीकम्पोज़र तकनीक : वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास....55

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक घरानों के प्रवेश की सिफारिश : सम्बंधित चिंताएँ....56

लक्ष्मी विलास बैंक के डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी....57

भारत के लिये अनुकरणीय वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल....58

विद्युत तक पहुँच एवं उपयोगिता मानक रिपोर्ट....60

देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण (कन्वर्जेंस) परियोजना 62

कोयला उद्योग का घटता वित्तपोषण....63

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 65

डिजिटल मीडिया में एफ.डी.आई. नीति के अनुपालन सम्बंधी निर्देश 66

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम....67

क्रय प्रबंधक सूचकांक....68

डिपॉज़िटरी रसीद 68

री-इंवेस्ट 2020....69

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना....70

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020....70

निगेटिव-यील्ड बॉन्ड (Negative-Yield Bonds)....71

माइक्रो इरीगेशन फंड....71

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर....72

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 73

राष्ट्रीय राजधानी और सम्बद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग....73

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : चुनौतियाँ तथा समाधान....74

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : समस्याएँ, वर्तमान प्रयास तथा सुझाव....76

जुगनू : स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक....78

भारत में दुर्लभ तितलियों की मौजूदगी....79

नए रामसर स्थल....80

मियावाकी वन 81
एन.टी.पी.सी. की नई हरित पहल..82
गिद्ध संरक्षण हेतु कार्य योजना 2020-2025 83
पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व...84
ब्राउन कार्बन टारबॉल 84
ग्रेट बैरियर रीफ 85
हरित पटाखे 85

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा 87

तटीय नौवहन विधयेक, 2020 का मसौदा 87
सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र 88
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति..89
भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव...90
भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र...90

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 91

चीन द्वारा माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग...91
भारत का डीप ओशन मिशन...92
स्वदेशी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम (ERS) की स्वदेशी तकनीक......................................94
विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2020 के विकास हेतु परामर्श बैठक.......................95
विलवणीकरण संयंत्र...96
फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का विकास...97
पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह (EOS-01) 99
स्टारलिंक...101
चंद्र अन्वेंषण यान : 'चांग ई-5' 102
वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व..103
डिस्पोज़ेबल पेपर कप सम्बंधी चिंताएँ...104
ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग..104
वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप 105
थर्टी-मीटर टेलिस्कोप (TMT) प्रोजेक्ट..105
6 G प्रायोगिक उपग्रह...106

विविध..107

जल जीवन मिशन..107

मानव शरीर का 'सामान्य' तापमान और विसंगति..107

मानसर झील विकास योजना..109

विश्व आर्थिक मंच के स्मार्ट सिटी रोडमैप में 4 भारतीय शहर शामिल..109

आई.सी.सी. द्वारा खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु का निर्धारण..110

इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल..111

ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत हवाई परिवहन में छूट 111

सीमा शुल्क आँकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय..112

लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I 113

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2020 113

आर्मी एविएशन कोर (Army Aviation Corps)..114

भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारम्भ 114

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल..115

न्याय बंधु ऐप का आई.ओ.एस. संस्करण..116

भारतीय खेल प्राधिकरण..116

महिलाओं के लिये जर्मनी का नया बोर्डरूम कोटा..117

भू-प्रबंधन प्रणाली (LMS)..117

महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार संग्रह..118

कोविड महामारी के बाद भारत की तैयारी..118

कोविड काल में देश की मौद्रिक नीति..119

आत्मनिर्भरता की ओर भारत..119

कृषि: अर्थव्यवस्था की तारणहार..121

रोज़गार के लिये संकल्प..123

पर्यावरण अनुकूल सड़कें और राजमार्ग..124

स्वामित्व योजना..126

जल संचय: पहलें और भविष्य की संरचनाएँ..127

नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रभाव और प्रगति..129

महिलाओं के लिये स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार..133

तथ्य: एक नज़र में..136

1

भौगोलिक घटनाक्रम

विसुवियस के ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, इटली के संस्कृति मंत्रालय ने 79 ई. में हुए माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट के समय के दो पुरुषों के पूर्णता संरक्षित अवशेषों के पाए जाने की जानकारी दी है।

79 ई. का ज्वालामुखी उद्गार

- 79 ई. में विसुवियस के विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट से रोमन साम्राज्य के जुड़वाँ शहर पोम्पेई तथा हरकुलेनियम नष्ट हो गए थे और इसमें लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- ज्वालामुखी का मलबा पोम्पेई शहर की ओर बहने तथा बाद में पायरो क्लास्टिक सर्ज के कारण स्थिति अधिक भयावह हो गई थी।
- पोम्पेई विसुवियस से 8 किमी. दूर स्थित है, जो रोम के कुलीन नागरिकों के लिये नेपल्स की खाड़ी पर स्थित एक रिसोर्ट शहर के रूप में जाना जाता है।

पुरातात्विक उत्खनन

- माना जा रहा है कि प्राप्त अवशेष 30 से 40 वर्ष की आयु के एक कुलीन व्यक्ति और उसके गुलाम के हैं। पुरातत्वविदों ने उनके दांतों और हड्डियों को संरक्षित किया है।
- साथ ही, कोमल ऊतकों के विघटन से रिक्त हुए स्थान को कास्टिंग विधि का उपयोग करके प्लास्टर द्वारा अच्छी तरह से भरा गया है। इससे उनके शरीर की रूपरेखा को देखना सम्भव हो सका है।
- इससे पूर्व वर्ष 1750 के आस-पास बोरबॉन के राजा चार्ल्स तृतीय के आदेश पर इस शहर में अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस दौरान कई कलाकृतियाँ और अन्य दिलचस्प वस्तुएँ प्राप्त हुईं। ये सभी वस्तुएँ राख की परतों के नीचे पूर्णता संरक्षित थी।
- इसके अतिरिक्त, सौ से भी अधिक प्राप्त पुतलों को संरक्षित किया गया है। ये सभी साक्ष्य दो सहस्राब्दी पूर्व रोमन शहर में जानकारी देने में सहायक हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

पायरोक्लास्टिक सर्ज

- 'पाइरोक्लास्टिक सर्ज या प्रवाह' ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलने वाली गैस और चट्टान के टुकड़ों का मिश्रण (गर्म लावा, ब्लॉक, प्यूमिस, राख व ज्वालामुखी गैस का मिश्रण) है, जिसे 'डाइल्यूट पाइरोक्लास्टिक डेंसिटी करंट' के रूप में भी जाना जाता है।

माउंट विसुवियस

- विसुवियस दक्षिणी इटली में तटीय शहर नेपल्स के पास यूरोप की मुख्य भूमि पर स्थित है। वर्तमान में इसे भूगोलवेत्ताओं द्वारा सुषुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcanoes) की श्रेणी में रखा गया है, परंतु भविष्य में इसके सक्रिय होने की सम्भावना भी व्यक्त की गई है।
- विसुवियस को कम्पाउंड वॉल्केनो कहा जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक छिद्र होते हैं। विसुवियस में आमतौर पर तीव्र विस्फोटक उद्गार और पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है।
- इसमें 50 से भी अधिक बार विस्फोट हो चुका है और यह नेपल्स तथा आसपास के शहरों से निकटता के कारण विश्व के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।

पूर्वोत्तर मानसून और ला-नीना

- भारत के मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ला-नीना के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आई है। ला-नीना की स्थिति में दक्षिण-पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा पर सकारात्मक, जबकि पूर्वोत्तर मानसून से होने वाली वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ला-नीना के कारण चक्रवात तंत्र तथा निम्न दाब क्षेत्र की स्थिति अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में बनी रहती है। जिसके कारण पूर्वोत्तर मानसून पश्चिम की ओर बढ़ने की बजाए उत्तरी क्षेत्र में ही पुनरावृत्ति करता रहता है, इसलिये तमिलनाडु जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है।
- गौरतलब है की भारत में वर्षा मुख्यतया दो मौसमों के दौरान होती है। देश में वार्षिक वर्षा का लगभग 75% हिस्सा जून और सितम्बर के मध्य दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, जबकि पूर्वोत्तर मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, दक्षिणी प्रायद्वीप तक ही सीमित रहता है। इसके द्वारा अक्तूबर से दिसम्बर माह के बीच तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है।
- मध्य अक्तूबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के निवर्तन के बाद वायु तेज़ी से दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। तमिलनाडु अपनी वार्षिक वर्षा का 48% इन महीनों के दौरान ही प्राप्त करता है। पूर्वोत्तर मानसूनी वर्षा लगभग पूरे दक्षिण भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है और यह राज्य में कृषि गतिविधियों और जलाशय प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर मानसून के द्वारा अक्तूबर से दिसम्बर के मध्य कुछ दक्षिण एशियाई देशों, जैसे- मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार में भी वर्षा होती है।

ला-नीना का प्रभाव

- ला-नीना के कारण पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 3 से 5°C तक कम हो जाता है तथा समुद्र से ठंडी पवनें चलती हैं जिसके कारण वैश्विक तापमान में कमी आती है। जबकि एल-नीनो के कारण समुद्र का तापमान 2 से 4°C तक बढ़ जाता है तथा गर्म पवनें चलती हैं। ला-नीना का प्रभाव एल-नीनो के विपरीत होता है इसलिए इसे प्रति एल-नीनो भी कहा जाता है।
- ध्यातव्य है कि ला-नीना तथा एल-नीनो मध्य व पूर्वी प्रशांत महासागर में घटने वाली घटनाएँ हैं, जो वृहत स्तर पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारत में ला-नीनो के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि एल-नीनो के कारण यहाँ सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, 2020

प्रमुख बिंदु

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 नवम्बर, 2020 को 13वें 'शहरी गतिशीलता भारत' (UMI) सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय 'इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी' अर्थात 'शहरी गतिशीलता का उभरता रूझान' है।
- इसका मुख्य लक्ष्य जनता को उसकी पहुँच के भीतर एवं सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों तथा उनसे निपटने के लिये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम उपाय करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- अभी तक इस तरह के 12 सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं। इन सम्मेलनों में भागीदारी से राज्य सरकारों, शहरी प्रशासनों और अन्य भागीदारों को काफी लाभ हुआ है।
- इस सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2008 में 'अर्बन मोबिलिटी' विषय के साथ हुई थी। वर्ष 2019 में इसके 12वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में 'सुलभ और रहने योग्य शहर' विषय के साथ हुआ था।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006

- भारतीय शहरों को तेज़ी से बदलती गतिशीलता से सम्बंधित जरूरतों के अनुसार बदलने तथा परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006' को प्रस्तुत किया गया।
- इस नीति का उद्देश्य भारतीय शहरों में बढ़ती आबादी, नौकरियों, शिक्षा, मनोरंजन और ऐसी अन्य सभी जरूरतों के लिये सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ पहुँच उपलब्ध कराना है।
- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में अर्बन मोबिलिटी इंडिया पर एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसे आम तौर पर यू.एम.आई. के रूप में जाना जाता है।

त्रिस्तान दा कून्हा (TRISTAN DA CUNHA)

- हाल ही में, ब्रिटेन के पारसमुद्रीय क्षेत्र, त्रिस्तान दा कून्हा द्वीपसमूह (पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ द्वीप) के प्रशासन द्वारा आसपास के कुछ महासागरीय क्षेत्र में मछली पकड़ने एवं अन्य निष्कर्षण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
- इस क्षेत्र में शामिल चार मुख्य द्वीपों में त्रिस्तान दा कून्हा सबसे बड़ा द्वीप है, जो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे डचों द्वारा वर्ष 1643 में खोजा गया तथा ब्रिटेन द्वारा वर्ष 1816 में इस पर अधिकार कर इस क्षेत्र में पहली स्थाई बस्ती की स्थापना की गई।
- यह द्वीप लुप्तप्राय रॉकहॉपर पेंगुइन, पीले-नाक वाले अल्बाट्रॉस और अन्य वन्यजीवों को समुद्री संरक्षण प्रदान करता है। इस द्वीप के आसपास का जल इन गम्भीर रूप से लुप्तप्राय समुद्री जीवों के लिये फीडिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। इसका आकार यूनाइटेड किंगडम का तीन गुना है। यह अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा "नो-टेक जोन" होगा।
- यह संरक्षित क्षेत्र यू.के. के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जो देश के विदेशी क्षेत्रों में समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा अब तक 11.1 मिलियन वर्ग किमी. समुद्री पर्यावरण (दुनिया के महासागरों का 1% क्षेत्र) को संरक्षित किया गया है।

टाइफून गोनी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, टाइफून गोनी (रॉली) फिलीपींस के पूर्वी हिस्से से टकराया। इस वर्ष फिलीपींस से टकराने वाला यह 18वाँ टाइफून है।
- इस टाइफून ने उच्च जोखिम वाले ढाँचों को नुकसान पहुँचाने और घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ केले व नारियल के बागान तथा चावल व मकई की फसलों को भी नुकसान पहुँचाया है।
- ऐसे तूफानों के उत्पन्न होने वाले स्थानों के आधार पर भिन्न-भिन्न नाम होते हैं परंतु इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
- अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन तथा उत्तर-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊष्ण और आर्द्र वायु जैसे कारकों से उत्पन्न होते हैं और इसलिये यह अधिकतर भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल पर विकसित होते हैं।

2 इतिहास, कला एवं संस्कृति

सरना धार्मिक कोड की बढ़ती मांग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, झारखंड सरकार ने सरना धर्म को मान्यता देने और वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिये केंद्र को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा झारखंड और अन्य जगहों पर इस मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुई।

सरना धर्म

- सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति के उपासक होते हैं। 'जल, जंगल और ज़मीन' इनकी आस्था का केंद्र-बिंदु व मूल तत्त्व हैं। इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और हुए पेड़ों व पहाड़ियों की प्रार्थना करते हैं।
- झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं, जिनमें से 8 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) से हैं।
- इसमें से कई लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं जबकि कुछ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों के अनुसार 'धार्मिक पहचान को बचाने' के लिये एक अलग कोड की मांग का यह एक प्रमुख कारण है।
- ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में लगभग 50 लाख आदिवासियों ने वर्ष 2011 की जनगणना में अपने धर्म को 'सरना' के रूप में रेखांकित किया है, यद्यपि उस जनगणना में इसे एक कोड के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

सम्बंधित मुद्दे

- इस कोड का पालन करने वाले कई आदिवासी बाद में ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। झारखंड में 4% से अधिक ईसाई रहते हैं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।
- सरना कोड का पालन करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि परिवर्तित आदिवासी अल्पसंख्यक के रूप में आरक्षण का लाभ लेने के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त अन्य लाभों का भी फायदा उठा रहे हैं।
- साथ ही उनका यह भी मानना है कि यह लाभ ऐसे लोगों को मिलना चाहिये जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया है, को। सरना कोड के अनुयाइयों और नेताओं ने आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की रणनीति का विरोध किया है।
- वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने भी धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया जिससे उनके बीच में विभाजन और गहरा हो गया।

झारखंड सरकार का पक्ष

- सरकार के अनुसार राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 38.3% से घटकर वर्ष 2011 में 26.02% हो गई है।
- इसका एक कारण जनगणना में दर्ज न किये जाने वाले आदिवासी थे जो विभिन्न राज्यों में रोज़गार के लिये जाते हैं और अन्य राज्यों में उनकी गणना आदिवासियों के रूप में नहीं की जाती है। अलग कोड से उनकी जनसंख्या का रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- साथ ही, उनकी घटती संख्या उनको प्रदान किये गए संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करती है और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को प्राप्त अधिकारों का लाभ उनको नहीं मिल पाता है।

निष्कर्ष

- आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास व विरासत का संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। वर्ष 1871 से 1951 के बीच आदिवासियों का एक अलग कोड था। हालाँकि, इसे वर्ष 1961-62 के आसपास बदल दिया गया था।
- विशेषज्ञों का कहना है कि जब आज पूरे विश्व में प्रदूषण को कम करने व पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, तो समझदारी यह है कि सरना कोड को एक धार्मिक संहिता (कोड) बना दिया जाए क्योंकि इस धर्म की आत्मा प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना ही है।

महारानी जिंद कौर

चर्चा में

हाल ही में, लंदन में रखे हुए कुछ आभूषणों की नीलामी के चलते महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी महारानी जिंद कौर चर्चा में थीं।

महारानी जिंद कौर (1817-1863)

- महारानी जिंद कौर सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी तथा साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह की माँ थीं।
- दिलीप सिंह पाँच वर्ष के थे, जब वर्ष 1843 में रणजीत सिंह के दो उत्तराधिकारियों की मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन पर बिठाया गया था। चूँकि उस वक्त दिलीप सिंह बच्चे थे, अतः महारानी जिंद को राजप्रतिनिधि बनाया गया था।
- जिंद कौर रबर स्टैम्प नहीं थीं, उन्होंने राजस्व प्रणाली में बदलाव की शुरुआत करते हुए राज्य चलाने में सक्रिय रुचि ली।
- ध्यातव्य है कि महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे इनके साम्राज्य की सीमाएँ काबुल से कश्मीर और दिल्ली की सीमाओं तक फैली थीं।

आंग्ल-सिख युद्ध और जिंद कौर

- अंग्रेजों ने दिसम्बर, 1845 में सिख साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा की। पहले आंग्ल-सिख युद्ध में अपनी जीत के बाद, उन्होंने दिलीप सिंह को शासक के रूप में बनाए रखा, लेकिन जिंद कौर को कैद कर लिया।
- जिंद कौर वहाँ से बच कर 29 अप्रैल, 1849 को काठमांडू पहुँची, जहाँ उन्हें वहाँ के प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने शरण दी।
- उन्हें भागमती नदी के किनारे एक घर दिया गया था। वह वर्ष 1860 तक नेपाल में रहीं, जहाँ उन्होंने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में विद्रोहियों तक अपनी पहुँच बनाए रखी।
- वर्ष 1861 में महारानी जिंद कौर अपने बेटे से मिलने इंग्लैंड गयीं थीं। 46 वर्ष की आयु में 1 अगस्त, 1863 को लंदन में इनका देहांत हो गया।

चार-चपोरी क्षेत्र

- हाल ही में, असम के चार-चपोरी क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और विरासत को दर्शाने हेतु प्रस्तावित मियां संग्रहालय को श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर में शामिल करने को लेकर विवाद बढ़ गया है।
- वस्तुतः असम के कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र के लोगों की कोई पृथक संस्कृति व पहचान नहीं है बल्कि इनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेश से पलायन करके आए थे, अतः श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र (जो असमिया संस्कृति का प्रतीक है) में इनको एक पृथक पहचान देने से विकृति उत्पन्न हो सकती है।

- 'चार' ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता हुआ द्वीप है, जबकि 'चपोरी' बाढ़-सम्भावित निचले नदी-तटों पर स्थित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के कारण ये दोनों क्षेत्र अपना आकार परस्पर एक-दूसरे में बदलते रहते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को मिट्टी के कटाव, बाढ़, अशिक्षा, अवैध-प्रवसन, उच्च जनसंख्या वृद्धि और उनके विरुद्ध घृणित अपराध सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी आबादी का 80% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है।
- इन्हें बंगाली मूल के मुस्लिमों जिन्हें 'मियां' के नाम से जाना जाता है, के द्वारा बसाया गया है। इन पर मुख्यत: बंगाली मूल के मुसलमानों का कब्जा है, लेकिन अन्य समुदायों जैसे मिसिंग, देओरिस, कोचरिस तथा नेपाली भी यहाँ निवास करते हैं।
- इस समुदाय का पलायन वर्ष 1826 में असम की ब्रिटिश उद्घोषणा के साथ शुरू हुआ जो वर्ष 1971 के विभाजन तथा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध तक जारी रहा, जिससे इस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ।

सर छोटू राम जी

- जाट समुदाय से सम्बंधित सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवम्बर, 1881 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रोहतक में हुआ था। इनका वास्तविक नाम राय रिछपाल था।
- वे स्वतंत्रता पूर्व भारत के एक प्रमुख राजनेता व विचारक थे। इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिये तथा गरीबों के हित में विशेष कार्य किया, जिसके लिये इन्हें वर्ष 1937 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई।
- वर्ष 1915 में चौधरी छोटूराम जी ने 'जाट गजट' नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है। 'ठग बाजार की सैर' और 'बेचारा किसान' इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध लेख हैं।
- इन्होंने आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और पंजाब के पूर्वी भाग में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिये बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान का नेतृत्व किया।
- अगस्त, 1920 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। वे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक थे।
- नारायण सिंह तेहलान द्वारा लिखित पुस्तक 'दीनबंधु का सफरनामा' इनके जीवन पर आधारित है।

लचित बोरफूकन

- 24 नवम्बर, 1622 को जन्मे लचित बोरफूकन का पूरा नाम चाउ लचित फुकनलुंग था। वे अहोम साम्राज्य के एक सेनापति और बोरफूकन थे। इनको सन् 1671 में हुई सराईघाट की लड़ाई में मुगल सेनाओं के विरुद्ध नेतृत्व-क्षमता के लिये जाना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि बोरफूकन अहोम राज्य के पाँच पात्र मंत्रियों में से एक थे। इस पद का सृजन अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने किया था।
- लचित बोरफुकन की वीरता और सराईघाट के युद्ध में असमिया सेना की जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 नवम्बर को असम में लचित दिवस (लच्छित दिवस) मनाया जाता है।

3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

यू.ए.ई. में इस्लामिक कानूनों में सुधार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बंधित कानूनों में सुधार की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सुधारों की वजह से कठोर इस्लामी कानूनों में सुधार होगा।
- इन सुधारों में ऑनर किलिंग, शराबबंदी, अविवाहित जोड़ों के लिव-इन में रहने, तलाक और उत्तराधिकार से सम्बंधित कानूनों में हुए बदलाव शामिल हैं।

कानूनों में निम्नलिखित सुधार किये गए हैं :

ऑनर किलिंग और महिलाओं का उत्पीड़न

- पूर्व के कानूनों के अनुसार 'ऑनर किलिंग' के लिये ज़िम्मेदार पुरुष मुकदमे से बच जाते थे या उनको न्यूनतम स्तर की सज़ा ही मिलती थी।
- लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी महिला का अन्य पुरुष के साथ भाग जाना या प्यार करना धार्मिक ग्रंथों तथा धर्म की अवज्ञा या अवहेलना करना है, ऐसे में महिलाओं के साथ मारपीट करना बहुत सामान्य था। नए कानून के अनुसार ऐसी घटनाओं को अब किसी शारीरिक हमले के समान ही अपराध माना जाएगा।
- कानूनों में सुधार से सम्बंधित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए कानून में महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के लिये कठोर दंड निर्धारित भी किये जाएंगे, इसमें किसी महिला का पीछा करना या सड़क पर उसे छेड़ना भी शामिल है। नए सुधारों में पुरुषों के उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की भी बात की गई है।
- नाबालिग या किसी भी उम्र की महिला के साथ बलात्कार के जुर्म पर फाँसी का प्रवधान जारी रहेगा।

शराब का सेवन

- 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिये शराब पीने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अधिकृत क्षेत्रों में लाइसेंस के बिना मादक पेय रखने या बेचने वाले दंड को हटा दिया गया है।
- इससे पहले भी, खाड़ी देशों में शराब से सम्बंधित मुकदमे सामान्यत: दर्ज नहीं होते थे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य अपराध के लिये हिरासत में लिये जाने पर यह पता चलता था कि वह बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा था तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता था। नए सुधारों के तहत यह अतिरिक्त मुकदमा नहीं किया जाएगा। यद्यपि नाबालिग बच्चों के लिये शराब पीना आगे भी दंडनीय अपराध रहेगा।

अविवाहित जोड़े लिव-इन में रह सकते हैं

- अविवाहित जोड़ों के लिव-इन में रहने को पहली बार वैध घोषित किया गया है, पहले यह अवैध था। यद्यपि इस श्रेणी में अभियोग या मुकदमे बहुत कम होते थे।
- देश में बाहर से आकर बसने वाले लोगों (विशेषकर युवाओं) के लिये यहाँ रहना अधिक सुगम बनाने के लिये कानून में यह बदलाव ज़रूरी था।

तलाक और उत्तराधिकार

- एक और बड़े बदलाव के रूप में ऐसे विवाहिक जोड़ों, जिन्होंने विवाह तो अपने गृह देश में किया था लेकिन तलाक यू.ए.ई. में लेना चाहते हैं, के तलाक के लिये अब यू.ए.ई. में उस देश का कानून वैध होगा, जिस देश के कानून के हिसाब से उनका विवाह हुआ था।

- पूर्व में, उत्तराधिकार के सम्बंध में स्थानीय अदालतों को परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति का विभाजन करने के लिये यू.ए.ई. के शरिया कानून को लागू करने का अधिकार था। किंतु, नागरिकता कानून यह निर्धारित करेगा कि सम्पत्ति का विभाजन किस प्रकार किया जाए, विशेषकर जब किसी व्यक्ति द्वारा लिखित वसीयत नहीं दी गई हो।
- हालाँकि, यू.ए.ई. में खरीदी गई सम्पत्ति के लिये शरिया कानून पूर्वानुसार ही लागू होंगे।

आत्महत्या

- नए सुधारों के अनुसार, आत्महत्या करना या आत्महत्या की कोशिश करने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, पहले आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता था।
- अब इसे न सिर्फ अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है बल्कि अब अदालत और पुलिस को इस प्रकार के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध करानी होगी।
- यद्यपि आत्महत्या के प्रयास में किसी व्यक्ति की सहायता करना, अभी भी अपराध ही माना जाएगा और इसके लिये दोषी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिये कारावास की सज़ा दी जा सकती है।

उपर्युक्त सुधारों के अतिरिक्त अदालतों द्वारा प्रतिवादियों और गवाहों के लिय द्विभाषियों की व्यवस्था करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, विशेषकर उन लोगों के लिये जो अरबी नहीं जानते हैं।

साथ ही, देश के गोपनीयता कानून को मज़बूत बनाते हुए अब किसी भी कथित अपराध से सम्बंधित साक्ष्यों को संरक्षित किया जाएगा और इनका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकेगा।

आगे की राह

इस्लामी देशों में शरिया कानून की कठोरता और कई बार उनके अमानवीय होने की बहस अक्सर उठती रहती है, ऐसे में यू.ए.ई. द्वार किये गए वर्तमान सुधार निश्चित रूप से स्वागतयोग्य हैं। इन सुधारों से न सिर्फ यू.ए.ई. की वैश्विक छवि में सुधार होगा बल्कि भविष्य में वहाँ आकर बसने वाले लोगों के लिये कानूनी अड़चनें भी कम होंगीं।

आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य नया शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य नया शांति समझौता सम्पन्न हुआ है।

पृष्ठभूमि

आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य विवाद दक्षिण कॉकेशस स्थित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर कब्ज़े को लेकर है। इस क्षेत्र में पिछले 6 सप्ताह से सैन्य संघर्ष जारी था। इसे हालिया वर्षों का सबसे गम्भीर संघर्ष माना जा रहा है। इस संघर्ष में लगभग 1200 से अधिक लोगों की हो चुकी है तथा हज़ारों लोग विस्थापित हो गए है।

समझौते के प्रमुख बिंदु

- नए समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष अब इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखेंगे। इससे अज़रबैजान को लाभ होगा क्योंकि हालिया संघर्ष के दौरान अज़रबैजान ने इस क्षेत्र के 15-20% हिस्सा पर पुन: कब्ज़ा कर लिया है।
- साथ ही, इस समझौते के तहत सभी सैन्य अभियानों व कार्रवाईयों पर रोक लगा दी गई है और रूसी शांति सैनिकों को नागोर्नो-काराबाख में सम्पर्क रेखा (Line of Contact) तथा इस क्षेत्र को आर्मीनिया से जोड़ने वाले लाचिन गलियारे (Lachin corridor) के समानांतर पाँच वर्ष की अवधि के लिये तैनात किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, शरणार्थी एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति इस क्षेत्र में व आस-पास के क्षेत्रों में वापस आएंगे तथा दोनों पक्ष युद्धबंदियों व मृतकों की भी अदला-बदली करेंगे।
- गौरतलब है कि रूसी नियंत्रण में नखचिवन से अज़रबैजान तक एक नया कॉरिडोर भी खोला जाएगा।
- आर्मीनिया में इस शांति समझौते का व्यापक विरोध हुआ है, जबकि अज़रबैजान ने इसे 'ऐतिहासिक महत्त्व' वाला समझौता कहा है।

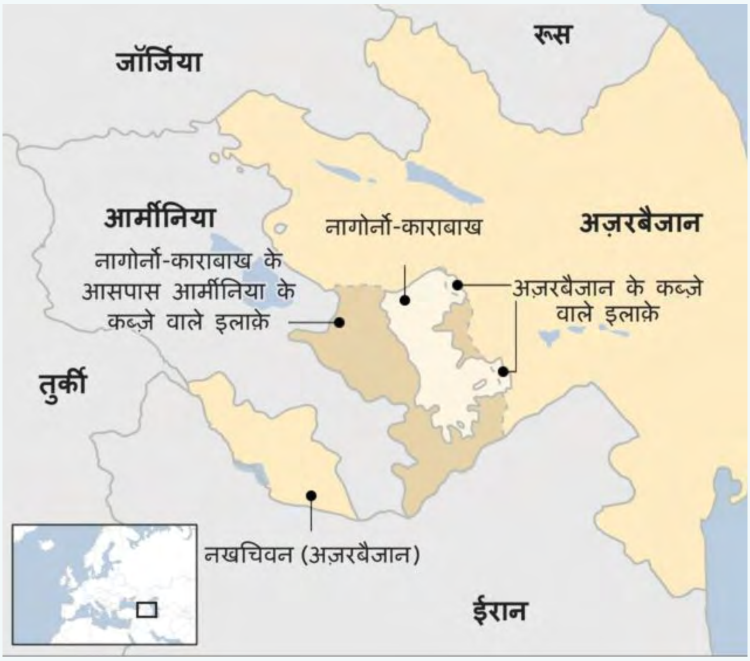

रूस की मध्यस्थता और चिंता

- दोनों देशों के मध्य यह शांति समझौता रूस की मध्यस्थता में हुआ है। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनान द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि सितम्बर में संघर्ष प्रारम्भ होने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कई युद्धविराम समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए परंतु अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है।
- इस संघर्ष में रूस की भूमिका कुछ हद तक अस्पष्ट हैं जहाँ एक तरफ वह दोनों देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है, वहीं आर्मीनिया के साथ उसका एक सैन्य गठबंधन है, जिसे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organisation) कहा जाता है।

अन्य युद्धविराम समझौते

- वर्ष 1994 के शांति समझौते के बाद भी इस क्षेत्र में नियमित रूप से तनाव बना रहा है। वर्ष 2016 में हुआ चार-दिवसीय युद्ध भी रूस की मध्यस्थता से समाप्त हुआ था।
- इस दिशा में यूरोपीय सुरक्षा और सहकारिता संगठन (OSCE) 'मिंस्क ग्रुप' ने भी कई वर्षों तक दोनों देशों के मध्य स्थाई शांति समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश की है। विदित है कि फ्रांस, रूस और अमेरिका मिंस्क ग्रुप से सम्बंधित रहे हैं।
- इस वर्ष अक्तूबर में भी रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के मध्य हुआ संघर्ष विराम समझौता भी असफल रहा था।

द्विपक्षीय संघर्ष में नृजातीयता की भूमिका

इस विवाद में दशकों पुराने नृजातीय तनाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में इस विवादित क्षेत्र में बहुसंख्यक आर्मीनियाई ईसाई आबादी निवास करती है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को मुस्लिम बहुल अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है।

हालिया संघर्ष का कारण

- वर्तमान संघर्ष की शुरुआत 27 सितम्बर को हुई, जिसमें पहली बार दोनों देशों में मार्शल लॉ की घोषणा की गई।
- वारसॉ स्थित सेंटर फॉर ईस्टर्न स्टडीज (OSW) के अनुसार, सम्भावित रूप से संघर्ष में मौजूदा वृद्धि अज़रबैजान द्वारा की गई थी।

नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र ट्रांस-कॉकेशिया या दक्षिण कॉकेशिया (जॉर्जिया और आर्मीनिया के पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर दक्षिणी काकेशस पर्वत के आसपास का भौगोलिक क्षेत्र) का हिस्सा है।
- इस क्षेत्र से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती है जिससे इस क्षेत्र के स्थायित्व को लेकर चिंता जताई जा रही है।

वर्तमान स्थिति

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्र आर्मीनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित हैं।
- अलगाववादियों ने इस क्षेत्र को 'नागोर्नो-काराबाख गणतंत्र' घोषित किया हुआ है। हालाँकि, आर्मीनियाई सरकार नागोर्नो-काराबाख को स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं देती है, परंतु राजनीतिक और सैन्य रूप से समर्थन प्रदान करती है।
- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र सोवियत संघ के समय से अज़रबैजान का हिस्सा रहा है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के पतन के साथ आर्मीनिया की क्षेत्रीय संसद ने इस क्षेत्र को आर्मीनिया को हस्तांतरित करने के लिये मतदान किया था।
- वर्ष 1994 में रूस ने युद्ध-विराम के लिये मध्यस्थता की थी। हालाँकि, उस समय तक नृजातीय आर्मीनियाई लोगों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था।

इथोपिया में नृजातीय संकट और गृहयुद्ध

चर्चा में क्यों?

इथोपिया में सरकार और तिग्रे/टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बीच गृहयुद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच इस संघर्ष में अभी तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब देश के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1974 की क्रांति के दौरान इथोपिया के राजा हेली सेलासी को सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद मेनगिस्तु हाइले मरियम के नेतृत्व में मिलिट्री डर्ग/सेना ने कमान संभाली। सेना द्वारा देश की कमान सम्भालते ही इथोपिया में 'लाल आतंक' शुरू हो गया, जब सेना ने हजारों युवाओं की हत्या कर दी। परिणातस्वरूप, देश में गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया।

- वर्ष 1988 में सेना द्वारा हुए एक हवाई हमले में हॉसियान शहर में 1800 लोग मारे गए थे। वर्ष 1991 में टी.पी.एल.एफ. के नेतृत्व वाले इथोपियन पीपुल्स रिवॉल्युशनरी डेमोक्रैटिक फ्रंट (EPRDF) ने सेना नेतृत्व वाली सरकार को हरा दिया।

वर्तमान गतिरोध

- वर्ष 2018 में बढ़ते विरोध के कारण ई.पी.आर.डी.एफ. ने सरकार का नेतृत्त्व करने के लिये पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी और ओरोमो समुदाय के अबी अहमद को प्रधानमंत्री बनाया।
- प्रधानमंत्री बनने के बाद अबी अहमद ने टी.पी.एल.एफ. के प्रभाव को कम करने के लिये कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने न सिर्फ टी.पी.एल.एफ. के सदस्यों को मुख्य सरकारी पदों से हटाया बल्कि उन कैदियों को भी रिहा कर दिया जिन्हें टी.पी.एल.एफ. द्वारा कैद किया गया था।
- उन्होंने ई.पी.आर.डी.एफ. को खत्म कर 'प्रॉस्पैरिटी पार्टी' (Prosperity Party) की स्थापना की। अबी ने इरिट्रिया के साथ शांति समझौता भी किया, जिसके लिये उन्हें विगत वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
- इसी वर्ष सितम्बर में स्थानीय चुनावों को लेकर टी.पी.एल.एफ. और प्रॉस्पैरिटी पार्टी के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए प्रॉस्पैरिटी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया गया।
- विदित है कि इथोपिया के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, जिसके तहत स्थानीय समूह अपनी प्रांतीय सरकार का संचालन करते हैं। इस व्यवस्था को ई.पी.आर.डी.एफ. की सरकार में आने के बाद अपनाया गया था, प्रधानमंत्री अबी इसे समाप्त करना चाहते हैं।
- इथोपिया में प्रांतों को अपने चुनाव कराने का अधिकार है। यह प्रावधान इसलिये किया गया था कि अगर केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार गिर जाए तो प्रांतों में सरकार का संचालन होता रहे। इसकी मांग टिगरायन समूह के साथ-साथ ओरोमो जैसे समूहों ने भी की।
- ध्यातव्य है कि ओरोमो गायक हचालू हुंडेसा की हत्या के बाद हुए दंगों में 150 लोगों की मौत हो गई थी और 10 हज़ार से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
- इथोपिया की कुला आबादी में 6% टाइग्रे लोग हैं, जबकि ओरोमो 34% और अम्हार 27% हैं। चूँकि वर्ष 2018 से पूर्व सत्ता में टी.पी.एल.एफ. और टाइग्रे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, अतः ओरोमो लोगों द्वारा उनके खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए जाते थे। अब, ओरोमो समुदाय के अबी अहमद के सत्ता में आने के बाद टाइग्रे लोग उग्र हो गए हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF)

- टी.पी.एल.एफ. की स्थापना इथोपिया की सैन्य तानाशाही के विरुद्ध वर्ष 1975 में टाइग्रे क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये की गई थी।
- वर्ष 1991 में यह संगठन सैन्य तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाने में सफल रहा और इसके बाद इसने इथोपिया में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही कई सुधार कार्य किये।
- वर्ष 1991 में ही टी.पी.एल.एफ. के नेता मेल्स जेनावी पहले अंतरिम राष्ट्रपति और फिर वर्ष 1995 में प्रधानमंत्री चुने गए, जो वर्ष 2012 तक सत्ता में रहे।

इथोपिया

- इथोपिया अफ्रीका का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दसवाँ सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है।
- इथोपिया के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में इरिट्रिया, उत्तर-पश्चिम व पश्चिम में सूडान, दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण सूडान, पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में सोमालिया और दक्षिण में केन्या अवस्थित है। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल-रुद्ध देश है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के दो उच्च अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित 72 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अपना अटूट समर्थन देने की बात कही है।
- ध्यातव्य है कि आई.सी.सी. ने इस वर्ष की शुरुआत में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के खिलाफ युद्ध अपराधों की जाँच शुरू की थी। अमेरिका ने इस जाँच को अनुचित बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया था।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court — ICC)

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गठन 17 जुलाई, 1998 को अपनाई गई रोम संविधि (Rome Statute) के जरिये हुआ था। 1 जुलाई, 2002 से इसने अपना कार्य प्रारम्भ किया।
- इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स) में है। अंग्रेज़ी और फ्रेंच इसकी 2 कार्यकारी भाषाएँ हैं, जबकि अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी व स्पेनिश इसकी 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है तथा इसे 'अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण' का दर्जा भी प्राप्त है।
- जब कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध में लिप्त अपने किसी नागरिक को दंड देने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय उस देश के न्यायिक तंत्र की मदद करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा सौंपे गए मामलों की भी सुनवाई करता है। कोई राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सम्बंधित मामले स्वेच्छा से यहाँ स्थानांतरित कर सकता है।
- आई.सी.सी. के 4 प्रमुख अंग हैं–
  - (i) अध्यक्ष पद (The Presidency)
  - (ii) न्यायिक विभाग (The Judicial Division)
  - (iii) अभियोजन कार्यालय (The Office of Prosecutor)
  - (iv) रजिस्ट्री (The Registry)
- यह निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये अधिकृत है, अर्थात इसका क्षेत्राधिकार निम्नलिखित विषयों पर है-
  - (i) नरसंहार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध (International Crime of Genocide)
  - (ii) युद्ध अपराध (War Crime)
  - (iii) मानवता के विरुद्ध अपराध (Crime against Humanity)
  - (iv) आक्रमण का अपराध (Crime of Aggression)
- ध्यातव्य है कि 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय' (ICJ) तथा 'अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायलय' (ICC) दोनों पृथक निकाय हैं, किंतु दोनों का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में ही अवस्थित है।

रोम संविधि (Rome Statute)

- यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय के लिये 'आधारभूत व अभिशासी दस्तावेज' (Fundamental and Governing Document) है। रोम संविधि वास्तव में एक बहुपक्षीय संधि है, इसका अनुसमर्थन करने वाले देश स्वत: ही आई.सी.सी. के सदस्य बन जाते हैं।

यू.ए.ई. का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी 'गोल्डन वीज़ा प्रणाली' में विस्तार की बात कही है। इसमें कुछ पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिये 10 वर्ष तक के निवास का प्रावधान प्रमुख है। ध्यातव्य है कि विगत कुछ समय से यू.ए.ई. निवास से जुड़े विभिन्न प्रावधानों में वृहत स्तर पर सुधार कर रहा है और निवास की सुगमता पर ध्यान दे रहा है।

गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम

- यू.ए.ई. द्वारा "गोल्डन वीज़ा" कार्यक्रम मुख्यत: निवेशकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, छात्रों और कलाकारों जैसी "असाधारण प्रतिभाओं" के लिये शुरू किया गया था।
- वीज़ा की प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं :
  - सामान्य निवेशक जिन्हें 10 साल का वीज़ा दिया जाएगा।
  - रियल एस्टेट निवेशक, जो 5 साल के लिये वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।
  - उद्यमी और प्रतिभाशाली पेशेवर, जैसे डॉक्टर, शोधकर्ता आदि 10 वर्ष के लिये वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।
  - उत्कृष्ट छात्रों को भी 5 वर्षों के लिये रेजिडेंसी वीज़ा की अनुमति दी जाएगी।
- वीज़ा अवधि की समाप्ति पर सभी श्रेणियों का नवीनीकरण किया जा सकता है।

भारत के लिये लाभ

- प्रवासी भारतीय समुदाय यू.ए.ई. में किसी देश का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो यू.ए.ई. की जनसंख्या का लगभग 30% (90 लाख के आसपास) है।
- यू.ए.ई. में रहने वाले अधिकांश भारतीय कार्यरत पेशेवर हैं, लेकिन भारतीय दूतावास के अनुसार इनमें से लगभग 10% लोग कार्यरत लोगों पर निर्भर परिवार के सदस्य हैं।

फाइव आइज़ (FIVE EYES)

- फाइव आइज़ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड का एक खुफिया गठबंधन है। इसे वर्ष 1941 में यू.के-यू.एस.ए. समझौते के रूप में अनौपचारिक रूप से स्थापित किया गया था, किंतु इसकी औपचारिक शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात् वर्ष 1946 में की गई थी।
- सर्वप्रथम, यू.एस.ए. और यू.के. द्वारा विदेशी राष्ट्रों की सैन्य व संचार सम्बंधी खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के लिये इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1948 में कनाडा तथा वर्ष 1956 में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड इसमें शामिल हो गए। अमेरिकी कांग्रेस ने इस खुफिया गठबंधन में तीन अन्य लोकतांत्रिक देशों- भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को जोड़ने की मांग की है।
- नाइन आइज़ देशों में फाइव आइज़ देशों के साथ-साथ डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड एवं नॉर्वे, जबकि फोर्टीन आइज़ देशों में नाइन आइज़ देशों के साथ-साथ जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्वीडन तथा स्पेन शामिल हैं। इसे सीनियर्स यूरोप (SSEUR) के रूप में भी जाना जाता है।

- फाइव आइज़ गठबंधन सदस्य देशों के नागरिकों की निगरानी करने के लिये संचार विधि के रूप में सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) का उपयोग करता है। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को समन्वित करना है।
- हाल ही में चीन के विरोधियों को हांगकांग में सांसद नहीं चुने जाने सम्बंधी विवाद पर विरोध दर्ज करने के कारण चीन द्वारा पश्चिमी देशों को धमकी दी गई है। अमेरिका की अगुवाई में फाइव आइज़ देशों ने चीन से जनप्रतिनिधि चुनाव के सम्बंध में हांगकांग के लोगों के अधिकारों को कम नहीं करने की बात कही है।

पारस्परिक पहुँच समझौता (Reciprocal Access Agreement)

- हाल ही में, जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दक्षिणी चीन सागर तथा प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने हेतु एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यह समझौता दोनों देशों के सैनिकों को एक-दूसरे के देशों में आवागमन, संयुक्त सैन्य संचालन और प्रशिक्षण की अनुमति देता है। साथ ही यह समझौता दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग व सुरक्षा सम्बंधों को मज़बूती प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई सेना को आवश्यकता पड़ने पर जापानी सेना द्वारा मदद किये जाने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए हैं।
- संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास तथा प्राकृतिक आपदा के समय मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये भी यह समझौता महत्त्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सेना के मध्य हाल के वर्षों में सहयोग और सैन्याभ्यास गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे :

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

4 भारत एवं विश्व

हिंद-प्रशांत क्षेत्र : एक सामरिक विश्लेषण

पृष्ठभूमि

- हाल ही में, नई दिल्ली में सम्पन्न तीसरी 'वार्षिक अमेरिका-भारत : 2 + 2' मंत्रिस्तरीय वार्ता में 'चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue – Quad), हिंद-प्रशांत वार्ता, चीन से खतरे पर चर्चा और अमेरिका से सम्भावित सहयोग के विचार को आगे बढ़ाया गया है।
- वर्तमान समय में भारत के विदेश नीति निर्माताओं और रणनीतिक समुदाय को 'हिंद-प्रशांत' और 'क्वाड' जैसे सामरिक दृष्टिकोण ने अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुसार भारत इस क्षेत्र के रणनीतिक भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

हिंद-प्रशांत और क्वाड : तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

- हिंद-प्रशांत एक वृहद् राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण है, जबकि क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच रणनीतिक व सैन्य परामर्श के लिये एक मंच है।
- इन दोनों दृष्टिकोणों में समानता भी हैं जैसे- क्वाड के सदस्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख देश हैं। वहीं, कई आधारों पर भिन्नता भी है, जैसे- हिंद-प्रशांत एक राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण है, जबकि क्वाड एक सैन्य सामरिक दृष्टिकोण है।
- हिंद-प्रशांत एक जटिल राजनीतिक व आर्थिक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जबकि क्वाड अभी संस्थागत शैशवावस्था में है और मुख्यत: राजनयिक व कूटनीतिक स्तर तक सीमित है।

हिंद-प्रशांत और क्वाड : चीन के संदर्भ में

- हिंद-प्रशांत और क्वाड दोनों की अवधारणा चीन केंद्रित है, यह कई मायनों में भारत की भौगोलिक स्थिति तथा इसकी नीतियों को प्रभावित करती है।

Trade and the neighbours: 2018-19 (U.S. $)

Indian and Chinese trade with key Indo-Pacific countries — BN: BILLION | MN: MILLION

BILATERAL ANNUAL TRADE

Main countries	India	China
Australia	30 bn	252 bn
New Zealand	2.64 bn	33.4 bn
United States	87.96 bn	737.1 bn
South Korea	20.7 bn	284.54 bn
ASEAN*	96.80 bn	600 bn
Bangladesh	9.21 bn	18 bn
Japan	17.63 bn	353.7 bn
Sri Lanka	4.19 bn	4,262.52 mn
Maldives	288.99 mn	-

*ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

- चीन विरोधी सूक्ष्म व जटिल उपक्रमों के बावजूद हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण इस क्षेत्र में चीन की अनावश्यक बढ़त को रोकने में असमर्थ रहा है, जबकि रणनीतिक रूप में चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच क्वाड अपने चरित्र और अभिप्राय में स्वाभाविक रूप से अधिक चीन विरोधी है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि क्वाड के सफल होने की सम्भावना पूरी तरह से चीन पर निर्भर करेगी क्योंकि चीन जितना अधिक आक्रामक होगा, क्वाड को उतना ही अधिक मज़बूत बनाने की कोशिश की जाएगी।
- दूसरे शब्दों में, यदि चीन को इस समीकरण से बाहर निकाल दिया जाए तो हिंद-प्रशांत और क्वाड का औचित्य कम हो जाएगा, वहीं, यदि भारत इस पूरी रणनीति से बाहर हो जाए तो भू-राजनीतिक रूप से इनकी और इनसे सम्बंधित देशों की क्षमता बहुत कम हो जाएगी।
- यद्यपि यह कहना जल्दबाजी होगी कि हिंद-प्रशांत आर्थिक निर्माण के रूप में चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का एक विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम होगा क्योंकि हिंद-प्रशांत के कई देश पहले से ही बी.आर.आई. के सदस्य हैं।

भारत की रणनीतिक बाधाएँ

रणनीतिक, राजनीतिक व आर्थिक पक्ष

- राजनीतिक-आर्थिक संरचना के रूप में हिंद-प्रशांत रणनीति की मज़बूती के लिये इसके सदस्यों के बीच आर्थिक भागीदारी और सम्पर्क मज़बूत होना चाहिये। केवल रणनीतिक वार्ता और सम्भावित सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसे मुद्दों में आर्थिक पक्ष भी निर्णायक भूमिका निभाता है।
- हाल ही में, भारत ने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) में शामिल न होने का निर्णय लिया था। यह निर्णय इस क्षेत्र में भारत की भावी सम्भावनाओं के लिये चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
- वस्तुत: आर.सी.ई.पी. में शामिल न होने का निर्णय घरेलू राजनीतिक दबाव का परिणाम है, क्योंकि हिंद-प्रशांत देशों के साथ व्यापार के मामले में भारत व चीन की स्थिति में व्यापक अंतर है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत और चीन में बढ़ता व्यापार अंतर इस क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकताओं को आकार देने में निर्णायक सिद्ध होगा।
- ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया, आसियान, जापान और श्रीलंका के साथ इसका मुक्त व्यापार समझौता है।
- इसके विपरीत, अमेरिका को छोड़कर उपर्युक्त लगभग सभी देशों के साथ चीन का मुक्त व्यापार समझौता है। हालाँकि, बांग्लादेश के साथ चीन का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, किंतु हालिया समय में दोनों देशों के मध्य आर्थिक सम्बंध सुदृढ़ हुए हैं, जबकि श्रीलंका के साथ उसकी बातचीत चल रही है। साथ ही चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता वार्ता भी चल रही है।
- अत: यदि ये देश पर्याप्त विकल्प और राजनीतिक दृढ़ता के साथ चीन से आर्थिक रूप से दूर होने का प्रयास करते हैं तो भी यह एक लम्बी प्रक्रिया होगी।
- इस प्रकार, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो केवल रणनीतिक वार्ताओं के कारण ही आर्थिक वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

सैन्य पक्ष

- यदि इस क्षेत्र के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव अपर्याप्त है तो उसकी सामरिक और सैन्य भागीदारी भी कम ही है।
- बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड सहित इस क्षेत्र के कई देशों के लिये चीन प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की बिक्री, रक्षा संवाद और इस क्षेत्र में सामयिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- चीन का मुकाबला करने के क्रम में भारत को यह ध्यान रखना चाहिये कि केवल रणनीतिक वार्ताओं से ही आर्थिक वास्तविकताओं का सामना नहीं किया जा सकता है। इसके लिये वर्तमान में भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ-साथ रणनीतिक और सैन्य उभार भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- यदि इस क्षेत्र के देशों के लिये भारत एक प्रमुख आर्थिक भागीदार साबित नहीं होता है तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका सीमित ही रहेगी।

अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी

चर्चा में क्यों?

अमेरिका 20 जनवरी तक अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को लगभग 2,500 तक कम करने की तैयारी कर रहा है। विदित है कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा।

पृष्ठभूमि

- तालिबान वर्ष 2001 में अमेरिकी आक्रमण के बाद सत्ता से बेदखल हो गया था और तब से वह विदेशी सेना व अफगान सरकार दोनों से संघर्षरत है। वर्तमान में देश के आधे से अधिक हिस्से पर इसका नियंत्रण है। इस वर्ष हुए समझौते के तहत अमेरिका द्वारा सैनिकों की संख्या कम करने से अफगानिस्तान अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

समझौते के मुख्य बिंदु

- इस वर्ष फरवरी में दोहा में अमेरिका और तालिबान के मध्य हुए समझौते के अनुसार अमेरिका 14 महीने में अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। इसके बदले में तालिबान ने आश्वासन दिया है कि वह अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों को अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग नहीं करने देगा।
- साथ ही, तालिबान ने अफगान सरकार के साथ सीधी वार्ता प्रारम्भ करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। यह वार्ता सितम्बर में अफगान सरकार द्वारा लगभग 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करने के बाद शुरू हुई जिसका वादा अमेरिका ने समझौते में किया था।

वर्तमान स्थिति

- बातचीत करने वाले पक्षों ने दोहा में आगामी शांति वार्ता में 'अमेरिका-तालिबान समझौते' तथा 'अफगान शांति प्रक्रिया के लिये संयुक्त राष्ट्र के अनुसमर्थन' को वार्ता में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है।
- विशेषज्ञ इसे एक सफलता के रूप में देख रहे हैं क्योंकि तालिबान अभी तक अफगान सरकार के साथ वार्ता में अमेरिकी समझौते को शामिल करने का विरोध करता रहा है।
- हालाँकि, बातचीत के दौरान भी तालिबान का आक्रामक रवैया जारी रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, फरवरी, 2020 के बाद से तालिबान देश भर में 13,000 से अधिक हमले कर चुका है।

अनिश्चितता का समय

- अफगान शांति प्रक्रिया के लिये यह अनिश्चितता का समय है। ब्रुसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह (ICG) के अनुसार हाल के महीनों में तालिबान द्वारा हिंसा को पुनः प्रारम्भ करने और वार्ता में धीमी प्रगति के बावजूद सैनिकों की निरंतर कमीने अफगानी लोगों और पर्यवेक्षकों को चिंतित कर दिया है।
- विश्लेषकों के अनुसार तालिबान ने ऐसे बहुत से संकेत दिये हैं जिससे यह पता चलता है कि वह अमेरिकी समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहता है। साथ ही, इस बात के भी सबूत मिले हैं कि तालिबान

अफगानिस्तान में अल-कायदा का सहयोग कर रहा है। जून में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों समूहों के बीच घनिष्ठ सम्बंध जारी रहे हैं।

- तालिबान अब बड़े प्रांतों और प्रांतीय राजधानियों को भी निशाना बना रहा हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करके तालिबान सैन्य दबाव से बातचीत में अपनी स्थिति को मज़बूत करना चाहता है।
- सितम्बर में भी शांति वार्ता से पूर्व उपराष्ट्रपति अमिरुल्लाह सालेह पर हमला हुआ था, जिनको कट्टर तालिबान विरोधी विचारों के लिये जाना जाता है।

प्रभुत्व की कोशिश

- अफगानिस्तान से सैनिकों को कम करने के आदेश ने तालिबान के प्रभुत्व में वृद्धि करने और देश भर में आक्रामक रवैया बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित किया है।
- साथ ही, अमेरिका कंधार में बड़े पैमाने पर बेस को भी ध्वस्त करने की तैयारी में है। इस निर्णय से भी तालिबान को अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- वर्तमान में अमेरिकी व गठबंधन सेना प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं हैं बल्कि वे अफगान सैनिकों के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। हालाँकि, अमेरिकी वायुसेना अफगान सेना की महत्त्वपूर्ण सहयोगी है जो तालिबान द्वारा जनसंख्या के बड़े केंद्रों व शहरों को अधिकार में लिये जाने के प्रयासों का विरोध करती है।

बाइडन की नीति

- अभी अफगान सरकार की आशाएँ धूमिल नहीं हुई हैं क्योंकि सैकड़ों-हज़ारों सैनिक इसके लिये लड़ रहे हैं और शहरों की सुरक्षा में अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
- आगे की स्थिति काफी कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की अफगान नीति और शांति वार्ता के परिणाम पर निर्भर करती है। बाइडन ने कहा है कि उनका प्रशासन अपने पहले कार्यकाल में ही अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा। साथ ही, नाटो ने भी अगले चार वर्षों तक अफगान सैनिकों की फंडिंग के लिये प्रतिबद्धता जाहिर की है।
- इन चुनौतियों के बावजूद अच्छी बात यह है कि सरकार के प्रतिनिधि व तालिबान बातचीत कर रहे हैं और वार्ता में अमेरिका-तालिबान समझौते को शामिल करने के करीब पहुँच गए हैं।
- नए अमेरिकी प्रशासन ने आगामी किसी भी सैन्य वापसी को जिम्मेदारीपूर्वक पूरा करने का वचन दिया है। अनिश्चितता के बावजूद यह शांति प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने एवं गति देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा महत्त्वपूर्ण समय पर सेना की अफगानिस्तान वापसी से न केवल अफगानी सैन्य बल आवश्यक समर्थन से वंचित होंगे बल्कि यह उनके मनोबल को भी प्रभावित करेगा। अफगानी सैनिक अत्यधिक दबाव में हैं और अमेरिकी समर्थन के बिना संघर्ष की सम्भावनाओं से चिंतित हैं। इससे दक्षिण एशिया में शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

आर.सी.ई.पी. तथा भारत के निर्णय के निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत की गैर मौजूदगी में 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। हालाँकि, भविष्य में भारत भी इस समूह की बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकता है।

क्या है आर.सी.ई.पी.

- आर.सी.ई.पी. चीन के नेतृत्व में 15 देशों का एक क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक है जिसमें 10 असियान देशों (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार व कम्बोडिया) के साथ-साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं।
- इस व्यापारिक साझेदारी का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य बाधारहित बाज़ार तक पहुँच, सीमा शुल्क को समाप्त या कम करके मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से आपसी व्यापार को प्रोत्साहन देना है।
- इस ब्लॉक में विश्व की जनसंख्या का एक-तिहाई तथा जी.डी.पी. का 30% हिस्सा शामिल है। इस ब्लॉक में शामिल देश अन्य गैर-सदस्य देशों से आयात नहीं करने पर सहमत हुए हैं।

भारत के निर्णय का विश्लेषण

- भारत का मानना है आर.सी.ई.पी. से सम्बंधित उसकी चिंताओं को पर्याप्त रूप से सम्बोधित नहीं किया गया है। भारत निरंतर घरेलू अर्थव्यवस्था के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की संरक्षित सूची के आधार पर बाज़ार पहुँच का मुद्दा उठा रहा है।
- भारत अभी आर.सी.ई.पी. के सम्बंध में विचार-विमर्श कर रहा है। भारत द्वारा अपने लागत-लाभ विश्लेषण का मूल्यांकन करने के पश्चात ही इस सम्बंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- महामारी के प्रसार में चीन की संदिग्ध भूमिका के साथ ही उसके साथ बढ़ती सैन्य आक्रामकता (गलवान घाटी संघर्ष तथा पेंगोंग झील के तनाव) के चलते भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीन के विरुद्ध कई निर्णय लिये हैं। इसमें चीन के मोबाइल गेम्स तथा अन्य लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल हैं।
- जापान ने आर.सी.ई.पी. में भारत की भागीदारी पर मंत्रियों की घोषणा का मसौदा तैयार किया है, जो भारत जैसी समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग का एक प्रतिबिम्ब है। इस मसौदे में विशेष रूप से क्वाड देशों द्वारा भविष्य में एक लचीली आपूर्ति शृंखला के निर्माण पर बल दिया जाएगा।
- क्वाड के साथ-साथ कुछ अन्य देश (न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम) गुप्त रूप से चीन से अलग एक लचीली आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने हेतु एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। साथ ही, जापान और ऑस्टेलिया, चीन के साथ जटिल और तनावपूर्ण सम्बंध होने के बावजूद आर्थिक हितों के कारण आर.सी.ई.पी. में शामिल हो गए हैं। भारत को भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिये।
- भारत पहले से ही आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते तथा दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPA) में सहभागी है।
- वर्तमान में भारत का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। भारत ने आसियान देशों के लिये अपना बाज़ार 74% तक खोल दिया है, जबकि इंडोनेशिया जैसे अमीर देशों ने भारत के लिये केवल 50% तक बाज़ार खोले हैं। इसलिये आर.सी.ई.पी. पर भारत अभी संदेहास्पद स्थिति में है।

आगे की राह

- कई बार देखा गया है कि चीन सहित कई देशों ने अपनी बाज़ार पहुँच को रोकने के लिये गैर-प्रशुल्क बाधाओं का उपयोग किया है, जिससे भविष्य में व्यापारिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये वर्तमान में भारत को अपने व्यापरिक तथा औद्योगिक हितों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग व्यापारिक समझौते करने चाहिये।
- ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) की कमज़ोर स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। इसका केवल सुरक्षा पहलुओं (आर्थिक दृष्टिकोण की बजाय) पर ध्यान केंद्रित करना इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है।

- भारत और चीन को भू-राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सामूहिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, इससे आर्थिक विकास, व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन तथा एक मज़बूत क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला के निर्माण में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

वर्ष 2017 में जब भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से बाहर निकलने का फैसला किया था, तब भी भारत को विभिन्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाद में समान विचारधारा वाले देशों ने भारत के निर्णय का समर्थन किया। इसलिये भारत द्वारा वर्तमान में अपने राष्ट्रहितों को सर्वोपरि रखते हुए, आर.सी.ई.पी. में शामिल न होने का निर्णय उचित और सराहनीय प्रतीत होता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप : TPP

- ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों-ओर अवस्थित 12 देशों (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यू.एस.ए. और वियतनाम) के मध्य एक व्यापार समझौता है। इन 12 देशों की संयुक्त रूप से दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% हिस्सेदारी है।
- उत्पादों और सेवाओं के लिये बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराने के अलावा टी.पी.पी. में बौद्धिक सम्पदा अधिकार, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति, पर्यावरण, श्रम, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम, ई-कॉमर्स प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति शृंखला, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल में पारदर्शिता तथा एक नियामक संस्था के गठन पर सहमति व्यक्त की गई है।
- ध्यातव्य है कि अमेरिका इस समूह से बाहर हो गया है। अतः वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं।

भारत और बहरीन के मध्य समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत और बहरीन, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक सम्बंधों को और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- सहयोग के मुख्य मुद्दों में, दोनों देशों के आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मामले, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढाँचा, आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे शामिल होंगें।
- दोनों पक्षों ने कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को और मज़बूत करने की पुष्टि की।
  - बहरीन ने महामारी के दौरान भारत द्वारा दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति के रूप में प्रदान की गई सहायता की सराहना की।
  - बहरीन ने दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर भी संतोष व्यक्त किया।
- भारत ने आगामी समय में आयोजित होने वाली भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के लिये बहरीन को भारत आने के लिये पुनः निमंत्रण दिया है।
- वर्ष 2019 में, भारत ने 4.2 मिलियन डॉलर की लागत से बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित 'श्री कृष्ण मंदिर' के पुनर्विकास योजना शुरू की थी।

- 200 वर्ष पुराना यह मंदिर भारत और बहरीन के बीच घनिष्ठ सम्बंधों का गवाह है।
- भारत ने बहरीन के दिवंगत प्रधान मंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने भारत-बहरीन सम्बंधों को मज़बूत बनाने और बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

भारत-बहरीन सम्बंध

ऐतिहासिक सम्बंध

- भारत और बहरीन सम्बंधों का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। बहरीन की दिलमुन सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के सम्बंध इसका प्रमाण हैं।
- ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बहरीन के व्यापारी बड़े स्तर पर मोतियों के बदले भारत के मसाले खरीदा करते थे।

भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन

- प्रत्यर्पण संधि (जनवरी 2004)
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (मई 2012)
- संयुक्त उच्चायोग की स्थापना पर समझोता ज्ञापन (फरवरी 2014)
- जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन (फरवरी 2015)
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग, अवैध संगठित अपराध और अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों के रसायनों की तस्करी रोकने पर सहयोग (दिसम्बर 2015)
- डिप्लोमैटिक एंड स्पेशल/ऑफिशियल पासपोर्ट (जुलाई 2018) के होल्डर्स के लिये शॉर्ट स्टे वीज़ा पर छूट
- नवीनकणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और सहयोग पर समझौता ज्ञापन (मार्च 2019)

व्यापार और आर्थिक सम्बंध

दोनों देशों के बीच वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1282.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में यह 753.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

बहरीन में भारतीय निर्यात

खनिज ईंधन और तेल, अकार्बनिक रसायन, दुर्लभ मृदा, धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, फल, परिधान और कपड़े आदि।

बहरीन से भारतीय आयात

कच्चे तेल, खनिज ईंधन और उनके बिटुमिनस पदार्थ, एल्यूमीनियम, उर्वरक, अयस्क/स्लैग/एल्यूमीनियम की राख, लोहा, ताम्बा, लुगदी आदि।

बहरीन में भारतीय निवेश

- जनवरी 2003 और मार्च 2018 के बीच बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया है।
- सबसे अधिक निवेश (कुल परियोजनाओं का 40%) वित्तीय सेवाओं में किया गया है।

भारतीय प्रवासी समुदाय

- वर्तमान में लगभग 3,50,000 भारतीय बहरीन में रह रहे हैं और इनमें से लगभग 70% अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं।

- प्रमुख श्रम बल के अलावा अन्य भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है जो बहरीन के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- नवम्बर 2015 में, बहरीन ने भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिये 'लिटिल इंडिया इन बहरीन' नामक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- 'एयर बबल' एक द्विपक्षीय समझौता व्यवस्था है, जिसमें दो देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों और प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकती है।
- बहरीन, खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) का सदस्य है और हाल ही में बहरीन ने इज़रायल और यू.ए.ई. के साथ अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, इस समझौते की मध्यस्थता अमेरिका ने की थी।

भारत और विभिन्न देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- हाल ही में, 'भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु' और स्पेन के 'इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कानरियास' तथा ग्रानटिकान, स्पेन के मध्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा :
  - नए वैज्ञानिक परिणाम
  - नई तकनीकें
  - वैज्ञानिक संवाद और प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण
  - संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएँ इत्यादि
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के 'संचार मंत्रालय' और ब्रिटेन के 'डिजिटल, संस्कृति, मीडिया एवं खेल विभाग' के मध्य दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य दोनों देशों के मध्य सहयोग और अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके अनुसार दोनों पक्षों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :
  - दूरसंचार/आई.सी.टी. नीति एवं विनियमन तथा स्पेक्ट्रम प्रबंधन
  - मोबाइल रोमिंग समेत दूरसंचार कनेक्टिविटी
  - वायरलेस संचार
  - 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा आदि सहित दूरसंचार/आई.सी.टी. के क्षेत्र में तकनीकी विकास
  - दूरसंचार सम्बंधी आधारभूत ढाँचे की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता तथा इनके प्रयोग में सुरक्षा
  - उच्च तकनीकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना और जहाँ तक सम्भव हो, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना आदि।
- इसी दौरान भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

भारत द्वारा अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण-IV का शुभारम्भ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत ने अफगानिस्तान के लिये 80 मिलियन डॉलर मूल्य की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण-IV का शुभारम्भ किया है। इन नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएँ और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिये एक बांध शामिल है।

मुख्य बिंदु

- भारत ने काबुल के लगभग 20 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अफगानिस्तान की काबुल नदी बेसिन में शहतूत बांध के निर्माण की घोषणा की है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने काबुल शहर में सुचारू रूप से विद्युत उत्पादन के लिये वर्ष 2009 में 202 किलोमीटर की फुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया था।

अफगानिस्तान में भारत की विकासात्मक पहलें

- भारत ने अफगानिस्तान में अब तक विभिन्न विकास योजनाओं के लिये लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता की है।
- भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक विकास परियोजनाओं का संचालन किया है।
- अफगानिस्तान के लिये भारत की विकासात्मक सहायता को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  1. ईरान के माध्यम से वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये 218 किलोमीटर की डेलारम-जारंज सड़क जैसी महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
  2. भारत-अफगानिस्तान मैत्री बांध और संसद भवन।
  3. मानव संसाधन विकास एवं मानवीय सहायता।
  4. उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।
  5. हवाई और भूमि सम्पर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाना।
- इसके अलावा, लगभग 65000 से अधिक अफगान छात्रों ने भी विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत भारत में अध्ययन किया है।

सिटमैक्स-20 (SITMEX-20)

- 22 नवम्बर, 2020 को भारत, थाईलैंड और सिंगापुर त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स-20 (SITMEX-20) का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में सम्पन्न हुआ। भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमबैक्स-20 का 27वाँ संस्करण 23 नवम्बर से इसी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। सिटमैक्स का पहला संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा सितम्बर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। भारत के अनुसार यह अभ्यास तीन मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच बढ़ते समन्वय व सहयोग को उजागर करता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसे समुद्र में गैर-सम्पर्क (non-contact, at sea only) रूप में आयोजित किया जा रहा है।
- सिटमैक्स-20 शृंखला के अभ्यास का उद्देश्य मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन में सुधार करना, आपसी विश्वास को मज़बूत करना और क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये सामान्य समझ व प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
- सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित होने वाले सिटमैक्स अभ्यास के लिये भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर कोरवेट आई.एन.एस. कामोर्ता (Kamorta) और मिसाइल कोरवेट आई.एन.एस. करमुक को तैनात

किया है। सिंगापुर ने फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट इंट्रेपिड और एंड्योरेंस क्लास लैंडिंग शिप 'टैंक एंडेवर' को जबकि रॉयल थाई नेवी द्वारा एक 'चाओ फ्राया' क्लास फ्रिगेट 'क्रबुरी' को तैनात किया गया है।

- सिटमैक्स के लिये भारतीय नौसेना आई.एन.एस. कामोर्ता और आई.एन.एस. करमुक के अलावा (जो पहले से ही क्षेत्र में हैं) अपने अभिन्न हेलीकॉप्टर चेतक के साथ विध्वंसक आई.एन.एस. राणा को तैनात कर रही है। इसके अतिरिक्त, आई.एन.एस. सिंधुराज पनडुब्बी और P8I समुद्री टोही विमान (Maritime Reconnaissance Aircraft) भी अभ्यास में भाग लेंगे।

मिशन सागर-II

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, 'मिशन सागर-II' के एक अंग के रूप में भारतीय नौ-सेना जहाज 'ऐरावत' ने खाद्यान्न सहायता की एक खेप लेकर पोर्ट सूडान में प्रवेश किया। विदित है कि भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने में मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है।
- 'मिशन सागर-II', मई-जून 2020 में सम्पन्न हुए 'मिशन सागर-I' का ही अनुसरण करता है। 'मिशन सागर-I' के तहत भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्यान्न सहायता व दवाइयाँ प्रदान की थीं।
- 'मिशन सागर-II' के एक अंग के रूप में भारतीय नौ-सेना जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुँचाएगा।
- 'मिशन सागर-II', 'सागर' क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सम्बंधों के महत्त्व को दर्शाता है।
- भारतीय नौसेना इस मिशन को रक्षा एवं विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है।

जी-20 का 15वाँ शिखर सम्मेलन

- हाल ही में, सऊदी अरब की अध्यक्षता में आभासी रूप से आयोजित जी-20 के 15वें शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी को मानवता के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ बताते हुए इस द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया।
- उल्लेखनीय है कि जी-20 की इस वर्ष की थीम '21वीं सदी के अवसरों का अनुभव' थी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बाद की दुनिया (पोस्ट-कोरोना वर्ल्ड) के लिये नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया, जिसमें निम्नलिखित चार प्रमुख तत्त्व शामिल होंगे -
  1. एक विशाल प्रतिभा पूल का निर्माण,
  2. यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे,
  3. शासन की प्रणालियों में पारदर्शिता और
  4. संरक्षण/न्यासिता (Trusteeship) की भावना के साथ पृथ्वी के साथ व्यवहार करना।
- G-20, दुनिया की सबसे बड़ी, उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ध्यातव्य है कि G-20, 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 19 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।

विशेष विवाह अधिनियम : प्रमुख विशेषताएँ तथा चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दो भिन्न धर्मों के व्यक्तियों द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना अनुचित है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सभी भारतीय नागरिकों तथा कुछ विशेष मामलों में विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह से सम्बंधित है। इसके तहत, विवाह के लिये दोनों पक्षों को अपना-अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।

मुख्य विशेषताएँ

- अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य अंतर-धार्मिक विवाहों को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित करना तथा सभी धार्मिक औपचारिकताओं को केवल विवाह पंजीकरण से प्रतिस्थापित करना है।
- अधिनियम की धारा 5 के तहत, विवाह करने वाले जोड़े को सम्बंधित ज़िले के विवाह अधिकारी के समक्ष मैरिज नोटिस देने की आवश्यकता होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि विवाह करने वाले जोड़े में किसी एक ने उस ज़िले में कम-से-कम 30 दिनों तक निवास किया हो।
- धारा 6 के तहत, विवाह अधिकारी विवाह करने वाले जोड़े के नोटिस को प्रकाशित करता है तथा इसकी मूल प्रति को सुरक्षित रखता है।
- अधिनियम के तहत विवाहित जोड़ा विवाह की तारीख के 1 वर्ष पश्चात् ही तलाक के लिये याचिका दायर कर सकता है।
- इस अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाहित व्यक्ति के उत्तराधिकारी तथा उसकी सम्पत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है।

अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रावधान

- विवाह के लिये लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
- अधिनियम के तहत विवाह करने वाले जोड़े में से कोई भी चित-विकृति के कारण सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिये।
- अधिनियम के अनुसार कोर्ट मैरिज में मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष तीन गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- अगर विवाह अधिकारी विवाह के लिये अनुमति देने से मना करता है तो ज़िला अदालत में अपील की जा सकती है।

विवाद के बिंदु

- अधिनियम की धारा 6 के तहत विवाह पक्ष के निजी विवरणों को भी प्रकाशित किया जाता है। इसमें आपत्तियाँ दर्ज करने हेतु सार्वजनिक रूप से 30 दिनों का समय दिया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) का उल्लंघन है। ध्यातव्य है कि इस सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

- असामाजिक तत्त्वों द्वारा सार्वजनिक नोटिस से विवाह करने वाले जोड़े की व्यक्तिगत तथा गोपनीय जानकारी एकत्र कर लव-जिहाद, साम्प्रदायिकता तथा हिंसा का वातावरण निर्मित कर अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है। ध्यातव्य है कि गत जुलाई में केरल सरकार के विवाह पंजीकरण विभाग ने मैरिज नोटिस के अनुचित प्रयोग के कारण इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना बंद कर दिया है।

कार्य का अधिकार : प्रासंगिकता

संदर्भ

वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ महामारी और तालाबंदी की दोहरी मार का सामना कर रही हैं। भारत में बेरोज़गारी में निरंतर वृद्धि हो रही है फलस्वरूप यहाँ बेरोज़गारी और नौकरियों का वादा लम्बे समय से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कोई नागरिक कार्य की मांग एक अधिकार के रूप में कर सकता है और क्या राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह आवश्यक रूप से रोज़गार प्रदान करे?

कार्य का अधिकार

कार्य के अधिकार शब्द का प्रयोग बिना किसी बाधा के आजीविका कमाने के अधिकार के संदर्भ में किया जाता है। कार्य के अधिकार की मांग अक्सर बेरोज़गारी या काम की अनुपलब्धता के कारण की जाती है।

कार्य के अधिकार की कानूनी स्थिति

- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही कार्य का अधिकार महत्त्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बंधित प्रसंविदा में भी कार्य के अधिकार को शामिल किया गया है।
- भारत में कार्य के अधिकार को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है परंतु मनरेगा इस दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत कार्य के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति काम न मिलने के आधार पर सरकार से बेरोज़गारी भत्ते की मांग कर सकता है।
- हालाँकि, अगर इस कानून में संशोधन किया जाता है या इसे वापस ले लिया जाता है तो यह अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।

भारत में कार्य के अधिकार के कार्यान्वयन की स्थिति

- भारत में जी.डी.पी. के अनुपात में नौकरियों में कमी देखी गई है लेकिन रोज़गारविहीन संवृद्धि (जॉबलेस ग्रोथ) देखी गई है।
- पिछले कुछ दशकों में भारत में रोज़गार तथा आजीविका के साधनों में कमी तथा रोज़गार के अन्य क्षेत्रों में विस्थापन देखा गया है। नई नौकरियाँ पैदा करने की विफलता ने रचनात्मक तरीके से कार्य करने के अधिकार की संकल्पना को कानूनी रूप से लागू करने हेतु महत्त्वपूर्ण बना दिया है।
- भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानून मौजूद हैं लेकिन वे अधिकांश रूप से केवल सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को ही संरक्षित करने तक सीमित हैं। श्रमिकों के कानूनी संरक्षण की खराब स्थिति का मुख्य कारण श्रम कानूनों का कमज़ोर कार्यान्वयन तथा श्रमिकों में जागरूकता का अभाव है।

सुझाव

- कार्य के अधिकार हेतु 'विकेंद्रीकृत शहरी रोज़गार तथा प्रशिक्षण' (Decentralised Urban Employment and Training – DUET) योजना को मनरेगा के साथ रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

- डी.यू.ई.टी. के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यों के लिये (सरकारी संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों की पेंटिंग, साफ-सफाई, इमारतों की मरम्मत तथा फर्नीचर आदि के निर्माण हेतु) रोज़गार के वाउचर जारी किये जा सकते हैं।
- सम्मानजनक जीवन के लिये एक बेहतर रोज़गार का होना आवश्यक है। कार्य की बेहतर दशाएँ, कार्य के निश्चित घंटे तथा समय पर वेतन भुगतान के सम्बंध में स्पष्ट प्रावधान तथा उनका कार्यान्वयन होना चाहिये। साथ ही विवाद की स्थिति में एक विश्वसनीय निवारण तंत्र का होना आवश्यक है।
- कार्य के अधिकार का न होना रोज़गार की अनुपलब्धता के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्तियों तथा संसाधनों की गहन कमी को भी दर्शाता है। मनरेगा के तहत भी परिसम्पत्ति निर्माण की दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाए गए हैं। अत: मनरेगा के तहत शहरी रोज़गार गारंटी योजना के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ ही पूंजीगत निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- इस सम्बंध में थाईलैंड का उदाहरण स्मरणीय है, जहाँ श्रम-गहन सार्वभौमिक बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली है। इससे एक ही समय में दो समस्याओं (सामाजिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण तथा रोज़गार सृजन) का निदान किया जा सकता है।
- कार्य का अधिकार वास्तव में एक गम्भीर विचारणीय मुद्दा है लेकिन इसे व्यावहारिक रूप में लागू करने हेतु न केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की, बल्कि राजकोषीय संसाधनों की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विदित हो कि भारत का जी.डी.पी. उन देशों की तुलना में कम है जो सार्वजनिक सुविधाओं पर भारी खर्च कर रोज़गार सृजन करते हैं। भारत श्रम सुधार तथा रोज़गार सृजन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। हाल ही में भारत सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में परिवर्तित कर बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार की दिशा में ऐतिहासिक तथा सराहनीय कार्य किया है।

सी.बी.आई. जाँच के लिये दी जाने वाली सामान्य सहमति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केरल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में स्वेच्छा से कार्य करने के लिये दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है।

सामान्य सहमति (General Consent)

- 'राष्ट्रीय जाँच एजेंसी' (NIA) अपने स्वयं के एन.आई.ए. अधिनियम द्वारा शासित होती है और इसका अधिकार क्षेत्र देशभर में है। इसके विपरीत, सी.बी.आई. को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- इस प्रकार, सी.बी.आई. द्वारा किसी राज्य में जाँच करने के लिये उस राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य हो जाती है। इसमें दो तरह की सहमति होती है : किसी विशिष्ट मामले से सम्बंधित सहमति और सामान्य सहमति।
- दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सी.बी.आई. को दी गई सामान्य सहमति को वापस लिया जा सकता है।
- ध्यातव्य है कि सी.बी.आई. का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित है। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा सहमति देने के बाद यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से सम्बंधित मामले या अन्य मामलों की जाँच कर सकती है।

सहमति की आवश्यकता

- सामान्यत: सी.बी.आई. को सम्बंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने में मदद के लिये सामान्य सहमति दी जाती है।
- लगभग सभी राज्यों ने इस तरह की सहमति प्रदान की है, अन्य, किसी भी स्थिति में सी.बी.आई. को प्रत्येक मामले में सहमति की आवश्यकता होगी।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल के बाद केरल ने जाँच के लिये सी.बी.आई. को दी गई आम सहमति वापस ले ली है।

सामान्य सहमति को वापस लेने का तात्पर्य

- इसका तात्पर्य है कि सी.बी.आई. केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या इन राज्यों में तैनात किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ताजा मामला दर्ज नहीं कर सकती है।
- सामान्य सहमति को वापस लेने का सीधा अर्थ है, सी.बी.आई. अधिकारी द्वारा उस राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्राप्त उसकी सभी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी, जब तक कि राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

ऐसे राज्यों में सी.बी.आई. द्वारा किसी मामले की जाँच की स्थिति

- सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों में सी.बी.आई. के पास अब भी पुराने मामलों की जाँच करने की शक्ति होगी।
- यद्यपि सी.बी.आई. अभी भी दिल्ली से जुड़े किसी अपराध या उससे सम्बंधित मामलों में दिल्ली में केस दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारी व मुकदमे की कार्रवाई कर सकती है।
- सी.बी.आई. राज्य की किसी स्थानीय अदालत से वारंट प्राप्त कर सकती है और जाँच आदि का कार्य कर सकती है।

राज्यों द्वारा ऐसे निर्णयों का कारण

यदि कोई राज्य सरकार यह मानती है कि केंद्र के आदेशों से मंत्रियों, निर्वाचित सदस्यों या अधिकारियों को सी.बी.आई. द्वारा लक्षित किया जा रहा है और सामान्य सहमति वापस लेने से उनकी रक्षा हो सकती है तो राज्य सरकारें ऐसा करती हैं। हालाँकि, यह बहस की एक राजनीतिक धारणा है।

संस्कृति IAS The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा – अखिल मूर्ति
पेनड्राइव कोर्स
इन कोर्सेज़ के वीडियो के साथ-साथ पाठ्य-सामग्री प्रिंटेड फॉर्म में कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

प्रिलिम्स फैक्ट्स

सी.बी.आई. : प्रमुख तथ्य

- भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1963 को एक संकल्प पारित कर निम्नलिखित प्रभागों के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया :
  - अन्वेषण तथा भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग
  - तकनीकी प्रभाग
  - अपराध अभिलेख और सांख्यिकी प्रभाग
  - अनुसंधान प्रभाग
  - विधि तथा सामान्य प्रभाग
  - प्रशासन प्रभाग
- सी.बी.आई. कोई सांविधिक निकाय नहीं है क्योंकि इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।
- सी.बी.आई. आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों से सम्बंधित मामलों की जाँच करती है।
- सी.बी.आई. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) आदि की तरह सी.बी.आई. को भी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट प्राप्त है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

जम्मू-कश्मीर और रोशनी अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को 'गैर-कानूनी, असंवैधानिक और अव्यावहारिक' घोषित करते हुए इस अधिनियम के तहत हुए भूमि आवंटन की जाँच सी.बी.आई. द्वारा किये जाने के आदेश दिये हैं।

रोशनी अधिनियम

- जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि (कब्ज़ाधारी के लिये स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, 2001 को लोकप्रिय रूप से रोशनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- इस कानून के तहत, ऐसे लोग जिनके कब्ज़े में सरकारी ज़मीन थी, वे सरकार द्वारा तय की गई निश्चित रकम देकर इस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते थे।
- ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिये कटऑफ वर्ष 1990 निर्धारित किया गया था।
- बाद में जम्मू-कश्मीर में आने वाली सरकारों ने सुविधानुसार इस कटऑफ वर्ष को कई बार बदला।
- इस कारण सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आने लगे और रोशनी अधिनियम से जुड़े विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ भी सामने आईं।

- ध्यातव्य है कि सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख कनाल (कनाल– एक एकड़ का 8वाँ हिस्सा) भूमि पर कब्ज़ा किये या रह रहे लोगों को बाज़ार की दर पर भूमि का हस्तांतरण करके लगभग 25,000 करोड़ रुपए अर्जित करना था।
- सरकार का कहना था कि भूमि हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व का प्रयोग नई पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत के लिये किया जाएगा, इस वजह से इस अधिनियम का नाम 'रोशनी' पड़ गया।
- विदित है कि उद्देश्यों में विफल रहने के कारण 28 नवम्बर, 2018 को जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने रोशनी अधिनियम को रद्द कर दिया था।

हालिया विवाद क्या है?

- इस वर्ष अक्तूबर में, उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को 'असंवैधानिक' घोषित करते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित सरकार को जमीन हड़पने वालों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश दिये।
- आदेश के बाद सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इस अधिनियम के लाभार्थियों के नाम सार्वजानिक करने शुरू किये।
- जो शुरूआती नाम वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए उनमें से अधिकतर जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों के थे, इनमें से अधिकतर नेता गुपकर घोषणा से जुड़े दलों के थे। इसके आलावा कुछ नाम होटलों और ट्रस्ट संचालकों के भी थे। ध्यातव्य है कि 'गुपकर घोषणा' जम्मू-कश्मीर की 'विशेष स्थिति' की पुनर्बहाली हेतु संघर्ष के लिये एक संकल्प प्रस्ताव है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के प्रमुख छः दल सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर की पहचान, स्वयत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिये एकजुट रहेंगे।

क्या था घोटाला?

- इस अधिनियम के तहत हुए भूमि हस्तांतरणों की जाँच में पाया गया कि गुलमर्ग में भूमि कई अयोग्य लाभार्थियों को दी गई थी।
- इसके अलावा, कई सरकारी अधिकारियों ने अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था और अनेक जगहों पर राज्य भूमि का स्वामित्व ऐसे लोगों को दे दिया था, जो रोशनी अधिनियम के तहत पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
- कैग की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि लक्षित 25,000 करोड़ रुपए के मुकाबले, वर्ष 2007 और वर्ष 2013 के बीच भूमि के हस्तांतरण से केवल 76 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी।
- कैग की रिपोर्ट में स्थाई समिति द्वारा तय की गई कीमतों में मनमानी तथा अनियमितताओं को मुख्य वजह बताते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह घोटाला राजनेताओं और सम्पन्न लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

न्यायाधीशों का स्वयं को मामलों से अलग करना

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ध्यातव्य है कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने के एक मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
- जगनमोहन पर आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए न सिर्फ प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा, बल्कि प्रेस कान्फ्रेंस कर झूठे बयान भी दिये। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि वह इस पीठ में नहीं रहेंगे क्योंकि एक वकील के रूप में उन्होंने इसमें से एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।

न्यायाधीशों का खुद को मामलों से अलग करना

- हितों के टकराव या किसी मामले में पक्षकारों के साथ पूर्व सम्बंध होने की दशा में अक्सर न्यायाधीश या नीति निर्धारक खुद को मामले से अलग (Recusal of Judges) कर लेते हैं।
- उदाहरण के तौर पर, यदि न्यायालय में किसी ऐसी कम्पनी से जुड़ा मामला आता है जिसमें खुद न्यायाधीश शेयरधारक हैं, तो यहाँ न्यायाधीश की मंशा पर संदेह हो सकता है। अत: ऐसी परिस्थितियों में वे प्राय: खुद को मामले से अलग कर लेते हैं।
- यद्यपि इस वजह से मामलों की सुनवाई में अनिवार्य रूप से देरी आती है तथा मामला मुख्य न्यायाधीश के पास वापस पहुँच जाता है और पुन: एक नई खंडपीठ का गठन किया जाता है।

क्या है नियम?

- न्यायालयों में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई से न्यायाधीशों के अलग होने के विषय पर कोई लिखित नियम नहीं है। इसे न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।
- यदि वे मामले से खुद को अलग करते हैं तो इसके लिये कोई न्यायिक आदेश नहीं निकालना पड़ता है। कुछ न्यायाधीश, मामले में शामिल वकीलों को मौखिक रूप से बता देते हैं जबकि कुछ न्यायाधीश नहीं बताते हैं।

निष्कर्ष

- खुद को मामलों से अलग कर लेना अक्सर कर्तव्य से विमुखता भी माना जाता है। वर्ष 2015 में एन.जे.ए.सी. के फैसले में अपनी राय देते हुए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पारदर्शिता स्थापित करने के लिये न्यायधीशों द्वारा खुद को मामलों से अलग होने के कारणों को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।
- पारदर्शी और जवाबदेह होना न्यायाधीशों का संवैधानिक कर्तव्य है, जो उनकी शपथ में भी प्रतिबिम्बित होता है। अत: किसी भी न्यायाधीश द्वारा उन कारणों का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जिनकी वजह से वे किसी मामले से अलग हुए हों।

दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर जी.एस.टी.

- हाल ही में दिव्यांगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सहायक उपकरणों पर 5% जी.एस.टी. लगाए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्त्ता (निपुण मल्होत्रा बनाम भारत संघ) का तर्क है कि दिव्यांगों के लिये व्हीलचेयर, तिपहिया वाहन, ब्रेल पेपर और ब्रेल घड़ियाँ आदि सहायक उपकरणों पर लगाया गया कर भेदभावपूर्ण है। इन उत्पादों पर जी.एस.टी. अधिरोपण दिव्यांगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है।
- न्यायालय ने इस संदर्भ में संकेत दिया कि कर उदग्रहण की समीक्षा के मामले में उसकी शक्ति सीमित है, क्योंकि कर लगाने का निर्णय एक नीतिगत विषय है, अत: न्यायपालिका को सामान्यत: इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस मामले को स्थगित करने से पूर्व न्यायालय ने सुझाव भी दिया कि याचिकाकर्त्ता द्वारा जी.एस.टी. परिषद् को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करके विकल्पों को समाप्त कर दिया गया है। कौन-से उत्पादों पर किस दर से कर निर्धारित किया जाना है, इसके लिये जी.एस.टी. परिषद् एक शासी निकाय है।

गतिशील सहायता उपकरणों पर कर अधिरोपण

- वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपण से पूर्व सहायक उपकरणों को अप्रत्यक्ष करों से पूरी तरह छूट प्राप्त थी। वस्तुत: ऐसे उत्पादों को प्रत्येक राज्य में मूल्य-वर्धित करके भुगतान से भी छूट दी गई थी। जी.एस.टी. के अधिरोपण के बाद इन उपकरणों पर 18% कर लगाया गया था, जिसे बाद में घटाकर 5% कर दिया गया। लेकिन दिव्यांगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतें इस दर पर भी कई गुना बढ़ जाती है। सरकार का कहना है कि इन उत्पादों को कराधान से पूर्णत: राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा करने से घरेलू विनिर्माता हतोत्साहित होंगे।

- हालाँकि घरेलू विनिर्माता अंतिम खरीदार द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल पर किये गए कर भुगतान पर "इनपुट टैक्स क्रेडिट" का दावा कर सकते हैं। नीति-निर्माताओं का तर्क है कि अंतिम उत्पाद पर जी.एस.टी. नहीं लगाने की स्थिति में विनिर्माता पर आई.टी.सी. का अधिक बोझ पड़ेगा। चूँकि वह किये गए कर भुगतान के लिये किसी भी क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता है, जिससे उसे अंतिम उत्पाद की कीमतों को उच्चतर रूप से देना होगा। जिसके फलस्वरूप घरेलू विनिर्माता विदेशी निर्माताओं के समान नुकसान की स्थिति में रहेंगे।

विवाद का विषय

- मुख्य रूप से यह विवाद दो मामलों से सम्बंधित है, पहला विवाद जी.एस.टी. परिषद् द्वारा जारी विभिन्न पूर्व अधिसूचनाओं में मानव की ज़रूरतों के लिये आवश्यक कई उत्पादों को कर से छूट दी गई है। दूसरा इन मामलों में विनिर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से रोकना विधायी क्षेत्र का मामला है।

न्यायालय तथा कर उदग्रहण (LEVY)

- सामान्यत: न्यायपालिका विधायी और कार्यकारी क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन यहाँ यह सुनिश्चित करना होगा कि कर कानून किसी भी तरह से न्यायिक समीक्षा के लिये पूर्णत: अयोग्य नहीं हैं। करों का सीधा सम्बंध सामाजिक व्यवस्था से होता है। किसी उत्पाद पर लगाए गए कर की प्रकृति और दर दोनों एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिये एक स्वतंत्र देश की न्यायपालिका को यह जानने का अधिकार होना चाहिये कि कर का अधिरोपण एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। जैसा कि हाल ही में कनाडा और कोलम्बिया की शीर्ष अदालतों द्वारा किया गया।

आगे की राह

घरेलू विनिर्माताओं को उनके द्वारा किये गए कर भुगतान के लिये आई.टी.सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। कराधान से मुक्त उत्पादों पर लिया गया कोई भी निर्णय सामाजिक सरोकार का विषय है। दिव्यांग वर्ग की स्थिति को देखते हुए ध्यान दिया जाना चाहिये कि यह हमारे न्यायिक समानता के तार्किक विचार के अनुरूप हो तथा इसमे असमानता या भेदभाव परिलक्षित न हो। इन करों के उदग्रहण की विफलता को जी.एस.टी. लेवी का भेदभावपूर्ण होना कहा जा सकता है। सरकार के पास इन वस्तुओं को कर से मुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं से अलग मानने के कई कारण हैं। राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में (अनुच्छेद 41, 46) राज्य को नि:शक्त एवं दुर्बल वर्गों के लोकहित में नीति-निर्माण करने का निदेश दिया है। राज्य द्वारा इन निदेशों का पालन करते हुए सहायक उपकरणों को कर भुगतान से पूर्णत: छूट देने पर उसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. परिषद् कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के समान सहायक उपकरणों पर लगाए गए कर पर पूरी तरह छूट दे सकती है।

चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस कॉर्नर

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से तमिलनाडु के त्रिची/तिरुचिरापल्ली में, पुलिस विभाग ने पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस कॉर्नर की शुरुआत की है। यह भारत में अपने तरह का पहला प्रयास है। तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में करीब 10 जगहों पर इस तरह के पुलिस विंग की शुरुआत की गई है।

मुख्य बिंदु

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों के प्रति हिंसा की घटनाओं की जाँच करने और अपराध में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिये बनाया गया था।
- अधिनियम के अनुसार किशोर अपराधी को थाने नहीं लाया जाना चाहिये और पुलिस की वर्दी में किशोर से पूछताछ नहीं होनी चाहिये। किसी भी कीमत पर बच्चों को गिरफ्तार या कैद नहीं किया जाना चाहिये।

इन नियमों का पालन कराने और शिकायत दर्ज कराने वालों को अनुकूल वातावरण देने के लिये बाल मित्र पुलिस कॉर्नर यानी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस कॉर्नर बनाया गया है।

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि पुलिस कॉर्नर में आते समय बच्चे डरें नहीं, दीवारों को चित्रों और रंगों से सजाया गया है। किशोरों से जुड़ी सभी शिकायतों को सम्बंधित पुलिस थाने के कानून व्यवस्था निरीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर) के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा।
- तमिलनाडु देश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाले राज्यों की सूची में सातवें स्थान पर है। अतः बच्चों के खिलाफ हिंसा को कम करने और शिकायत के पंजीकरण को आसान बनाने के लिये आयोग के सहयोग से त्रिची पुलिस सर्कल में बाल मित्र पुलिस कॉर्नर की स्थापना की गई है।

अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अंतर-संसदीय संघ की शासी परिषद् के 206वें सत्र का आयोजन असाधारण आभासी सत्र के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण इसे आई.पी.यू. की सम्पूर्ण वैधानिक सभा के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है।

उद्देश्य

आभासी सत्र के उद्देश्य में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के माध्यम से आई.पी.यू. के नए अध्यक्ष का चुनाव कराना शामिल है, क्योंकि इस महीने आई.पी.यू. के निवर्तमान अध्यक्ष (मैक्सिको से) का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके नए अध्यक्ष के चुनाव के लिये चार उम्मीदवार पुर्तगाल, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और कनाडा से हैं।

आई.पी.यू. के बारे में

- अंतर-संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और इसके सदस्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है।
- आई.पी.यू. की स्थापना वर्ष 1889 में अंतर-संसदीय कांग्रेस के रूप में हुई थी, जिसके संस्थापक फ्रांस के फ्रेडेरिक पैसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर थे। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- वर्ष 2020 तक 179 देशों की राष्ट्रीय संसदें आई.पी.यू. की सदस्य हैं, जबकि 13 क्षेत्रीय संसदीय सभाएँ सहयोगी सदस्य हैं।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिये 'आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' (Essential Services Maintenance Act : ASMA) की समयावधि को 6 माह के लिये बढ़ा दिया है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा)

- आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, 1968 भारतीय संसद द्वारा निर्मित एक कानून है, जिसका उद्देश्य कुछ महत्त्वपूर्ण सेवाओं (ऐसी सेवाएँ जिनके बाधित होने से सामान्य जन-जीवन प्रभावित होता है, जैसे-सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। भारत में प्रत्येक राज्य का

अपना अलग 'आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' है।

- एस्मा को जिस सेवा या विभाग पर लगाया जाता है उससे सम्बंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते अन्यथा हड़तालियों को 6 माह की कैद अथवा 250 रुपए का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।
- इस अधिनियम में कुल 6 धाराएँ हैं। किसी अन्य कानून से टकराव की स्थिति में एस्मा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। एक बार में एस्मा को अधिकतम 6 माह के लिये ही लागू (सार्वजानिक घोषणा के माध्यम से टीवी या रेडियो से) किया जा सकता है।

न्याय कौशल (Nyay Kaushal)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के पहले ई-रिसोर्स सेंटर 'न्याय कौशल' का 'न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान' नागपुर में उद्घाटन किया गया है।

उद्देश्य

- यह केंद्र उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और ज़िला अदालतों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान कर देश में न्यायिक व्यवस्था को गति प्रदान करेगा।
- इस केंद्र के द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अदालत में लम्बित मामलों को आसान तरीके से दर्ज करके समय की बचत, कम परिश्रम, यात्रा लागत में कमी आदि लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही, ये वर्चुअल कोर्ट पूरे महाराष्ट्र के ट्रैफिक चालान मामलों, वादी के जुर्माना अदा करने और यातायात चालान मामलों का निपटारा स्मार्टफोन या कम्प्यूटर द्वारा कर सकेगा।
- यह वर्चुअल कोर्ट नागपुर जिले के काटोल से काम करेगा। इसमें देश भर के न्यायाधीश ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- ध्यातव्य है कि भारत में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में की गई थी, जिसमें वर्चुअल कोर्ट को लगभग 27 लाख चालान प्राप्त हुए थे तथा सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से 19.8 करोड़ रुपए वसूले गए थे। अब तक ई-कोर्ट वेबसाइटों के माध्यम से लगभग 202.35 करोड़ का लेनदेन किया जा चुका है, जबकि अधिवक्ताओं और वादियों को लगभग 4.84 करोड़ ई-मेल भेजे जा चुके हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा रोज़गार प्रोत्साहन हेतु आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की है।

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

- इस योजना के तहत, कोरोना काल में नौकरी गँवाने वाले (15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले) कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। योजना की शुरुआत 1 अक्तूबर, 2020 से मानी जाएगी।
- इसके अंतर्गत रोज़गार पाने वाले ऐसे नए लोगों को भी कवर किया जाएगा जो पहले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कवर नहीं थे।
- इस योजना का उद्देश्य नए रोज़गार अवसरों को प्रोत्साहन देने के साथ ही नई भर्तियाँ करने वाली एजेंसियों या प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान करना है।
- 1,000 कर्मचारियों के साथ कार्यरत संस्था को केंद्र सरकार द्वारा रिटायरमेंट फंड में आगामी 2 वर्षों तक कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान का 12% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जबकि 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र केवल कर्मचारी के हिस्से का 12% देगा।

स्वास्थ्य

फूड फोर्टिफिकेशन तथा इससे सम्बंधित पहलू

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अगले तीन वर्षों में कुछ पोषक तत्त्वों से चावल के अनिवार्य फोर्टिफिकेशन या पौष्टिकीकरण की योजना बनाई है।

फूड फोर्टिफिकेशन (Food Fortification)

'फूड फोर्टिफिकेशन' अथवा 'खाद्य पौष्टिकीकरण' से तात्पर्य किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया से है, ताकि इन खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य में सुधार हो सके और न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया सके।

योजना के प्रमुख बिंदु

- 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) अगले तीन वर्षों में चावल के फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है। इससे प्रत्येक वित्त वर्ष में अनुमानित 2,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एफ.एस.एस.ए.आई. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत देश का शीर्ष खाद्य नियामक है।
- सरकार की योजना लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे पोषक तत्त्वों से चावल के अनिवार्य फोर्टिफिकेशन की है। इससे फोर्टिफाइड चावल की कीमत में 60-70 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने का अनुमान है।
- उल्लेखनीय है कि एफ.एस.एस.ए.आई. वर्ष 2018 से फोर्टिफिकेशन पर ज़ोर दे रहा है। वर्ष 2018 में इसे फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिये एक नया '$F' लेबल लॉन्च किया है। साथ ही इसे गेहूँ के आटे, चावल, दूध, खाद्य तेल और डबल फोर्टिफाइड नमक सहित पाँच श्रेणियों में फोर्टिफिकेशन के लिये मानक तय किये थे। हालांकि इन मानकों का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

कारण

- एनीमिया (रक्ताल्पता) के प्रसार को रोकने और इस समस्या से निपटने के लिये सरकार फूड फोर्टिफिकेशन की योजना बना रही है।
- प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, चावल 70% से अधिक भारतीय जनसंख्या का मुख्य खाद्य है, अतः इसके फोर्टिफिकेशन से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुँचेगा।
- फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया एक व्यवहार्य प्रस्ताव है, क्योंकि इस योजना को प्रारम्भ करने के कुछ वर्षों में भारत में एनीमिया की घटनाओं में लगभग 35% की कमी आने की सम्भावना है।

एनीमिया और भारत

- एनीमिया ऐसा रोग है, जिसमें किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है।
- एनीमिया का सबसे आम कारण पोषक तत्त्वों की कमी है, विशेष रूप से लौह की कमी। इससे शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 6-59 महीने की आयुवर्ग के लगभग 58% बच्चे और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं पर किये गए सर्वेक्षण में लगभग 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित थीं।
- एनीमिया के कारण जनसंख्या की कम उत्पादकता से राष्ट्र को आर्थिक नुकसान पहुँचता है।

फोर्टिफिकेशन से हानियाँ

- 'सतत् और समग्र कृषि हेतु गठबंधन' (ASHA) ने कई नकारात्मक परिणामों का हवाला देते हुए एफ.एस.एस.ए.आई. से खाद्य तेल और चावल के फोर्टिफिकेशन की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है।
- इस निर्णय से असहमत होने का एक प्राथमिक कारण फोर्टिफाइड चावल के लाभों की प्रमाणिकता का अभी तक सिद्ध न होना था।
- साथ ही आशा के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि चावल के फोर्टिफिकेशन से एनीमिया होने के जोखिम में बहुत कम या लगभग न के बराबर अंतर आया है।
- साथ ही फोर्टिफाइड चावल के अधिक सेवन को लेकर भी चिंताएँ हैं। फूड फोर्टिफिकेशन और 'आयरन टैबलेट सप्लिमेंटेशन' से महिलाओं के शरीर में आयरन की अधिकता हो सकती है।
- आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह कदम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये एक सुनिश्चित बाज़ार (Assured Market) का निर्माण करेगा, जिससे भारत में चावल और तेल प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों के लिये खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- तीसरा कारण यह है कि इस तरह के कदम से जैव-विविधता के नष्ट होने का खतरा होता है, जो मोनोकल्चर में वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य को कम करेगा।

अन्य विकल्प

- फोर्टिफिकेशन का एक विकल्प अमृत कृषि के माध्यम से खाद्य फसलों को उगाना है। यह एक जैविक कृषि तकनीक है, जो खाद्य पोषण में वृद्धि करेगा।
- एक अन्य उपाय माताओं द्वारा शिशुओं को उचित स्तनपान कराना है। यह शुरुआती 1,000 दिनों में पोषण की कमी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- एक तीसरा तरीका किचन गार्डन का है। महाराष्ट्र में एक अध्ययन से पता चला है कि जैविक रूप से किचन गार्डन में उगाई गई सब्ज़ियाँ हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक रही हैं।
- चौथा विकल्प सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम प्रसंस्कृत या बिना पॉलिश किये हुए चावल को शामिल करना है। इससे राइस ब्रान (भूसीयुक्त चावल) लोगों तक पहुँच सकेगा, जो विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का एक समृद्ध स्रोत है।
- अंततः एफ.एस.एस.ए.आई. भारत में पैदा होने वाले विविध प्रकार के अनाज, सब्ज़ियों, फलों और अन्य फसलों के बारे में भी जागरूकता फैला सकता है।

नारकोटिक्स मामले में स्वीकारोक्ति पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि नशीले पदार्थो के सेवन और तस्करी सम्बंधी मामलों में 'स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम' (NDPS) की धारा 67 के तहत जाँच अधिकारियों के समक्ष आरोपियों द्वारा दिये गए बयान का उन्हें दोषी ठहराने के लिये साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे मूल अधिकारों के संदर्भ में समानता और आत्म-दोषारोपण के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद-20) का उल्लंघन माना जाएगा।

निर्णय की पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने 'तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य' के मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया था।
- न्यायपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत किसी अधिकारी के समक्ष दिये गए गोपनीय बयान यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के आधार के रूप में उपयोग किये जाते हैं, तो वह "संवैधानिक गारंटी का प्रत्यक्ष उल्लंघन" होगा।
- वर्तमान में न्यायालय का यह फैसला कई मामलों, जिनमें कथित ड्रग मामले की जाँच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा की जा रही है, के संदर्भ में साक्ष्यों को प्रभावित करेगा।

विवाद के संदर्भ में न्यायालय का वर्तमान पक्ष

- ध्यातव्य है कि न्यायालयों के पूर्व फैसलों में पुलिस अधिकारी और उनके समक्ष दिये गए बयानों की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में विपरीत राय देखी गई है। चूँकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकारियों को 'पुलिस अधिकारी' के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें 'एक थाने के प्रभारी अधिकारी' की शक्तियाँ दी जाती हैं, इसलिये उन्हें दिये गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में 'पुलिस अधिकारी' की परिभाषा को विस्तारित करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों से तात्पर्य केवल राज्य पुलिस बल से सम्बंधित पुलिस अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि अन्य विभागों से सम्बंधित ऐसे अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
- विदित है कि आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA) (निरसित) तथा आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA) सहित अन्य विशेष अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्तिपूर्ण बयानों को न्यायालय ने कई मामलों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है किंतु न्यायालय के अनुसार इन अधिनियमों में रक्षोपाय निहित हैं।
- एन.सी.बी. द्वारा विशिष्ट औषधि-रोधी जाँच एजेंसी में अधिकारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय सहित सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

न्यायपीठ में असहमति

इस पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बनर्जी ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को, जिसमें कठोर अपराधी शामिल हों, एक संगठित अपराध माना है। उनके अनुसार, इन मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर अधिक बल देना अपराधियों के भयमुक्त होने का प्रमुख कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक पर अधिक निर्भरता के कारण दोषी अपराधियों को बिना दंड के (Scot Free) जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम वर्ष 1985 में लाया गया था, जिसे वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था। नशीले पदार्थों के सेवन से बढ़ते खतरों के कारण वर्ष 1998 में राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान (NCDAP) की स्थापना की गई जिसमे मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो की भूमिका और व्यापक कर दी गई तथा इसे मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने का काम सौंपा गया।
- एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 71 सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, नोडल एजेंसी के रूप में शराब और मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे एकीकृत पुनर्वास केंद्र को सहायता प्रदान कर रहा है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

अनुच्छेद-20 : अपराधों के लिये दोष सिद्धि के सम्बंध में संरक्षण–

1. कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकता था।
2. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
3. किसी अपराध के लिये अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।

आतंकवाद (निवारण) अधिनियम, 2002 (POTA)

देश में आतंकवाद पर अकुंश लगाने के उद्देश्य से आतंकवाद (निवारण) अधिनियम (POTA) को लागू किया गया था। इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया जो 2 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ एक अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया।

रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता

चर्चा में क्यों?

- सम्पूर्ण विश्व में रोगाणुरोधी (एंटी माइक्रोबियल) जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवम्बर तक मनाया गया। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पूरी तरह से विकसित और लम्बे समय तक टिकने वाली महामारी है, जो विगत कई वर्षों से जानलेवा साबित हो रही है और अभी भी इस दिशा में ठोस विनियमन का अभाव है।
- एक अनुमान के अनुसार, ऐसे संक्रमणों में दवा भी असर नहीं करती और विश्व भर में हर वर्ष लगभग सात लाख लोगों की मौत हो रही है।
- यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2050 तक एक साल में मरने वालों की संख्या एक करोड़ तक पहुँच जाएगी। अर्थात् वर्ष 2050 तक हर दिन 27,400 (हर घंटे लगभग 1,140) लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये आँकड़े कोविड-19 से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा हैं।

मुख्य बिंदु

- यदि स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिये एंटीबायोटिक दवाएँ अहम बचाव हैं और चूँकि लोगों को किसी भी दवा की दुकान से आसानी से मिल जाती है, अतः लोगों तक इसकी पहुँच भी ज़्यादा है।
- वर्तमान में रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी कम होती एंटीमाइक्रोबियल क्षमता मानव स्वास्थ्य के लिये बहुत बड़ा खतरा है। एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस (AMR) तब होता है, जब कोई सूक्ष्मजीवी जो पहले एंटीबायोटिक से प्रभावित होता था, धीरे-धीरे उस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ले और वह एंटीबायोटिक उस पर बेअसर हो जाए।
- प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना विकास सम्बंधी प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया एंटीबायोटिक की मौजूदगी से तेज़ हो जाती है। इससे प्रतिरोध कर पाने वाले सूक्ष्मजीवी बच जाते हैं और बाकी नष्ट हो जाते हैं।
- इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि वैयक्तिक और सामुदायिक दोनों स्तरों पर एंटीबायोटिक के सेवन में और बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में गहरा सम्बंध हैं।

- वर्ष 2015 में अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिज़ीज़ डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट- द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एंटीबायोटिक्स में दो विशेष कारण बताए गए, जिनकी वजह से वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक के सेवन में बढ़ोतरी हो रही है।
  - आमदनी बढ़ने से एंटीबायोटिक दवाएँ ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ रही हैं और इससे जानें बच रही हैं, लेकिन इससे एंटीबायोटिक की उचित और अनुचित दोनों तरह की खपत भी बढ़ रही है। इसके चलते प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है।
  - कृषि में भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बढ़ रहा है (पशुओं के भोजन के लिये), जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है।

प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना

- अगस्त 2014 में द लैंसेट इंफेक्शस डिज़ीज़ेस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000 और 2010 के बीच विश्व भर में एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन में होने वाली कुल वृद्धि का 76% ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में देखा गया। इसमें से 23% हिस्सेदारी अकेले भारत की थी।
- वर्ष 2013 और 2014 के बीच भारत में 12.6 अरब डॉलर की दवा की बिक्री हुई थी, जिसमें से एंटी माइक्रोबियल दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 16.8% थी।
- व्यापक स्वास्थ्य बीमा लाभ और आर्थिक जोखिम को कम करने की प्रक्रिया के न होने की वजह से इस बिक्री का एक बड़ा हिस्सा आउट ऑफ पॉकेट यानी जेब से बाहर के खर्चों से किया गया।
- भारत के सामने एक जटिल परिस्थिति है। जहाँ एक तरफ शहरी इलाकों और प्राइवेट सेक्टर में नए तरीके की एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जो सम्भावित रूप से ए.एम.आर. की वजह बन रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एंटीबायोटिक की कमी के चलते लोग रोगों के शिकार होने की वजह से समय से पहले ही मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।
- अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2012 और 2016 के बीच भारत में एंटीबायोटिक का प्रतिव्यक्ति सेवन लगभग 22% बढ़ गया था।
- हालाँकि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत की दर यूरोप के मुकाबले कम है, फिर भी कार्बापेनेम्स, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन और बीटा-लेक्टामैस इन्हीबिटर युक्त पेनिसिलिन जैसी नई प्रकार के एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ रहा है।
- द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार, जिन देशों में प्रति व्यक्ति एंटीबायोटिक की खपत ज़्यादा होती है, वहाँ टीबायोटिक प्रतिरोध की दर ज़्यादा है। एंटीबायोटिक के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल भारत में ए.एम.आर. डाटा इस चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है।
- एक अन्य अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि 70% एन्टेरोबैक्टीरियासै (स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली जगहों में संक्रमण फैलाने वाले एक प्रकार का बैक्टीरिया) सिफालोस्पोरिन के लिये प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर चुका है। एन्टेरोबैक्टीरियासै उपजाति में से क्लेबसिएला और ई-कोलाई बैक्टीरिया थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन (80%) के प्रति प्रतिरोधी पाए गए।
- ए.एम.आर. की यह परिस्थिति और भी जटिल इसलिये हो जाती है क्योंकि उत्पादकों के पास नए एंटीबायोटिक बनाने की कोई नई योजना नहीं है। खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण ने वर्ष 2008 से 2012 के बीच सिर्फ 3 रोगाणुरोधी दवाओं को स्वीकृति दी, जबकि वर्ष 1983 से 1987 के बीच में 16 दवाओं को स्वीकृति मिली थी।
- साथ ही, कई नई एंटीबायोटिक दवाएँ जो हाल ही में बाज़ारों में उतारी गई हैं, वे एंटीबायोटिक्स की एक सीमित श्रेणी से तैयार की गई हैं, जिसे 1980 के दशक के मध्य खोजा गया था।

सामाजिक असर

- एंटीबायोटिक्स को 'ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स' क्लासिक केस की तरह देखा जा सकता है, जिसमें लोग अपने निजी स्वार्थ के लिये किसी ऐसे संसाधन को नष्ट कर देते हैं, जिस पर सबका अधिकार है।
- ए.एम.आर. के कारण बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से कामकाजी आबादी भी घटेगी और इससे मज़दूर वर्ग की कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी।
- इतना ही नहीं, मज़दूर परिवार में काम न करने वाला कोई सदस्य अगर ए.एम.आर. के चलते बीमार पड़ता है तो परिवार के अन्य कामकाजी सदस्यों को उसकी देखभाल में लगना पड़ता है, जिससे श्रम आपूर्ति कम होती है। श्रमिक आपूर्ति पर पड़ने वाले इस नकारात्मक प्रभाव को आर्थिक सम्बंध में मापा जा सकता है। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ए.एम.आर. का आर्थिक असर कहेंगे।
- आसान शब्दों में कहा जाए तो ए.एम.आर. के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में होने वाली प्रत्यक्ष वृद्धि को अतिरिक्त जाँचों, अतिरिक्त इलाज और अस्पताल में अधिक दिनों तक भर्ती रहने के खर्चों से जोड़कर देखा जा सकता है।

सम्भावित नुकसान

- अध्ययन बताते हैं कि अकेले यूरोपीय संघ में ही ए.एम.आर. के अतिरिक्त भार के रूप में लोगों को लगभग 25 लाख दिन अस्पताल में बिताने पड़ते हैं, 25000 मौतें होती हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा खर्चों एवं उत्पादकता में गिरावट के कारण 1.5 अरब यूरो का नुकसान होता है।
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा ए.एम.आर. पर गठित की गई एक समीक्षा समिति ने बताया कि वर्ष 2050 तक दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोगों की जान जाने की आशंका है। अभी यह आँकड़ा 70 लाख के करीब है।
- नुकसान के सभी पहलुओं को साथ रखा जाए तो दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके संक्रमणों की वजह से कुल मिलकर 100 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी पर ए.एम.आर. का प्रभाव बेहद चिंताजनक है। अगर ए.एम.आर. का अधिक प्रभाव पड़ता है तो अतिरिक्त 24 मिलियन लोग 2030 तक गरीबी में आ जाएंगे और दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा प्रभाव कम आय वाले देशों पर पड़ेगा।

आगे की राह

- बढ़ती ए.एम.आर. दरों का आर्थिक प्रभाव फिलहाल वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है, न सिर्फ इसलिये क्योंकि ये स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये एक खतरा है बल्कि इसलिये भी क्योंकि इसके आर्थिक परिणाम काफी भयावह होंगे।
- 21 सितम्बर, 2016 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में ए.एम.आर. पर हुई उच्च-स्तरीय बैठक ने इसा समस्या से निपटने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को और पुख्ता कर दिया है।
- भारत सहित सभी देशों को चाहिये कि इस क्षेत्र में सख्त विनियमन के साथ ही लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाए क्योंकि बड़े स्तर पर लोगों में भी जागरूकता का अभाव है।

बल्क ड्रग पार्क

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश ने बल्क ड्रग पार्क के आवंटित किये जाने की मांग की है।

बल्क ड्रग या ए.पी.आई. क्या हैं?

- बल्क ड्रग, जिन्हें 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient –API) भी कहा जाता है, किसी दवा या ड्रग के प्रमुख घटक होते हैं, जो दवा या ड्रग को वांछित चिकित्सकीय प्रभाव देते हैं।
- प्रत्येक दवा दो मुख्य अवयवों से बनी होती है। इनमें से एक अवयव है रासायनिक रूप से सक्रिय ए.पी.आई. तथा दूसरा अवयव रासायनिक रूप से निष्क्रिय (Excipients) घटक होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो ए.पी.आई. के प्रभाव को शरीर के किसी हिस्से या किसी प्रणाली में पहुँचाता है। इन दोनों अवयवों को मिलाकर ही किसी औषधि का फॉर्मूला तैयार किया जाता है।
- ए.पी.आई. एक रासायनिक यौगिक है, जो किसी दवा को अंतिम रूप से उत्पादित करने हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है।
- चिकित्सा के क्षेत्र में ए.पी.आई. ही किसी बीमारी को ठीक करने के लिये आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर पैरासिटामॉल, क्रोसिन के लिये एक ए.पी.आई. है और यह पैरासिटामॉल ए.पी.आई. ही शरीर में दर्द और बुखार से राहत देता है, जबकि एम.जी. (mg) किसी दवा में उपस्थित सक्रिय औषधीय अवयव की मात्रा प्रदर्शित करती है, जैसे– क्रोसिन 450 एम.जी. का अर्थ है कि इस टेबलेट में 450 एम.जी. सक्रिय औषधीय अवयव हैं।
- फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन ड्रग (औषधि) विभिन्न ए.पी.आई. का उपयोग करते हैं, जबकि क्रोसिन जैसी सिंगल-डोज ड्रग सिर्फ एक ए.पी.आई. का उपयोग करते हैं।
- बुनियादी कच्चा माल या प्राथमिक रसायन जो ए.पी.आई. बनाने के लिये विभिन्न अभिक्रियाओं से गुज़रते हैं उन्हें प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री (Key Starting Material) या के.एस.एम. कहा जाता है।
- इन अभिक्रियाओं के दौरान मध्यवर्ती चरणों में बनने वाले रासायनिक यौगिकों को दवा मध्यवर्ती (Drug Intermediates) या डी.आई. कहा जाता है।

भारत बल्क ड्रग पार्क को क्यों बढ़ावा दे रहा है?

- भारत दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्युटिकल उद्योगों में से एक (परिमाण के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा) है, लेकिन यह उद्योग ए.पी.आई. डी.आई.एस. और के.एस.एम. के आयात के लिये बड़े पैमाने पर अन्य देशों, विशेष रूप से चीन पर निर्भर है।
- ध्यातव्य है कि इस वर्ष भारत में दवा निर्माताओं को आयात में लगातार आ रहे व्यवधानों के कारण बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- पहले लॉकडाउन के कारण चीन में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फिर पूरे विश्व में महामारी फैलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई।
- भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष ने व्यापार समीकरणों को और खराब कर दिया।

केंद्र की योजना क्या है?

- केंद्र की योजना आम बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिये एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान करके देश के तीन चयनित पार्कों के निर्माण में सहायता प्रदान करने की है।
- सरकार आम सुविधाओं की लागत का 70% अनुदान सहायता के रूप में देगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों के मामले में यह सहायता 90% होगी।
- केंद्र प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगा।
- एक राज्य केवल एक साइट का प्रस्ताव कर सकता है, जो क्षेत्र में एक हज़ार एकड़ से कम न हो या पहाड़ी राज्यों के मामले में 700 एकड़ से कम ना हो।

बल्क पार्क क्या प्रदान करता है?

- बल्क ड्रग पार्क में ए.पी.आई, डी.आई, या के.एस.एम. के अनन्य निर्माण के लिये सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ भूमि का एक निर्दिष्ट सन्निहित क्षेत्र होगा और एक सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी होगी।
- इन पार्कों से देश में थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में कमी आने और घरेलू बल्क ड्रग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है।

हिमाचल ही क्यों?

- हिमाचल में पहले से ही एशिया का सबसे बड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र (Baddi-Barotiwala-Nalagarh Industrial Belt) है और यह राज्य भारत की कुल दवा निर्माण का लगभग आधा हिस्सा उत्पादित करता है।
- हिमाचल प्रदेश, देश में सबसे कम दरों पर बिजली और पानी प्रदान करता है और यहाँ एक औद्योगिक गैस पाइपलाइन भी है।
- हिमाचल प्रदेश ने पिछले महीने केंद्र द्वारा घोषित की गई व्यापार रैंकिंग में नौ स्थान की छलांग लगाते हुए देश में सातवाँ स्थान हासिल किया है।

कोरोनो वायरस में D614G उत्परिवर्तन

सम्पूर्ण विश्व में नॉवेल कोरोनो वायरस कई उत्परिवर्तनों से गुज़र रहा है, इन सभी उत्परिवर्तनों में से एक विशेष उत्परिवर्तन, जिसे D614G नाम दिया गया है, वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रमुख स्वरूपों में से एक हो गया है।

D614G उत्परिवर्तन (D614G Mutation)

- जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो यह बहुगुणन द्वारा स्वयं की प्रतियाँ बनाने लगता है। जब भी यह इस गुणन प्रक्रिया में कोई त्रुटि करता है तो नया उत्परिवर्तन देखने को मिलता है।
- इस नए उत्परिवर्तन के मामले में वायरस ने अमीनो एसिड के 614 वें स्थान पर एस्पार्टिक एसिड (डी) को ग्लाइसिन (जी) के साथ बदल दिया है। इसलिये इस उत्परिवर्तन को D614G कहा जा रहा है।
- वायरस के इस उत्परिवर्तित रूप को पहले चीन और फिर यूरोप में पहचाना गया। बाद में यह अमेरिका और कनाडा जैसे अन्य देशों में भी फैल गया और अब इसे भारत में भी दर्ज किया गया है।

उत्पन्न खतरे

- यह उत्परिवर्तन, वायरस को व्यक्तियों में **ACE2 रिसेप्टर** के साथ अधिक कुशलतापूर्वक संलग्नित होने में सहायता करता है, जिससे पूर्ववर्ती वायरसों की तुलना में यह उत्परिवर्तित वायरस मानव शरीर में प्रवेश करने में ज़्यादा सफल होता है।
- D614G की संक्रामकता ज़्यादा है और इसमें किसी व्यक्ति के नाक और गले के अंदर की कोशिका भित्ति की दीवारों में खुद को संलग्न करने की क्षमता भी ज़्यादा है, जिससे वायरल संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है।

भारत में स्थिति

- एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि D614G महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान भी सबसे प्रचलित स्पाइक म्यूटेशन में से एक था।
- तब से, D614G म्यूटेशन दिल्ली को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों में 70% से भी अधिक फैला है।

सामुदायिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग

- जन्म के पश्चात शिशु की गर्भनाल (प्लेसेंटा) में बचे रक्त को भविष्य में चिकित्सकीय उपयोग हेतु एकत्रित करके प्रशीतित अवस्था में संग्रहित करने की प्रक्रिया को गर्भनाल रक्त बैंकिंग कहते हैं।
- सामुदायिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, स्टेम सेल्स बैंकिंग का ही एक शेयरिंग मॉडल है। इसमें माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के गर्भनाल रक्त को संग्रहित रखने के लिये सहमति प्रदान करते हैं। इसके लिये उन्हें निर्धारित शुल्क चुकाना होता है। इस समुदाय के सदस्य आपस में एक-दूसरे की आवश्यकतानुसार सहायता कर सकते हैं तथा किसी गैर सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
- गर्भनाल के रक्त में विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते है। इनमें रक्त कोशिकाओं के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है, जिससे भविष्य में कई प्रकार के रोगों का निदान किया जा सकता है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में लाइफसेल कम्पनी द्वारा शुरू की गई सामुदायिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सहायता से महाराष्ट्र में गम्भीर रक्त विकार (अप्लास्टिक एनीमिया) से पीड़ित बच्ची की जान बचाई गई है।

कावासाकी रोग

कोविड-19 महामारी के दौरान बंद स्कूलों के फिर से शुरू होने के बाद से विश्व भर में बच्चों को कावासाकी रोग (के.डी.) से प्रभावित देखा जा रहा है।

कावासाकी रोग क्या है?

- कावासाकी रोग को म्यूकोस्यूटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है।
- इस बीमारी के कारण छोटे बच्चों (मुख्यत: 5 वर्ष से कम) की रक्त वाहिकाओं में हमेशा के लिये सूजन आ जाती है। यह बीमारी तेज़ी से आती है और इसके लक्षण कई चरणों में दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, लाल आँखें, हाथों-पैरों में सूजन, होंठ और गले में जलन व सूजन आदि शामिल हैं।
- इस बीमारी के दूसरे चरण के लक्षणों में जोड़ों का दर्द, पेट की दिक्कतें, जैसे- दस्त और उल्टी, हाथों व पैरों की त्वचा का छिलना आदि शामिल हैं।
- यद्यपि कोविड-19 के बाद इस रोग से बड़े उम्र के बच्चे भी ग्रस्त पाए जा रहे हैं।
- इस रोग का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। यह बच्चों में होने वाले हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है।
- यदि इसके लक्षण जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज सम्भव है। इलाज के बाद ज़्यादातर बच्चे बिना किसी समस्या के ठीक हो जाते हैं।
- सर्वप्रथम वर्ष 1967 में जापान के बाल रोग विशेषज्ञ **'टोमीसाकू कावासाकी' (Tomisaku Kawasaki)** ने इस बीमारी की पहचान की थी और जापान से बाहर पहला मामला वर्ष 1976 में अमेरिका के 'हवाई' (Hawaii) राज्य में देखा गया था।

राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन 15 से 21 नवम्बर 2020 तक किया गया।
- इस वर्ष राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का विषय- 'प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक नवजात शिशु के लिये गुणवत्ता, समानता एवं गरिमा' है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिदृश्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्त्व को सुदृढ़ करने के साथ-साथ प्रत्येक बच्चे को जीवित रखने, पनपने और उसकी पूरी क्षमता तक पहुँचने का मौका देना है।
- साथ ही नवजात शिशु के विकास व जन्म को बाधित करने तथा नवजात शिशु के खराब स्वास्थ्य और मौत का कारण बनने वाली छोटी-छोटी चीजों को लेकर भी जागरूकता पैदा करना है।
- वर्ष 2017 के लिये की नवजात मृत्यु दर (NMR) का लक्ष्य 24 निर्धारित किया गया था, जिसको प्राप्त कर लिया गया है।

अन्य तथ्य

- वर्ष 2014 में भारत नवजात कार्य योजना (आई.एन.ए.पी.) शुरू करने वाला पहला देश बना था। यह कार्य योजना रोके जा सकने वाली नवजातों की मौत और स्टिलबर्थ (जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या) को खत्म करने को लेकर वैश्विक नवजात कार्य योजना के अनुरूप है।
- नवजात शिशुओं के जीवित रहने और विकास को सुनिश्चित करने के लिये कई कार्यक्रम शुरू किये गए हैं, जिनमें पोषण अभियान की छत्र योजना के तहत आने वाले पोषण सम्बंधी पहलू भी शामिल हैं।
- इससे सम्बंधित शिकायतों के निवारण के लिये एन.एन.एम. पोर्टल (National Nutrition Mission : NNM Portal) तथा सुमन (Surakshit Matritva Aashwasan : SUMAN) की शुरुआत जैसे विभिन्न कदम सभी नवजात मौतों को रोकने की दिशा में अभिनव प्रयास हैं।
- वर्तमान में प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (SRS) 2018 और बाल मृत्यु दर आकलन के लिये संयुक्त राष्ट्र की अंतर-एजेंसी समूह के अनुसार, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर 23 हैं।

चापरे वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बोलीविया में चापरे वायरस के कई मामले सामने आए हैं। इस वायरस को इबोला वायरस से भी खतरनाक माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- चापरे वायरस का पहला मामला बोलीविया के चापरे प्रांत में दर्ज किया गया था, इसलिये इसे चापरे वायरस नाम दिया गया।
- यह इबोला वायरस के प्रसार के लिये उत्तरदायी एरेनावायरस (Arenavirus) परिवार से सम्बंधित है, जो चापरे रक्तस्रावी बुखार (Chapare Hemorrhagic Fever– CHHF) का मुख्य कारण है।
- इसके संक्रमण में इबोला की तरह ही रक्तस्त्रावी बुखार के साथ पेट दर्द, मसूड़ों से रक्तस्त्राव, त्वचा पर छाले तथा आँखों के अंदरूनी हिस्से में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
- सामान्यत: यह वायरस चूहों से फैलता है लेकिन संक्रमित कृंतक जीवों के सीधे सम्पर्क में आने, इनके मल-मूत्र के सम्पर्क में आने से अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से भी इस वायरस के फैलने के सबूत मिले हैं, जिसकी पुष्टि अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल (CDS) ने भी की है।
- वर्तमान में चापरे वायरस के इलाज हेतु कोई निर्धारित दवा उपलब्ध नहीं है इसलिये रोगियों के उपचार के लिये इंट्रावेनस तरल पदार्थों (Intravenous Fluids) का उपयोग सहायक दवा के रूप में किया जाता है।
- इस वायरस से संक्रमित होने पर रोगी के हाइड्रेशन स्तर को नियमित रखने के लिये निरंतर तरल पदार्थ दिये जाते हैं।
- चापरे वायरस का पता लगाना अत्यंत कठिन है क्योंकि इसका प्रसार रोगी के श्वसन मार्ग की बजाय तरल पदार्थों के सीधे सम्पर्क में आने से होता है।

7 कृषि एवं अर्थव्यवस्था

किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

- सितम्बर, 2020 में सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानुनों के विरोध में उत्तर भारत में एक बार पुनः किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान संगठनों ने सरकार से इन अधिनियमों को वापस लेने की मांग की है।

प्रदर्शन और चिंताएँ

- पंजाब और हरियाणा इस विरोध के केंद्र बिंदु है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध का मुख्य कारण 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम' है, जो राज्य सरकार द्वारा विनियमित कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) के बाहर भी फसलों की बिक्री और खरीद की अनुमति देता है।
- किसानों की मुख्य चिंता अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को अनिवार्य न किये जाने तथा आने वाले समय में इसे खत्म करने की आशंका और अनाज की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव को लेकर है।
- किसान नेताओं का मानना है कि नवीनतम अधिनियम का मूल उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर शांता कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करना है।
- वर्ष 2015 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की सभी खरीद संचालन गतिविधियों को राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपने को कहा गया था।
- एक शंका यह भी है कि अनुबंध कृषि (Contract Farming) में किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा और वे कीमतों का उचित निर्धारण नहीं कर पाएंगे। साथ ही, प्रायोजक न मिलने के कारण छोटे किसान अनुबंध कर पाने में असमर्थ होंगे।
- किसानों को डर है कि प्रभावशाली निवेशक उन्हें बड़े कॉर्पोरेट कानून फर्मों द्वारा तैयार किये गए प्रतिकूल अनुबंधों के लिये बाध्य करेंगे और इसमें देयताओं व दायित्वों से सम्बंधित ज़्यादातर मामले किसानों की समझ से परे होंगें।
- 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' के विरोध का बिंदु यह है कि अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी से अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को बाहर कर दिया गया है। अतः भंडारण की सीमा समाप्त कर देने से अब इनकी अधिक जमाखोरी होगी अर्थात् इन वस्तुओं को कम कीमत पर अधिक मात्रा में खरीदकर जमाकर लिया जाएगा और कुछ समय पश्चात् इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर इन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है, जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हानि उठाएंगे।
- सरकार के अनुसार, ये कानून किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देता है, परंतु किसानों का कहना है कि इससे कृषि का निगमीकरण होगा।

पंजाब और हरियाणा में कृषिः जीवन रेखा के रूप में

- पंजाब और हरियाणा में किसान एम.एस.पी. के माध्यम से सार्वजनिक खरीद पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- पंजाब और हरियाणा में धान उत्पादन का लगभग 88% और गेहूँ उत्पादन का लगभग 70% (2017-18 और 2018-19 में) सार्वजनिक प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा गया है।

- इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में चावल उत्पादन का केवल 44% ही सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
- साथ ही, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में कुल उत्पादन का केवल एक-चौथाई (लगभग 23%) सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
- यह पंजाब व हरियाणा में एम.एस.पी. और सार्वजनिक खरीद प्रणाली पर किसानों की भारी निर्भरता को दर्शाता है।

इन राज्यों में मंडियों की स्थिति

- बिहार और उत्तर प्रदेश की मंडियों से पंजाब में प्रत्येक दिन लगभग 3-4 लाख टन धान पहुँचता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि पंजाब की मंडियों में बिक्री के लिये उपलब्ध धान की अधिकतम फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद लिया जाता है।
- बिहार और यू.पी. में मंडियों के अधिक विकसित न होने के कारण व्यापारी कम मूल्य पर किसानों से धान खरीदते हैं और इसे पंजाब ले जाकर खरीद मूल्य से दोगुने (एम.एस.पी.) पर बेचते हैं।
- इस प्रकार, पंजाब में अधिक कीमत पाने के लिये कमोडिटी व्यापारियों द्वारा अवैध विपणन चैनलों की कई रिपोर्टें सामने आई हैं।
- पंजाब में 95% और हरियाणा में 70% से अधिक धान उगाने वाले किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 7.3% और यू.पी. में 3.6% किसान खरीद मूल्य पर धान बेचने में सक्षम हैं।
- शायद यह भी एक कारण है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2018-19 में 7.3 मिलियन टन धान के उत्पादन के मुकाबले केवल 1.1 लाख टन धान की खरीद की गई। वहीं पी.डी.एस. और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 2.7 मिलियन टन धान वितरित किया गया। यदि इस क्षेत्र में उचित मात्रा में धान की खरीद होती, तो अन्य राज्यों से धान की ढुलाई का दबाव कम हो जाता।
- यह खरीद प्रक्रिया के विस्तार और मज़बूती की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने भी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्यों के साथ देश के सभी क्षेत्रों के सीमांत और छोटे किसानों को खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत लाने की बात कही है।
- किसानों की खरीद प्रक्रिया तक पहुँच न होने का कारण अन्य राज्यों में खरीद प्रक्रिया का पंजाब और हरियाणा की तरह बुनियादी ढाँचे का पर्याप्त विकास नहीं होना है।
- देश में केवल 6% किसान ही अपनी फसल को एम.एस.पी. पर बेच पाते हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शेष 94% किसान खुले बाज़ार में विपणन से खुश हैं।

सरकार का दायित्व

- यदि पंजाब व हरियाणा के किसानों को खरीद प्रणाली की आवश्यकता है तो सरकार को इसकी और भी अधिक आवश्यकता है।
- इसका कारण पी.डी.एस. और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार के दायित्व हैं। एन.एफ.एस.ए. के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता कानूनी होने के साथ-साथ अधिकारों से भी सम्बंधित हैं।

- लगभग 80 करोड़ एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों के साथ-साथ आठ करोड़ अतिरिक्त प्रवासी हैं जिन्हें पी.डी.एस. के माध्यम से सहायता की आवश्यकता है।
- इस प्रकार, सरकार को पी.डी.एस. व्यवस्था बनाए रखने के लिये विशेष रूप से इन दोनों राज्यों से अनाज की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता है।
- पिछले तीन वर्षों में देश में कुल धान उत्पादन का लगभग 40% (45 मिलियन टन) और गेहूँ उत्पादन का 32% (34 मिलियन टन) सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा पी.डी.एस. आपूर्ति के लिये खरीदा गया है।
- कोरोना वायरस महामारी और प्रवासी संकट के कारण सरकार ने सार्वजनिक वितरण के लिये अधिक मात्रा का निर्धारण किया है जो देश के चावल उत्पादन का लगभग आधा (49%) और गेहूँ उत्पादन का 35% हिस्सा है।
- इसका मतलब है कि सरकार को पिछले वर्षों की तुलना में भारी मात्रा में अनाज खरीदने की ज़रूरत है और सरकार खुले बाज़ार में जाने का जोखिम नहीं उठा सकती है।

आगे की राह

- यदि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खरीदना चाहती है तो उसे इन दोनों राज्यों की ओर रुख करने की ज़रूरत है। पिछले तीन वर्षों में लगभग 35% चावल और 62% गेहूँ की खरीद इन राज्यों से हुई है। साथ ही, कुल मोटे अनाज का लगभग 50% इन दोनों राज्यों से ही आया है।
- इस प्रकार, स्पष्ट है कि सार्वजनिक खरीद प्रणाली को समाप्त करना न तो किसानों के हित में है और न ही सरकार के हित में।
- इसलिये, यह ज़रूरी है कि सरकार किसान समूहों तक पहुँचे और उन्हें एम.एस.पी.-खरीद प्रणाली की अपरिहार्यता का आश्वासन दे। सरकार को उनकी जायज चिंताओं का निराकरण करते हुए इस पहल को लागू करने की ज़रूरत है।
- किसी विनियामक तंत्र की अनुपस्थिति (निजी प्रयोजकों द्वारा निष्पक्ष कार्य-प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये) और व्यापार क्षेत्र के लेन-देन में पारदर्शिता की कमी प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें तत्काल हल किये जाने की आवश्यकता है।
- एम.एस.पी. को कानूनी अधिकार बनाने के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये। साथ ही, अन्य राज्यों के किसानों को पंजाब और हरियाणा की तरह विनियमित मंडियों के एक विशाल नेटवर्क की आवश्यकता है।

कृषक उपज, व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, 2020

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, 'कृषक उपज, व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, 2020' (FPTC Act, 2020) पर बहस के दौरान कुछ राज्यों के हितधारकों, विशेषकर किसानों ने विधेयक से सम्बंधित प्रावधानों का विरोध किया है।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020 : मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम किसानों को प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न करके, बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा किसानों को उनकी उपज को देश के किसी भी स्थान पर बेचने एवं खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत खरीदारों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे लाइसेंस के बिना या कोई शुल्क चुकाए बिना ए.पी.एम.सी. के बाहर किसानों से उपज खरीद सकतें हैं।

- एफ.पी.टी.सी. अधिनियम के तहत केवल ए.पी.एम.सी. बाज़ारों पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिये दबाव डाला गया है तथा इन मंडियों को अपने परिसर के बाहर बिक्री हेतु प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाने के लिये बाज़ार शुल्क और कमीशन को 2% या उससे कम करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ए.पी.एम.सी. अधिनियम के तहत लगाए गए अनुचित शुल्क कम किये जाएंगे।

विभिन्न राज्यों में प्रावधान

- ए.पी.एम.सी. अधिनियम के तहत अधिसूचित फसलों पर 25 राज्यों में से 12 राज्यों में कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है तथा इन राज्यों में से नौ राज्यों में प्रमुख फसलों पर मंडी शुल्क, जैसे– सेवा शुल्क 0-1% तक, जबकि मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में 2% है। इन राज्यों को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नये अधिनियम से इन राज्यों में ए.पी.एम.सी. मंडियों और उनके व्यवसाय को कोई खतरा नहीं है क्योंकि निजी व्यापारियों और विक्रेताओं को मंडी शुल्क से होने वाली छूट से लाभ प्राप्त होगा।
- आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना दूसरी श्रेणी में आते हैं जहां मंडियों के लिये सेवा शुल्क उपज के मूल्य का 1% है और कमीशन 1-2% तक भिन्न हो सकता है। उत्तराखंड भी इसी श्रेणी में आता है। कर्नाटक जैसे राज्य जिसमें कुल शुल्क 3.5% है मंडी शुल्क को आसानी से 2% या उससे कम किया जा सकता हैं।
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य तीसरी श्रेणी में शामिल हैं, जहाँ कुल शुल्क 5-8.5% तक होते हैं। पंजाब इस श्रेणी में अग्रणी राज्य है जबकि दूसरा स्थान हरियाणा का है। जब तक सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों की प्रमुख फसलों, जैसे– धान और गेहूं की खरीद की जाती है तब तक इन्हें मंडियों के बाहर बिक्री में किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

लाभ

- इन राज्यों में ए.पी.एम.सी. मंडियों के परिसर के बाहर बिक्री के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिये बाज़ार शुल्क और कमीशन को 2% या उससे कम पर लाना इन राज्यों के दीर्घकालिक हित में है। इस अधिनियम का ए.पी.एम.सी. मंडियों पर प्रभाव मंडियों को शुल्क और लगान के रूप में मिलने वाले लाभ पर निर्भर करेगा।
- इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लेन-देन की अनुमति देने से कृषि व्यापार में ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, मंडियों के अतिरिक्त फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों को भी व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
- किसानों को प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न करके, बिचौलियों को समाप्त करने तथा किसानों की उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेचने एवं खरीदने की स्वतंत्रता से उचित और अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अधिनियम से जुड़ी चिंताएँ

- कुछ राज्यों में ए.पी.एम.सी. मंडियों के लिये वास्तविक खतरा ए.पी.एम.सी. अधिनियम के तहत लगाए गए अत्यधिक और अनुचित प्रभार से है। एफ.पी.टी.सी. अधिनियम केवल ए.पी.एम.सी. बाज़ारों पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिये दबाव डालेगा। यह ए.पी.एम.सी. बाज़ारों से व्यापारियों को दूर नहीं करेगा क्योंकि मंडियों का बुनियादी ढाँचा एक ही स्थान पर थोक उपज और व्यक्तिगत लेन-देन के लिये उपलब्ध बाज़ार इसके बाहर आवश्यक अतिरिक्त लागत बचाने के लिये प्रेरित करेगा।
- राज्यों को किसानों के कल्याण के लिये मंडी शुल्क 1.5% के उचित स्तर से कम रखना चाहिये जिससे नए अधिनियम के तहत ए.पी.एम.सी. मंडियों और निजी चैनलों के सह-अस्तित्व को एक सही प्रतिस्पर्धी भावना के साथ बनाया रखा जा सकेगा।

बायो-डीकम्पोज़र तकनीक : वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशिष्ट और पराली को खाद/कम्पोस्ट में परिवर्तित करने हेतु बायो-डीकम्पोज़र तकनीक का विकास किया गया है। इसका नाम 'पूसा डीकम्पोज़र' रखा गया है।

पूसा डीकम्पोज़र (PUSA Decomposer)

- पूसा डीकम्पोज़र कवक स्ट्रेन से बने कैप्सूल होते हैं। इन कैप्सूलों को पहले से तैयार इनपुट का प्रयोग करके तरल सामग्री का निर्माण किया जाता है। इस तरल सामग्री का 8-10 दिनों के किण्वन के बाद फसल के अवशेष पर छिड़काव किया जाता है, जो धान के पुआल आदि के सामान्य से अधिक गति से जैव अपघटन व सड़ने में सहायक होते हैं।
- इसमें प्रयुक्त कवक जैव-निम्नीकरण की प्रक्रिया के लिये आवश्यक एंज़ाइमों का उत्पादन करते हैं।
- पूसा डीकम्पोज़र के 4 कैप्सूल को गुड़ और काबुली चने (Chickpea) के आटे के साथ मिलाकर 25 लीटर तरल मिश्रण तैयार किया जा सकता हैं। यह मिश्रण 1 हेक्टेयर भूमि के लिये पर्याप्त है।

पराली और कानूनी प्रावधान

- वर्ष 2013 में पंजाब सरकार ने पराली को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को प्रतिबंधित कर दिया था। पराली की समस्या से निपटने हेतु हैप्पी सीडर्स और रोटावेटर के माध्यम से किसानों की सहायता करने का भी निर्देश दिया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और वायु प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत यह एक अपराध है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक स्थाई आयोग गठित करने के लिये अध्यादेश भी लाया गया है।

लाभ

- सामान्य परिस्थितियों में धान के पुआल के जैव-निम्नीकरण में लगभग 45 दिन का समय लग जाता है, जबकि पूसा डीकम्पोज़र से यह प्रक्रिया लगभग 20 दिनों में पूर्ण हो जाती हैं। इससे गेहूं की फसल की बुआई लिये खेत की तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है।
- डीकम्पोज़र मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में वृद्धि करता है क्योंकि पुआल जैविक खाद के रूप में कार्य करता है। साथ ही, इससे उर्वरक की खपत भी कम हो जाती है।
- पराली को जलाने से पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तथा मृदा की उर्वरता में भी कमी आती है और उपयोगी बैक्टीरिया व कवक भी नष्ट हो जाते हैं।
- पराली को जलाने पर अंकुश लगाने के लिये यह एक कुशल, प्रभावी, सस्ती, व्यावहारिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं उन्नयन केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार, हैप्पी सीडर्स और सुपर एस.एम.एस. मशीनों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में 10% से 15% तक वृद्धि हो सकती है। साथ ही, इससे श्रम लागत को कम करने और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने में भी सहायता मिलती है।

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक घरानों के प्रवेश की सिफारिश : सम्बंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यदल (IWG) ने बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस देने सिफारिश की है। आई.डब्ल्यू.जी. का गठन 'भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये मौजूदा स्वामित्व, दिशा-निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा' के लिये किया गया था।

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक घरानों के प्रवेशके विचार की पृष्ठभूमि

- कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में अनुमति देने का विचार नया नहीं है। फरवरी 2013 में आर.बी.आई. ने औद्योगिक घरानों को भी बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने की अनुमति देने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- हालाँकि, इसके लिये कुछ आवेदन प्राप्त होने के बावजूद अंतत: किसी भी कॉर्पोरेट घराने को बैंक लाइसेंस नहीं दिया गया और केवल दो संस्थाएँ आई.डी.एफ.सी. और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस के योग्य पाई गई।
- वर्ष 2014 में आर.बी.आई. ने कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश को पुन: रोक दिया। इस विषय पर आर.बी.आई. की स्थिति वर्ष 2014 से अपरिवर्तित ही रही है। विदित है कि वर्ष 2014 में आर.बी.आई. के गवर्नर रघुराम राजन थे।
- इससे पूर्व वर्ष 2008 में रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली 'वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति' के अनुसार औद्योगिक घरानों को बैंकिंग की अनुमति देना अपरिपक्वता है और यह वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है।

जोखिम की चिंता

- आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग उद्योग में प्रवेश के लाभ और हानि की तुलना करती है। तर्क है कि कॉर्पोरेट घरानों के प्रवेश से बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी और विशेषज्ञता का प्रवाह होगा। विश्व भर में कई जगह पर कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग उद्योग में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है।
- हालाँकि, नकारात्मक जोखिम की समस्या अत्यधिक चिंता का विषय है। प्रमुख चिंता अंत:सम्बद्ध व पारस्परिक उधारी (Interconnected Lending), आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण और अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिये बैंकों (जमा की गारंटी के माध्यम से) को प्रदान किये गए सुरक्षा जाल का जोखिम है।
- 'इंटरकनेक्टेड लेंडिंग' एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी बैंक का प्रमोटर स्वयं उधारकर्ता भी होता है और इस प्रकार, एक प्रमोटर के लिये जमाकर्ताओं के धन को स्वयं के उपक्रम के लिये उपयोग करना सम्भव हो जाता है। इसके हालिया उदाहरण आई.सी.आई.सी.आई, यस बैंक व डी.एच.एफ.एल. आदि हैं।
- इंटरकनेक्टेड लेंडिंग को ट्रेस करना भी एक चुनौती है। साथ ही, कॉर्पोरेट घराने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों में बाधा डालने के लिये अपनी राजनीतिक पहुँच का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- एक मुद्दा आर.बी.आई. द्वारा इंटरकनेक्टेटड लेंडिंग पर रोक लगाने से सम्बंधित प्रतिक्रिया से सम्बंधित है। आर.बी.आई. द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्रवाई सम्बंधित बैंक से जमा राशि की निकासी और इसकी विफलता का कारण बन सकती है।
- इसके अतिरिक्त आर.बी.आई. केवल पूर्व में दिये गए ऋण पर ही कोई कार्रवाई कर सकता है अत: इसमें इस तरह के जोखिम को रोक पाने की सम्भावना लगभग न के बराबर है।
- कॉर्पोरेट घराने स्वयं के व्यवसायों के लिये बैंकों को आसानी से धन के एक स्रोत में बदल सकते हैं। साथ ही, सहयोगियों को लाभ पहुँचाने के लिये वे अपने अनुसार धनराशि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैंकों को किसी कॉर्पोरेट घराने से जोड़ने से आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण में वृद्धि होगी।

नियामक की साख

- शक्तिशाली कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ नियामक संस्थाओं को खड़ा करने से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। नियामकों पर नियमों से समझौता करने का काफी दबाव होगा और इस प्रक्रिया में इसकी विश्वसनीयता को आघात पहुँचेगा।
- ऐसे कई कॉर्पोरेट घराने हैं जो पहले से ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC) के माध्यम से बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हैं। वर्तमान नीति के तहत 10 वर्ष के सफल ट्रैक रिकॉर्ड वाले एन.बी.एफ.सी. को बैंकों में बदलने की अनुमति है। यह कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग में प्रवेश करने का एक आसान मार्ग है।
- कॉर्पोरेट घराने द्वारा किसी बैंक के स्वामित्व और एन.बी.एफ.सी. के स्वामित्व में काफी अंतर होता है। बैंक का स्वामित्व सार्वजनिक सुरक्षा नेट तक पहुँच प्रदान करता है, जबकि एन.बी.एफ.सी. के स्वामित्व में ऐसा नहीं है। बैंक स्वामित्व द्वारा प्राप्त पहुँच और शक्ति एन.बी.एफ.सी. की तुलना में काफी अधिक होती है। अत: दोनों के संचालनगत अंतर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

निजीकरण की ओर इशारा

- कॉर्पोरेट घरानों के लिये वास्तविक आकर्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिग्रहण की सम्भावना से सम्बंधित है, जिनकी साख हाल के वर्षों में खराब हुई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी की आवश्यकता है जिसे सरकार प्रदान करने में असमर्थ है। इस प्रकार बैंकिंग उद्योग में कॉर्पोरेट घरानों का प्रवेश निजीकरण की सम्भावना में वृद्धि करेगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कॉर्पोरेट घरानों को बेचने या उसकी हिस्सेदारी में वृद्धि होने से वित्तीय स्थिरता को लेकर गम्भीर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष

- कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश देने से पहले आर.बी.आई. से अंत:सम्बद्ध व पारस्परिक ऋणों से निपटने के लिये एक कानूनी ढाँचे से सुसज्जित होना होगा। भारत के संदर्भ में इंटरकनेक्टेड लेंडिंग के जोखिमों से निपटने के लिये कानूनी ढाँचे के निर्माण और निगरानी तंत्र के साथ-साथ अतिरिक्त उपायों की भी आवश्यकता है। कॉर्पोरेट घरानों के लेन-देन की निगरानी के लिये विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और अधिक मज़बूत और एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

लक्ष्मी विलास बैंक के डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (LVB) के डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मुख्य बिंदु

- जनता और हितधारकों से सुझाव तथा आपत्तियाँ आमंत्रित करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलय की योजना तैयार की है। तीव्रता से एल.वी.बी. का विलय और उसकी समस्यो का समाधान स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की वचनबद्धता के अनुरूप है। साथ ही, यह जमाकर्ताओं व आम जनता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के हित में भी है।
- आर.बी.आई. के अनुसार, एल.वी.बी. पर लगाए गए मोराटोरियम को अब हटा दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप जमाकर्ता बिना किसी सीमा के अपनी धनराशि को निकाल सकते हैं।

- उल्लेखनीय है कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के मद्देनजर बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 के सेक्शन 45 के तहत आर.बी.आई. की सलाह पर कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा एल.वी.बी. पर 30 दिनों के लिये मोराटोरियम लगा दिया गया था।
- हालाँकि, विलय के लिये घोषित योजना में इक्विटी शेयरधारकों (जिनके शेयरों को राइट-ऑफ कर दिया गया है) के लिये किसी प्रकार के बेलआउट की पेशकश नहीं की गई है। अब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इसके शेयर या डिबेंचर डी-लिस्टेड हो जाएंगे।
- इस प्रकार एल.वी.बी. जल्द ही डी.बी.आई.एल. के रूप में सामान्य परिचालन प्रारम्भ कर देगा।

डी.बी.एस. बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL)

- डी.बी.आई.एल. एक बैंकिंग कम्पनी है जिसे आर.बी.आई. से लाइसेंस प्राप्त है। यह पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है और विलय के बाद इसकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 600 हो जाएगी।
- डी.बी.एस. से सम्बद्ध होने के कारण डी.बी.आई.एल. अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। डी.बी.एस. एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टेड भी है।

लक्ष्मी विलास बैंक (LVB)

- चेन्नई आधारित एल.वी.बी. का नेटवर्क दक्षिण भारत में केंद्रित है। इसकी तीन-चौथाई शाखाएँ तीन राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित हैं।
- पिछले तीन वर्षों से बैंक के लगातार घाटे में रहने के कारण इसकी शुद्ध सम्पति में गिरावट दर्ज की गई है।

भारत के लिये अनुकरणीय वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में बांग्लादेश चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक देश बन गया है। साथ ही, वियतनाम के निर्यात में गत 8 वर्षों में 240% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वियतनाम की सफलता के कारण

- खुली व्यापार नीति, सस्ता कार्यबल और विदेशी कम्पनियों के लिये एक उदारवादी प्रोत्साहन नीति ने वियतनाम के निर्यात उद्योग की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत वियतनाम के व्यापार भागीदार देश वियतनाम में बने उत्पादों पर आयत शुल्क आरोपित नहीं करते हैं। साथ ही, वियतनाम का बाज़ार भी व्यापारिक भागीदार देशों के लिये मुक्त है।
- वियतनाम ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तथा कारोबारी सुगमता के लिये अपने घरेलू व्यावसायिक तथा औद्योगिक कानूनों में व्यापक बदलाव किया है।
- पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम की सुगम तथा आकर्षक विदेश व्यापार नीतियों के चलते सैमसंग, कैनन, फॉक्सकॉन, एच एंड एम, नाइके, एडिडास और आई.के.ई.ए. जैसे बड़े ब्रांडों ने अपने उत्पादों के निर्माण हेतु वियतनाम में अपना व्यवसाय स्थापित किया है।

बांग्लादेश की सफलता के कारण

- बांग्लादेश के निर्यात उद्योग की सफलता का मुख्य कारण कपड़ा उद्योग है। बांग्लादेश का कपड़ा मुख्यत: विकसित देशों, यूरोपीय संघ के देशों तथा अमेरिका द्वारा आयात किया जाता है।

- बांग्लादेश ने अपने निर्यात व्यवसाय में विविधता (परम्परागत निर्यात की बजाय नए तथा आधुनिक उत्पाद तथा सेवाओं पर निर्यात निर्भरता बढ़ाना) लाने के लिये नीतिगत परिवर्तन किये हैं।
- यूरोपीय संघ के देश, चीन, अमेरिका तथा जापान, बांग्लादेश जैसे अल्प विकसित देशों से कपड़ा तथा अन्य उत्पादों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देते हैं। भारत भी एक सहयोगी पड़ोसी राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के सभी उत्पादों (शराब और तम्बाकू को छोड़कर) के लिये शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा देता है।

भारत के लिये सीख

- भारत को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आकर्षित करने हेतु घरेलू कानूनों में बदलाव तथा उनके उचित कार्यान्वयन पर और बल देना चाहिये। हालाँकि, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किये हैं।
- भारत को अपने निर्यात उद्योग हेतु कुछ चुनिंदा क्षेत्रों (बहुत अधिक क्षेत्रों की बजाय) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर निर्धारित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल हो सकेगी।
- भारत को विनिर्माण तथा विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र विशेष के अनुसार व्यवसाय तथा उद्योगों के लिये पूर्व-अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र (Pre-approved Factory Spaces) निर्धारित करने चाहिये ताकि कपड़ा निर्माण, प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा अन्य विशेष उत्पाद व सेवाओं के उत्पादन हेतु इच्छुक उद्यमियों को भूमि की खोज तथा विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता ना पड़े।
- भारत को विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के साथ-साथ असेम्बलिंग उद्योग को आकर्षित करने पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारत को अपनी आर्थिक संवृद्धि हेतु निर्यात पर सीमित निर्भरता को बनाये रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी निवेश से सम्बंधित अनुपालन की लागत कम करने के साथ ही आकर्षक तथा सुगम नीति निर्माण की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- इकनोमिक कोम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (ECT) के अनुसार चीन की रैंक 32, भारत की 43 वियतनाम की 79 तथा बांग्लादेश की 127 है।
- ई.सी.आई. के तहत बड़ी आर्थिक प्रणालियों (विशेषकर शहरों, तथा देशों) की उत्पादक क्षमताओं का समग्र मापन किया जाता है। इससे सम्बंधित आंकड़ों को एम.आई.टी. (अमेरिका) की मीडिया लैब द्वारा विकसित ऑब्ज़र्वेटरी ऑफ इकॉनोमिक कोम्प्लेक्सिटी (Observatory of Economic Complexity – OEC) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- निर्यात-जीडीपी अनुपात (Export to GDP Ratio – EGR) के माध्यम से किसी देश की निर्यात क्षमता का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिये वियतनाम का ई.जी.आर. 107% है जिससे बड़े स्तर पर डॉलर की प्राप्ति होती है।
- वर्तमान में अमेरिका का ई.जी.आर. 11.7% है, जापान का 18.5%, भारत का 18.7% तथा चीन का 18.4% है।

विद्युत तक पहुँच एवं उपयोगिता मानक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन तथा स्मार्ट पॉवर इंडिया द्वारा 'विद्युत तक पहुँच एवं उपयोगिता मानक रिपोर्ट' (Electricity Access in India and Benchmarking Distribution Utilities Report) जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाली डिस्कॉम (विद्युत वितरण कम्पनियाँ) द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट विधियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, सतत् विद्युत की पहुँच में वृद्धि हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये गए हैं।

रिपोर्ट का आधार

- यह रिपोर्ट 10 राज्यों में किये गए प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में भारत की 65% ग्रामीण आबाद का प्रतिनिधित्व किया गया है जिसमें घर, वाणिज्यिक उद्यम तथा अन्य संस्थानों के 25,000 से भी अधिक नमूनों को शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट में 25 वितरण उपयोगिताओं (विद्युत आपूर्ति पक्ष) का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के उद्देश्य

- सम्पूर्ण देश में विद्युत की सार्थक पहुँच की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- सतत् विद्युत पहुँच में वृद्धि हेतु सिफारिशें तैयार करना।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- 92% से अधिक लोगों ने अपने घर के आस-पास (50 मीटर के दायरे में) विद्युत के बुनियादी ढाँचे की स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी दी तथा इन लोगों की प्राथमिक समस्या विद्युत के खम्भों का घर से अधिक दूर होना है।
- 86% विद्युत उपभोक्ताओं तक ग्रिड आधारित विद्युत की पहुँच है तथा 14% लोग गैर-ग्रिड स्रोतों अथवा विद्युत का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं।

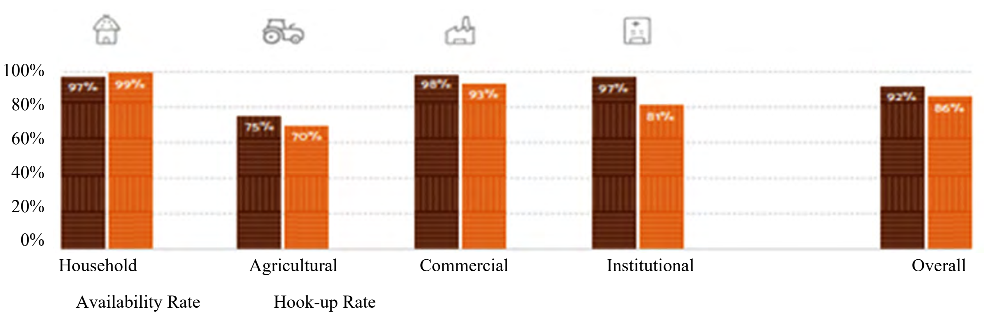

Note: Availability Rate = (households having electric pole within 50 meters)/(total households). Hook-up Rate = (households having electricity connection)/(households for whom infrasture is available). Similarly for other customer categories.

- विद्युत उपभोक्ताओं के सभी वर्गों तक विद्युत आपूर्ति में 17 घंटे प्रतिदिन का सुधार हुआ है।
- लगभग 85% उपभोक्ता मीटर आधारित विद्युत कनेक्शन का उपयोग कर रहे है।
- 83% घरेलू उपभोक्ताओं तक विद्युत की पहुँच है।
- रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 66% ग्राहक संतुष्ट हैं जिनमें 74% शहरी तथा 60% ग्रामीण उपभोक्ता शामिल हैं।

- ध्यातव्य है कि विद्युत आपूर्ति सेवाओं से सम्बंधित उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर के निर्धारण हेतु **संतुष्टि सूचकांक (Satisfaction Index)** बनाया गया है।
- रिपोर्ट में 'प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना' तथा 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के लाभों को चिन्हित किया गया है।

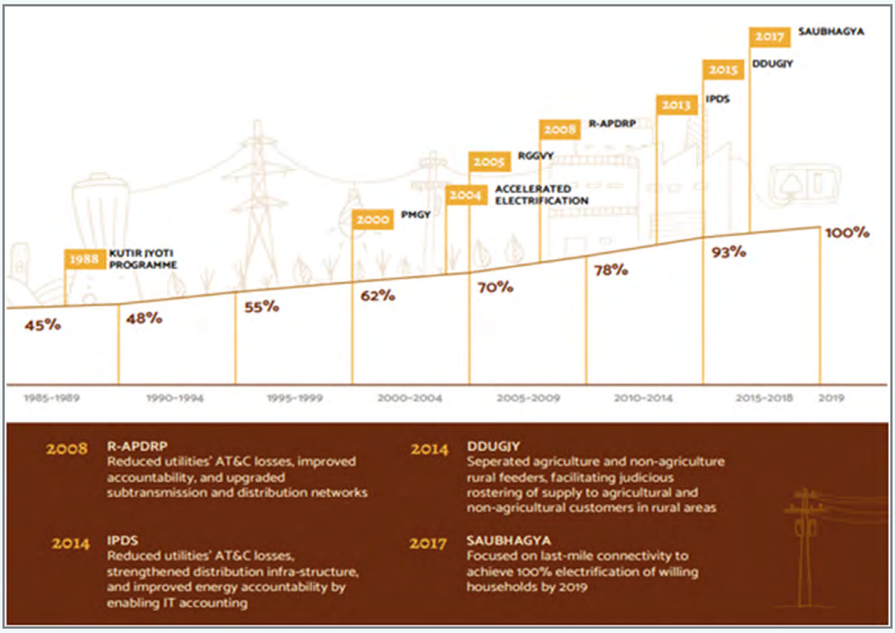

- सर्वेक्षण में सभी हितधारकों ने सरकार द्वारा किये गए विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित सुधारों की सराहना की है।

रिपोर्ट में अनुशंसाएँ

- गैर घरेलू ग्राहकों को नए विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- सब्सिडी या अन्य लाभों का हस्तांतरण सीधे ग्राहकों के खातों में किया जाना चाहिये।
- उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित ग्राहक सेवा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।
- 100% ग्राहकों को मीटर आधारित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

- सर्वेक्षण के आँकड़े पुष्टि करते हैं कि सभी क्षेत्रों में विद्युत की पहुँच सम्बंधी आधारभूत ढाँचे में सुधार हुआ है। हालाँकि विनियमित टैरिफ तथा 24×7 विद्युत की उपलब्धता से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार अभी बहुप्रतीक्षित हैं।

IAS (PT) 2021 सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़

प्रारम्भ
10 जनवरी 2021

कुल 20 टेस्ट
प्रत्येक टेस्ट के व्याख्या सहित उत्तर

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (अमेरिका) स्थित एक निजी परोपकारी संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजीव राज शाह हैं।
- सभी के लिये सतत् ऊर्जा (Sustainable Energy for All – SEforALL) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। यह संगठन सतत् विकास लक्ष्य–7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है।
- वैश्विक स्तर पर विद्युत उत्पादन तथा उपभोग में भारत 5वें स्थान पर है।
- वर्तमान में देश में 5 ऊर्जा ग्रिड (उत्तर, पश्चिम पूर्वी, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत ग्रिड) हैं।
- बिजली की सर्वाधिक माँग और खपत महाराष्ट्र राज्य में है।
- सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है।

देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण (कन्वर्जेंस) परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) ने देश की पहली अभिसरण (कन्वर्जेंस) परियोजना को गोवा में लागू करने के लिये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (DNRE) गोवा के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

- इस परियोजना के तहत किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ कुशल ऊर्जा पम्प सेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत में कमी आएगी और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को बिजली पहुंचाने से जुड़े पारेषण व वितरण घाटे में भी कमी आएगी। इस पहल को कृषि क्षेत्र में सम्भावित नई हरित क्रांति की शुरुआत माना जा रहा है।
- समझौता ज्ञापन के तहत ई.ई.एस.एल. तथा डी.एन.आर.ई. व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Studies) तथा उसके पश्चात् विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- ई.ई.एस.एल. सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा। इसके अंतर्गत कृषि पम्पिंग हेतु उपयोग की जाने वाली सरकारी ज़मीनों पर 100 मेगावॉट वाली विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।
- इसके तहत लगभग 6,300 कृषि पम्पों की जगह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पम्पों को लगाया जाएगा। साथ ही, ग्रामीण घरों हेतु लगभग 16 लाख एल.ई.डी. बल्ब भी वितरित किये जाएंगे।
- ध्यातव्य है कि जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण सम्बंधित कार्यों में वर्तमान में ग्राम उजाला, विकेंद्रीकृत सौर और ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम शामिल हैं।

लाभ

- ये परियोजनाएँ कृषि और ग्रामीण विद्युत की खपत हेतु अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में तेज़ी लाएंगी। साथ ही, ऊर्जा कुशल पम्पिंग तथा उचित प्रकाश व्यवस्था के जरिये ऊर्जा की उच्च मांग को कम करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देंगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में समग्र रूप से स्थिरता आएगी।
- इससे वितरण कम्पनियों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पारेषण के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

- इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने से कृषि क्षेत्र में पानी के खर्च पर होने वाले नुकसान में अत्यधिक कमी आएगी।
- इस अभिसरण पहल के माध्यम से डीकार्बोनाइज़ेशन करने और सस्ती ऊर्जा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

ई.ई.एस.एल.

- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावरग्रिड द्वारा ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) की स्थापना एक संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई।
- ई.ई.एस.एल. भारत में ऊर्जा दक्षता बाज़ार को उपयुक्त अवसर देने का प्रयास करती है। इसके नवीन अभिनव व्यवसाय और कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से सम्भावित रूप से 20% तक ऊर्जा की बचत हो सकती है।
- राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम), विद्युत नियामक आयोग, आगामी ऊर्जा सेवा कम्पनी और वित्तीय संस्थानों आदि की क्षमता निर्माण हेतु संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत की गई थी।

कोयला उद्योग का घटता वित्तपोषण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किश्त में भारत के कोयला उद्योग को बढ़ावा देने से सम्बंधित उपायों की घोषणा की गई है।

संदर्भ

भारत का कोयला क्षेत्र समग्र रूप से दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण कोयला आधारित ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर भी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन से सम्बंधित परियोजनाओं को समाप्त किया जा रहा है। यह प्रवृति अब भारत में भी दिख रही है।

मुख्य बिंदु

- खनिज ईंधन (माइन फ्यूल) के निष्कर्षण हेतु 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इससे कोयले के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा।
- कैप्टिव (कैप्टिव कोल माइनिंग के अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा कोयला केवल अपने उपयोग के लिये ही निकाला जाता है, जिसे वह बाज़ार में नहीं बेच सकती) और नॉन-कैप्टिव माइनिंग के बीच का अंतर समाप्त कर निजी कम्पनियों के लिये अब कोयले से सम्बंधित अंतिम उपयोग के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होगी।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में निजी क्षेत्र को अपने कुल कोयला उत्पादन का 25% बाज़ार में बेचने की अनुमति दी गई थी जो कोयला उद्योग के वाणिज्यीकरण की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम था।

भारत के कोयला उद्योग की वित्तीय स्थिति का अवलोकन

- वर्तमान में भारत में लगभग 62 गीगावाट की कोयला परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं तथा इन परियोजनाओं के प्रमुख वित्तपोषक सरकारी क्षेत्र के संस्थान तथा बैंक हैं।

- लोकसभा की स्थाई समिति की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन के लिये चयनित निजी क्षेत्र में कार्यरत 85% से अधिक (लगभग 65000 मेगावाट) कोयला आधारित विद्युत संयंत्र वित्तीय दबाव में हैं जिसके कारण अनुसूचित बैंकों की लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की सम्पत्ति जोखिम में है।
- ध्यातव्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों की एक बड़ी राशि विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित है।

कोयला उद्योग की समस्याएँ

- भारत में कोयला उद्योग की दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों में वृद्धि के प्रमुख कारणों में कोयला परियोजनाओं के लिये भूमि की अनुपलब्धता, अस्पष्ट पावर परचेस एग्रीमेंट (PPA), गुणवत्तापूर्ण कोयले की उपलब्धता में कमी तथा नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग और कोयले से विद्युत बनाने की नीतियों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।
- कोयला परियोजनाओं के लिये पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण में भी भारी कमी आई है।
- भारत में वर्ष 2017 से 2018 के बीच कोयला से चलने वाले संयंत्रों का वित्तपोषण 90% तक कम हो गया तथा वर्ष 2018 में ऐसी परियोजनाओं की संख्या भी 12 से घटकर 5 हो गई है। वर्ष 2018 में 80% से अधिक ऋणों का डायवर्सन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है।

कोयला उद्योग हेतु सुझाव

- कोल इंडिया लिमिटेड (सहायक कम्पनियों के अलावा) से इतर अन्य स्वतंत्र संस्थाओं या कम्पनियों की सहायता से गुणवत्तापूर्ण कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- कोयले को खुले बाज़ार में बेचने (वाणिज्यीकरण) की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।
- कोयले के अंतिम उपयोग के आधार पर ग्रेड प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये।
- कोयले के सुगम ट्रांसपोर्टेशन हेतु भारतीय रेलवे के पास संसाधनों की कमी है। अत: कोयला खनन वाले क्षेत्रों से अंतिम उपयोग के क्षेत्रों तक एक सुदृढ़ परिवहन क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिये।

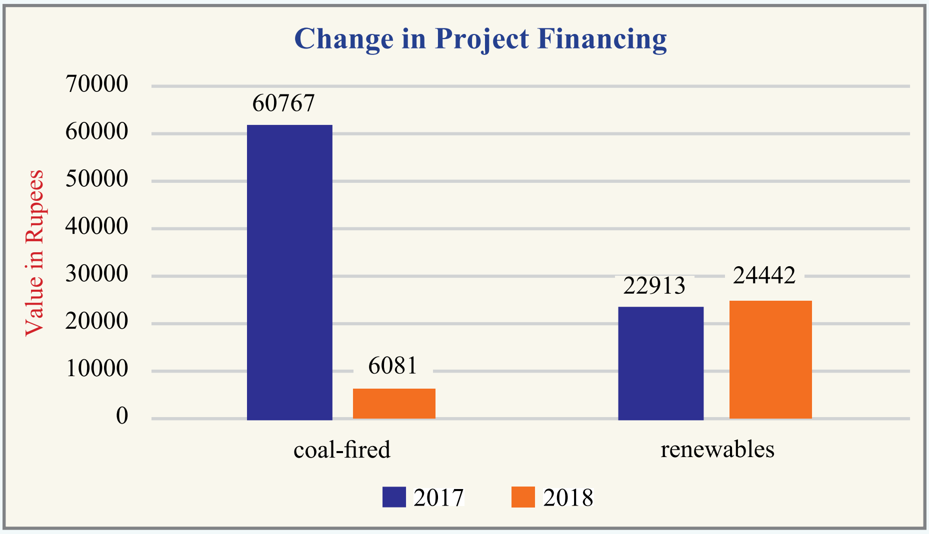

निष्कर्ष

वर्तमान में भारत का नीतिगत उद्देश्य अधिकांश लोगों तक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है। इसलिये कोयले के उपयोग को नीतिगत समर्थन मिल रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के आर्थिक परिणामों को देखते हुए

धीरे-धीरे कोयले के उपयोग तथा इसमें निवेश को समाप्त करना होगा। साथ ही, इस क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों की समस्या से निपटने और बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की आर्थिक सुरक्षा हेतु एक व्यावहारिक रोडमैप तैयार किया जाना आवश्यक है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला उद्योग की शीर्ष निकाय कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह नीति-निर्देशों को निर्धारित करने और अपनी सहायक कम्पनियों के साथ समन्वित रूप से कार्य करने हेतु उत्तरदायी है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme : PM — FME) के क्षमता निर्माण घटक के लिये मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने 'एक ज़िला-एक उत्पाद' के जी.आई.एस. डिजिटल मानचित्र का भी शुभारम्भ किया।
- मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का उद्देश्य इस योजना से जुड़े 8 लाख लोगों को लाभान्वित करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ-साथ स्वयं-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों, श्रमिकों, अनुसूचित जनजाति समुदाय एवं अन्य हितधारकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत मास्टर ट्रेनरों को ऑनलाइन मोड, क्लासरूम लेक्चर, प्रदर्शन और ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- चयनित उद्यमियों और समूहों को प्रशिक्षण एवं शोध सहायता प्रदान करने में सोनीपत स्थित 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान' (NIFTEM) और तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIFPT) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के समन्वय से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- क्षमता निर्माण के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण का मूल्यांकन और प्रमाणन खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (FICSI) द्वारा किया जाएगा।

लाभ

- प्रशिक्षण एवं सहयोग से छोटे खाद्य उद्यमियों को स्थापित होने में सहायता मिलेगी और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा।
- एक ज़िला-एक उत्पाद योजना के डिजिटल मानचित्र के माध्यम से इस योजना से जुड़े सभी हितधारकों के उत्पादों की समग्र जानकारी एक साथ प्राप्त हो सकेगी।
- डिजिटल मैप में आदिवासी, एस.सी, एस.टी और आकांक्षी ज़िलों के लिये संकेतक भी है। यह हितधारकों को इसके मूल्य श्रृंखला विकास के लिये ठोस प्रयास करने में सक्षम बनाएगा।
- पी.एम-एफ.एम.ई. योजना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप है और यह स्थानीयता के महत्त्व को रेखांकित करता है। इसी क्रम में भविष्य में स्थानीय उत्पादन, स्थानीय विपणन और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME Scheme)

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अतंर्गत प्रारम्भ की गई 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है।
- साथ ही, इस क्षेत्र के उन्नयन को बढ़ावा देना और इससे जुड़े किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारी उत्पादक समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य शृंखला के लिये सहायता भी प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2024-25 के मध्य 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी एवं व्यापारिक सहयोग प्रदान करने हेतु 10 हज़ार करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- विदित है कि इस योजना को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग के औपचारीकरण हेतु योजना के नाम से भी जाना जाता है

डिजिटल मीडिया में एफ.डी.आई. नीति के अनुपालन सम्बंधी निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफ.डी.आई. नीति का एक महीने में अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

- सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफ.डी.आई. की अनुमति का निर्णय 18 सितम्बर, 2019 को लियो गया था। इस निर्णय का अनुपालन करने हेतु डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों और करेंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में सलंग्न योग्य कम्पनियों को सुविधा प्रदान करने के लिये एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इस सार्वजनिक सूचना के तहत नियमों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

26% से कम विदेशी निवेश सम्बंधी नियम

- 26% से कम विदेशी निवेश वाली कम्पनियों को सार्वजनिक नोटिस जारी करने के एक माह के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी-
  - (i) निदेशकों एवं शेयरधारकों के नाम व पते के साथ कम्पनी और संस्थान के 'शेयर होल्डिंग पैटर्न' के विवरण के साथ-साथ प्रमोटरों व महत्त्वपूर्ण लाभार्थी मालिकों का नाम व पता।
  - (ii) एफ.डी.आई. नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण संसाधन) विनियम, 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण साधनों की रिपोर्ट) के तहत महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
  - (iii) स्थाई खाता संख्या (PAN) और नवीनतम लेखा परीक्षण व गैर-लेखा परीक्षण किये गए लाभ व हानि का विवरण तथा तुलन पत्र (बैलेंस शीट)।

26% से अधिक विदेशी निवेश का मामला

- जिन कम्पनियों के पास वर्तमान में 26% से अधिक विदेशी निवेश के साथ इक्विटी ढाँचा हैं, वे भी एक माह के भीतर उपर्युक्त के समान ही विवरण प्रस्तुत करेंगी।
- साथ ही, 15 अक्टूबर, 2021 तक विदेशी निवेश 26% तक कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाने होंगे।

नए विदेशी निवेश सम्बंधी नियम

- देश में नया विदेशी निवेश करने की इच्छुक किसी कम्पनी को एफ.डी.आई. नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) (संशोधन) नियम, 2019 के अनुसार डी.पी.आई.आई.टी. (DPIIT) के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- विदित है कि यहाँ निवेश का अर्थ भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या इकाई की खरीदारी, अधिग्रहण या हस्तांतरण से है।
- प्रत्येक कम्पनी को निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सम्बंधी नागरिकता आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा। कम्पनियों में एक वर्ष में 60 दिन से अधिक की नियुक्ति, अनुबंध या परामर्श के लिये तैनात किये जाने वाले विदेशी कर्मियों के बारे में उनकी तैनाती से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके लिये कम्पनियों को कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्रालय में आवेदन करना होगा और कम्पनी द्वारा प्रस्तावित विदेशी कर्मियों की तैनाती इस मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जा सकेगी।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 ज़िलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर राज्यों के समग्र विकास के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन किया जाता है।
- इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित घटक के तहत कोविड महामारी के बाद श्रमिकों और ग्रामीण आबादी को मांग संचालित कौशल और अभिविन्यास प्रदान करना है।
- ज़िला मजिस्ट्रेटों के सहयोग से मंत्रालय 125 दिनों के भीतर चयनित ज़िलों में कौशल प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रम शुरू करेगा।

प्रवासी श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम : एक नजर

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NCDC), पी. एम.के.वी.वाई. 2016-20 या राज्य योजनाओं के तहत कार्यरत मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
- 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है और अन्य 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को पूर्व अधिगम की मान्यता (Recognition of Prior Learning – RPL) योजना के तहत प्रशिक्षित किये जाने की योजना है।
- इन ज़िलों में स्थानीय नौकरियों के लिये प्रशिक्षण के लिये प्रवासी कामगारों को जुटाने का कार्य ज़िला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता

- ग्रामीण विकास, कौशल भारत मिशन का एक मूल तत्त्व है क्योंकि कुल कार्यबल का 70% ग्रामीण भारत में निवास करता है। उद्योग की बदलती जरूरतों के साथ ग्रामीण कार्यबल तैयार करने के लिये कुशल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भागीदारों के बीच तालमेल की आवश्यकता होती है।

- महामारी के दौरान कार्यबल के विस्थापन के बाद प्रवासी कुशल श्रमिकों के लिये स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु, स्थानीय या क्षेत्रीय मांग के हिसाब से नौकरियों के निर्माण का दबाव लगातार सरकार पर बन रहा था जिसके लिये ऐसे कार्यक्रम की सख्त आवश्यकता थी।
- कौशल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2016-2020 के तहत अब तक 92 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार 150 से 300 घंटों के बीच होती है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सेवा क्षेत्र में अक्तूबर महीने के क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index – PMI) में फरवरी के बाद पहली बार विस्तार देखा गया है। जहाँ सितम्बर में यह सूचकांक 49.8 पर था वहीं अक्तूबर में यह 54.1 पर पहुँच गया।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

- पी.एम.आई. विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है।
- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है, जिसका उद्देश्य कम्पनी के निति-निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को बाज़ार अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान एवं भविष्य की स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अलग-अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है।
- इस सूचकांक के जरिये किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें शामिल लगभग सभी देशों की तुलना एक जैसे मापदंड से ही होती है।
- यह सूचकांक 0 से 100 तक की स्केल पर मापा जाता है, जहाँ 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक विकास को तथा 50 से नीचे का आँकड़ा व्यावसायिक संकुचन (गिरावट) को प्रदर्शित करता है। मध्य बिंदु (50) से विचलन जितना अधिक होगा विस्तार या संकुचन उतना ही अधिक होगा।
- विगत माह के आँकड़ों से तुलना करने पर व्यावसायिक विस्तार का अंदाजा लगाया जा सकता हैं, यदि यह आँकड़ा पिछले महीने की तुलना में अधिक है तो अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। यदि यह पिछले महीने से कम है तो अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है।
- यह सूचकांक मुख्यत: 5 प्रमुख कारकों- नए ऑर्डर, इन्वेंटरी स्तर, उत्पादन, आपूर्ति-वितरण एवं रोज़गार के वातावरण पर आधारित होता है।
- पी.एम.आई. आमतौर पर महीने की शुरुआत में, औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और जी.डी.पी. के विस्तार से जुड़े आधिकारिक आँकड़ों से काफी पहले ही जारी किया जाता है। इसलिये, यह आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा व प्रमुख संकेतक माना जाता है।
- कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों पर निर्णय लेने में मदद के लिये इस सूचकांक का उपयोग करते हैं।

डिपॉज़िटरी रसीद

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (GIFT– IFSC) में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से डिपॉज़िटरी रसीद (DRs) को सूचीबद्ध करने हेतु एक विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है।

- इन नियमों के लागू होने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में सूचीबद्ध कम्पनियाँ किसी भी एक्सचेंज में अपनी डिपॉज़िटरी रसीद को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकेंगी। कम्पनियों को ऐसा करने के लिये अलग से कोई पब्लिक ऑफर नहीं लाना होगा। कम्पनियों के लिये ट्रेंडिंग का यह एक अतिरिक्त माध्यम होगा।
- ये कम्पनियाँ जी.आई.एफ.टी.- आई.एफ.एस.सी. के स्टॉक एक्सचेंज में डी.आर. को सूचीबद्ध कराने के साथ ही बाज़ार से पूंजी भी जुटा सकेंगी। अब एफ.ए.टी.एफ. के दायरे में आने वाली सूचीबद्ध कम्पनियों के लिये डिपॉज़िटरी रसीद लाना आसान हो जाएगा।
- आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा जारी डिसक्लोजर फ्रेमवर्क के अनुसार पहले से सूचीबद्ध कम्पनियों के समान इन कम्पनियों को भी वित्तीय विवरण, उत्पाद व कीमत से सम्बंधित संवेदनशील जानकारी, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, डिपॉज़िटरी में बदलाव और कॉर्पोरेट बदलाव की जानकारी जी.आई.एफ.टी.-आई.एफ.एस.सी. को देनी होगी। कम्पनियों को अलग से कोई नियामकीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता नही होगी।

डिपॉज़िटरी रसीद के बारे में

- डिपॉज़िटरी रसीद (DR) किसी बैंक द्वारा जारी एक भौतिक व परक्राम्य प्रपत्र (Negotiable Instrument) होता है, जो स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वाली विदेशी कम्पनी के शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। ये विदेशी बाज़ारों में सीधे स्टॉक खरीदने की तुलना में कम खर्चीली और अधिक सुविधाजनक है।
- डिपॉज़िटरी रसीद निवेशकों को विदेशी कम्पनियों की इक्विटी में शेयर खरीदनें तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ट्रेडिंग का विकल्प देकर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर देती है।
- ये रसीद निवेशकों को विदेशी बाज़ार में व्यापार करने की आवश्यकता के बिना विदेशी कम्पनियों के इक्विटी शेयर को रखने की अनुमति देती हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिकी डिपॉज़िटरी रसीद (ADR) डिपॉज़िटरी रसीद के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है, जो 1920 से कम्पनियों, निवेशकों और व्यापारियों को वैश्विक निवेश के अवसर प्रदान कर रही है।

री-इंवेस्ट 2020

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवम्बर, 2020 को 'वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी' (Renewable Energy Investment Meeting and Expo : RE-Invest) के तीसरे सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
- यह सम्मेलन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

री-इंवेस्ट 2020

- री-इंवेस्ट 2020 का विषय 'सतत् ऊर्जा संक्रमण के लिये नवाचार' है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा के विकल्पों पर सम्मेलन के साथ-साथ निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों व नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
- इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास व प्रसार में वृद्धि करना तथा वैश्विक निवेशक समुदाय को भारतीय ऊर्जा हितधारकों के साथ जोड़ने के विश्वव्यापी प्रयास को तीव्र करना है।
- साथ ही, वर्ष 2015 और 2018 में आयोजित पहले दो संस्करणों की सफलता पर आगे की रणनीति बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

अन्य तथ्य

- वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथी सबसे बड़ी है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 136 गीगावॉट है, जो भारत की कुल क्षमता का लगभग 36% है। वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा बढ़कर 220 गीगावॉट तक हो जाएगा।
- वर्ष 2017 के बाद से भारत की वार्षिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से अधिक है।
- पिछले 6 वर्षों में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना की वृद्धि हुई है, जबकि इसी समयावधि में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 13 गुना की वृद्धि हुई है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में बांधों की सुरक्षा और रख-रखाव हेतु ड्रिप परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंज़ूरी दे दी है।

परियोजना का उद्देश्य-

- इसका उद्देश्य चयनित बांधों व सम्बंधित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संचालन और रख-रखाव में स्थाई रूप से सुधार कर वैकल्पिक साधनों का पता लगाना है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके। साथ ही, इसमें भाग लेने वाले राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर भी बांध सुरक्षा से सम्बंधित व्यवस्था को मज़बूत कर व्यापक प्रबंधन व संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है।
- विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इस परियोजना को 10,211 करोड़ रुपए की लागत से 10 वर्ष की अवधि (2021-2031) में पूरा किया जाना है। इसके तहत 19 राज्यों के 736 बांधों को कवर किया जाएगा।
- इस योजना के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी, जिसके तहत 7 राज्यों के 223 बांधों को कवर किया गया था।
- भारत बड़े बांधों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में बड़े बांधों की संख्या 5,334 है, जिनमें से 80% से ज़्यादा बांध 25 साल से भी अधिक पुराने हैं। बांध और जलाशय देश के आर्थिक और कृषि विकास, परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ध्यातव्य है कि बांधों की देखभाल के लिये बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी (Dam Health and Rehabilitation Monitoring – DHARMA) प्रणाली का उपयोग वर्तमान में 18 राज्यों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भूकम्पीय खतरा विश्लेषण सूचना प्रणाली (Seismic Hazard Analysis Information System – SHAISYS) भी बांधों की देखभाल के लिये विकसित की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020

पृष्ठभूमि

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020' को मंज़ूरी दी।
- बैंकिंग, आई.एफ.एस.सी. के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है और इससे निश्चित समय में आई.एफ.एस.सी. में अन्य घटक परिचालनों के संचालन को सुगम बनाने की उम्मीद की जाती है।

- यह आई.एफ.एस.सी. में अनुमन्य होने वाले बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिये नियमों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

बैंकिंग विनियम के मुख्य पहलू

- आई.एफ.एस.सी. बैंकिंग इकाइयों (IBUs) की स्थापना के लिये आवश्यकताओं को पूरा करना।
- भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों (नेटवर्थ USD 1 मिलियन से कम न हो) को आई.एफ.एस.सी. बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति देना।
- भारत में रहने वाले व्यक्तियों (नेटवर्थ USD 1 मिलियन से कम न हो) को भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत किसी अनुमति प्राप्त करंट अकाउंट या पूंजीगत लेखा लेन-देन या इनके किसी भी संयोजन के लिये स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
- ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी सहित विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देना।

निगेटिव-यील्ड बॉन्ड (NEGATIVE-YIELD BONDS)

- हाल ही में, चीन द्वारा पहली बार निगेटिव-यील्ड बॉन्ड जारी किये गए, जिनकी यूरोपीय निवेशकों द्वारा भारी मांग देखी गई। ऐसे समय में जब विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तथा यूरोप जैसे विकसित बाज़ारों में ब्याज दरें बहुत कम हैं, यह निवेशकों के लिये एक बड़ा आकर्षण है।
- चीन द्वारा 10-वर्षीय और 15-वर्षीय बॉन्ड पर सकारात्मक रिटर्न की पेशकश इन बॉन्ड की भारी मांग की एक मुख्य वजह है। जैसा कि चीन द्वारा जारी किये गए 5-वर्षीय बॉन्ड पर –0.15% यील्ड है, जबकि यूरोपीय बॉन्ड में दी जाने वाली यील्ड –0.5% और –0.75% के बीच है, जो अपेक्षाकृत बहुत कम है।
- बॉन्ड सामान्यत: निगम और सरकारों द्वारा धन एकत्रित करने के लिये जारी किये गए ऋण प्रपत्र होते हैं। निवेशक बॉन्ड को अंकित मूल्य पर खरीदते हैं। निवेशकों को बॉन्ड धारण करने के लिये एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है, जिसे 'कूपन दर' कहते हैं। प्रत्येक बॉन्ड की परिपक्वता अवधि होती है जिस पर निवेशक को मूल राशि (बॉन्ड पर अंकित मूल्य) का भुगतान किया जाता है।
- निगेटिव-यील्ड बॉन्ड वे ऋण प्रपत्र हैं, जो निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर अंकित मूल्य से कम राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। ये सामान्यत: केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं तथा निवेशक व उधारकर्ता को उसकी धनराशि के एवज में ब्याज अदा करते हैं। निगेटिव-यील्ड बॉन्ड तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश को आकर्षित करते हैं जो निवेशकों को उनकी पूंजी के क्षरण से बचाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

माइक्रो इरीगेशन फंड

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, माइक्रो इरीगेशन फंड से अनुदान ऋण ब्याज जारी किया गया। एम.आई.एफ. की संचालन समिति ने गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के लिये 3900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिये परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
- उल्लेखनीय हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 5000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरीगेशन फंड (एम.आई.एफ. कोष) बनाया गया था।
- इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष और नवीन परियोजनाओं के विकास हेतु सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज विस्तार हेतु ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना है।
- साथ ही, इसका उद्देश्य 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद, अधिक फसल' के प्रावधानों से परे भी सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर

- सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के 'वनस्पति विज्ञान और बागवानी विभाग' ने पम्पोर (कश्मीर) और यांगयांग (सिक्किम) क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु में समानता का पता लगाया है। इसके आधार पर केसर की खेती को पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तारित करने के उद्देश्य से केसर के पौधों को कश्मीर से सिक्किम ले जाया गया।
- ध्यातव्य है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय 'नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच' (NECTAR) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले केसर को बड़ी मात्रा में उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये पायलट परियोजना में मदद की है।
- विदित है कि लम्बे समय से केसर का उत्पादन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित रहा है। यहाँ का पम्पोर क्षेत्र केसर के कटोरे (Saffron Bowl) के रूप में जाना जाता है। यहाँ के बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ भी प्रमुख केसर उत्पादक जिले हैं।
- केसर पारम्परिक कश्मीरी व्यंजनों तथा अपने औषधीय गुणों के कारण कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यद्यपि कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहने के कारण इसका उत्पादन सीमित है। केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2010-2011 में 'राष्ट्रीय केसर मिशन' शुरू किया था, जिसके तहत पम्पोर के दुस्स में 'इंडिया इंटरनेशनल केसर ट्रेड सेंटर' (केसर पार्क) नाम से एक व्यापार केंद्र बनाया गया था।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे :

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124	पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	Website: www.sanskritiIAS.com Follows us on:

8

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

राष्ट्रीय राजधानी और सम्बद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग

भूमिका

हाल ही में, राष्ट्रपति ने 'राष्ट्रीय राजधानी और सम्बद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020' पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास वायु प्रदूषण को ट्रैक करने तथा इस पर नियंत्रण लगाने हेतु एक वैधानिक प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। अध्यादेश के अनुसार, इस आयोग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों पर सर्वोच्चता प्राप्त होगी।

इस आयोग की स्थापना का कारण

- दिल्ली एन.सी.आर. क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन का कार्य वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) सहित कई निकायों द्वारा किया जाता है।
- इन निकायों की निगरानी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं की जाती है। उच्चतम न्यायालय 'एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1988' के निर्णय के अनुसार वायु प्रदूषण की निगरानी करता है।
- इस अध्यादेश द्वारा सभी निगरानी निकायों को मजबूत करने और उन्हें एक मंच पर लाने हेतु आयोग के गठन का प्रयास किया गया है, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिक व्यापक, कुशल और समयबद्ध तरीके से किया जा सके।
- साथ ही, इस आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करने से राहत देने का प्रयास भी किया गया है।

आयोग की संरचना

- यह आयोग एक स्थाई निकाय होगा। इसमें 20 से अधिक सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी या किसी राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा की जाएगी।
- इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का एक प्रतिनिधि, पांच सचिव स्तर के अधिकारी (पदेन सदस्य) और दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (पूर्णकालिक सदस्य) होंगे।
- साथ ही, इस आयोग में सी.पी.सी.बी, इसरो, वायु प्रदूषण विशेषज्ञों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के तीन प्रतिनिधियों भी प्रतिनिधित्व होगा।
- इस आयोग में सहयोगी सदस्यों के रूप में कृषि, पेट्रोलियम, बिजली, सड़क परिवहन व राजमार्ग, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालयों तथा वाणिज्य व उद्योग सहित कई अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

आयोग की शक्तियाँ

- वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मामलों में यह आयोग सभी मौजूदा निकायों में सर्वोच्च होगा। इसमें राज्यों को निर्देश जारी करने की शक्तियाँ भी निहित होगी।

- आयोग वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकारों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा और वायु गुणवत्ता मापदंडों को भी निर्धारित करेगा।
- इस आयोग में गम्भीर वायु प्रदुषण वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ होंगी। साथ ही, यह आयोग औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण का भी कार्य कर सकता है।
- यदि आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो यह आयोग जुर्माना और कारावास का दंड भी दे सकता है।

राज्य के मामले में आयोग की भूमिका

- अध्यादेश में यह स्पष्ट है कि अब राज्य निकायों और केंद्रीय निकायों के पास भी वायु प्रदूषण के मामलों से सम्बंधित अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
- आयोग राज्यों के साथ-साथ नीति के नियोजन व निष्पादन तथा हस्तक्षेप, उद्योगों के संचालन, निरीक्षण, प्रदूषण के कारणों पर शोध आदि के मध्य समन्वय स्थापित करेगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार इस अध्यादेश के द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति भी नए आयोग के पास आ सकती है। एक प्रकार से यह आयोग वायु प्रदूषण के मामलें में प्रदूषण नियंत्रण निकायों की प्रासंगिकता को कम या समाप्त कर देगा हालाँकि, इन निकायों की जल तथा ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित शक्तियाँ यथावत् जारी रहेंगी।
- किसी राज्य तथा आयोग द्वारा जारी निर्देशों के मध्य टकराव की स्थिति में आयोग के निर्णय को लागू किया जाएगा।

चुनौतियाँ

- अध्यादेश के अनुसार, समिति का गठन 'अस्थाई व कामचलाऊ उपायों' को राज्यों और विशेषज्ञों की 'कारगर सहभागिता' द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिये किया गया है।
- आयोग में केंद्र सरकार के सदस्यों की संख्या अधिक है, जो राज्यों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, राजनीतिक मतभेद आयोग के कामकाज में एक अहम भूमिका निभा सकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग ज़मीनी स्तर पर स्वत: होने वाली कार्रवाईयों की कोई गारंटी नहीं देता है और एक नया आयोग बनाकर सरकार ने वायु प्रदूषण के मुद्दे को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया है।
- अध्यादेश के अनुसार, आयोग जिन मामलों में शामिल होगा उन मामलों की सुनवाई के लिये केवल एन.जी.टी. ही अधिकृत है सिविल कोर्ट नहीं।

निष्कर्ष

यह देखना होगा कि नए आयोग के गठन द्वारा वायु प्रदूषण के मुद्दे को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर सम्बंधित मुद्दों पर सरकार क्या सिर्फ स्व-सशक्तिकरण करने और प्रासंगिक बने रहने का प्रयास कर रही है अथवा वास्तव में यह संकट का समाधान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण रणनीति बना रही है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : चुनौतियाँ तथा समाधान

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रयासों के बावजूद पूरे देश में (विशेषकर दिल्ली तथा एन.सी.आर. में) प्रदूषण में कमी ना होने के कारण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है,

इसलिये पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (SPCB) के कार्यों तथा चुनौतियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

मूल्यांकन की आवश्यकता

- प्रदूषण संकट एक अत्यधिक जटिल तथा बहु-विषयक समस्या है जिसमें कई कारकों का योगदान है। इस संकट को दूर करने करने के लिये भारत में बहुत अधिक नियम, कानून और विशिष्ट एजेंसियाँ मौजूद हैं, परंतु इनका प्रभाव केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का मुख्य कार्य नीति-निर्माण है जबकि इन नीतियों को लागू करने का कार्य एस.पी.सी.बी. द्वारा किया जाता है। हालाँकि एस.पी.सी.बी. को सी.पी.सी.बी. द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, फिर भी इसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चुनौतियाँ

- वर्तमान में अधिकांश राज्य नियंत्रण बोर्ड कर्मचारियों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं, उदहारण के लिये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 70% कर्मचारियों की कमी के साथ कार्य कर रहा है इसलिये राज्य में प्रदूषण से सम्बंधित पर्याप्त निरीक्षण, निगरानी तथा नियंत्रण उपाय कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं।
- प्रदूषण फैलाने या इसमें वृद्धि करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये एस.पी.सी.बी. के पास आवश्यक कानूनी कौशल की कमी है। वर्तमान में ज़िला एस.पी.सी.बी. कार्यालयों में इंजीनियरिंग स्नातक कर्मचारियों को आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई हेतु वकीलों की भूमिका निभानी पड़ती है। इसलिये अदालतों में क्लर्क और अधीक्षक अक्सर कानूनी खामियों के चलते ऐसे मामलों को दर्ज करने से इनकार कर देते हैं।
- एस.पी.सी.बी. के अधिकारियों को विशेषज्ञता विकसित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते जिसके कारण इनमें विशेषज्ञता का अभाव है।
- एस.पी.सी.बी. के समक्ष वित्त की कमी एक बड़ी समस्या है। एस.पी.सी.बी. के पास अधिकांश फंड 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) तथा 'कार्यान्वयन सहमति' के माध्यम से आते हैं अर्थात् बोर्ड के पास फंड सरकार द्वारा बजटीय आवंटन की बजाय उद्योगों तथा परियोजनाओं को अनुमति देने से आते हैं, जिसके कारण एस.पी.सी.बी. प्रशासन महत्त्वपूर्ण कार्यों पर खर्च करने में असमर्थ रहते हैं।
- कई बार एस.पी.सी.बी. के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती है जबकि उनके ऊपर पहले से अधिक कार्यभार होता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सशक्तिकरण हेतु सुझाव

- एस.पी.सी.बी. की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन प्रमुख रूप से 4 समितियों द्वारा किया गया है-भट्टाचार्य समिति (1984), बेल्लियप्पा समिति (1990), ए.एस.सी.आई. अध्ययन (1994) तथा उप-समूह अध्ययन (1994)।
- इन समितियों द्वारा अपने अध्ययनों में एस.पी.सी.बी. तथा सी.पी.सी.बी. के संदर्भ में मुख्य रूप से पर्याप्त वित्तीय समर्थन और नियुक्तियों के जरिये मानव संसाधन की पूर्ति, उद्योगों को प्रदूषण उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकृत करना तथा उन्हें समय-समय पर संशोधित करना, आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग, आम जनता के बीच प्रदूषण रोकथाम से सम्बंधित जागरूकता का प्रसार करना आदि सुझाव दिये गए हैं।

निष्कर्ष

एस.पी.सी.बी. को आवश्यक वित्तीय तथा मानव संसाधन, आधुनिक उपकरण तथा प्रौद्योगिकी प्रदान करने के साथ ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)

- राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यरत होते हैं जो राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के विषयों पर सलाह देते हैं।
- केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण से सम्बंधित विषयों पर सलाह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी जाती है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य तथा उद्देश्य

- उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करना।
- उत्पादन इकाइयों के संचालन हेतु सहमति देना तथा प्रदूषण से सम्बंधित निवारक उपायों का नियमन करना।
- औद्योगिक इकाइयों के निरंतर निरीक्षण के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण करना।
- पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करना।
- खतरनाक कचरे का उत्पादन करने वाली इकाइयों की पहचान करना तथा उन पर उपयुक्त कार्यवाही कर प्रदूषण को नियंत्रित करना।
- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से सम्बंधित जानकारी का संग्रह और प्रसार करना।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : समस्याएँ, वर्तमान प्रयास तथा सुझाव

संदर्भ

हाल ही के कुछ वर्षों में भारत के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यापक चुनौती बनकर उभरा है। ठोस अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन तथा निपटान के कारण भूक्षरण तथा खतरनाक गैसों के रिसाव से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न होता है। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरों तथा कस्बों की साफ-सफाई का उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों का होता है।

समस्याएँ

- सम्पूर्ण भारत में, ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु मौजूदा प्रणालियाँ कई समस्याओं का सामना कर रही हैं; यह समस्या भारत के शहरी क्षेत्रों में काफी गम्भीर है। शहरी आबादी द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में तथा तेज़ी से ठोस कचरा उत्पन्न किया जा रहा है, शहरी स्थानीय निकाय इस ठोस कचरे का प्रबंधन तथा निपटान करने में असमर्थ हैं।
- अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी ढाँचे की कमी से जूझ रहे हैं, जैसे- अकुशलता तथा संस्थागत क्षमता, वित्तीय समस्याएँ और इच्छाशक्ति की कमी आदि। इस प्रकार, ये संस्थाएँ नवीन और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने में असमर्थ हैं।
- अपशिष्ट निपटान के तरीके को विनियमित करने हेतु विभिन्न कानून पारित किये गए हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा ठोस अपशिष्ट तथा इससे सम्बंधित मुद्दों को हल करने हेतु विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश नीतियों को लेकर हितधारकों के मध्य स्पष्टता तथा जागरूकता का अभाव है। साथ ही, नियामकों के खराब प्रदर्शन के कारण नीतियों के उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं हो पाते हैं।

- भारत में मुख्य रूप से अपशिष्ट निपटान के दो तरीके; अपशिष्ट डम्पिंग और ओपन बर्निंग हैं। इसमें अधिकतर शहर और कस्बों के बाहर के इलाकों में अपशिष्ट जमा करके निपटान किया जाता है, इससे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सरकार के प्रयास

- पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रैल, 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया। अपशिष्ट के ये नियम नगरपालिका क्षेत्राधिकार से बाहर भी लागू होते हैं। इसमें अपशिष्ट के पुनः उपयोग तथा पुन:चक्रण हेतु विस्तृत तथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किये गए हैं। साथ ही, इन नए नियमों में खुले सार्वजानिक स्थानों, बाहरी परिसर, नालियों तथा जल निकायों में कूड़ा फेकने या जलाने पर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।
- पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2011 के नियमों को संशोधित किया। नए संशोधनों में गैर पुनर्चक्रण बहुपरती प्लास्टिक, कैरी बैग तथा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिबिलिटी (EPR) से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं। प्लास्टिक कैरी बैग कूड़े-कचरे का सबसे बड़ा घटक है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2014 में पाँच वर्ष की अवधि के लिये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना था। इस मिशन के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। साथ ही, मिशन के अंतर्गत लगातार नए तथा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग, कम्पोस्ट बनाओ-कम्पोस्ट अपनाओ आदि।

सुझाव

शहरों ने अपनी भौगोलिक सीमा के अन्दर कचरे के विकेंद्रीकृत निपटान तथा उपचार हेतु योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। थ्री आर (रिड्यूस, रियूज़ तथा रिसाइकिल) और बायोमैथेनेशन प्लांटों के माध्यम से लैंडफिल साईटों पर दबाव कम किया जा सकता है।

- अपशिष्ट कचरे के पुनर्चक्रण हेतु व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक वेस्ट टू एनर्जी (WtE) है। इसमें दहन के जरिये विद्युत का उत्पादन किया जाता है लेकिन अधिकांश डब्ल्यू.टी.ई. संयंत्र परिचालन और डिज़ाइन सम्बंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तकनीक तथा निवेश के माध्यम से इन संयंत्रों का कुशल तथा प्रभावी परिचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- भारत में अपशिष्ट संग्रहण क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, संग्रहण प्रणाली में एकरूपता लाने तथा दक्षता बढ़ाने हेतु निजी भागीदारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- भारत में समुचित नियोजन तथा परिष्कृत प्रक्रिया सुविधाओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- दक्षिण कोरिया में खाद्य कचरे का अलग से पुनर्चक्रण करने का प्रावधान है। साथ ही, इस देश ने 'नानजिदो रिकवरी प्रोजेक्ट' की शुरुआत भी की है, जिसने खतरनाक अपशिष्ट स्थलों को सफलतापूर्वक आकर्षक स्थलों में परिवर्तित किया है।

निष्कर्ष

- वर्तमान में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण शहरों व कस्बों में ठोस अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है, जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिये ही चुनौती उत्पन्न कर रही है। इस चुनौती से निपटने के लिये आवश्यक है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ऐसी प्रणाली को अपनाया जाए जो बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होने के साथ-साथ पर्यावरण के भी अनुकूल हो।

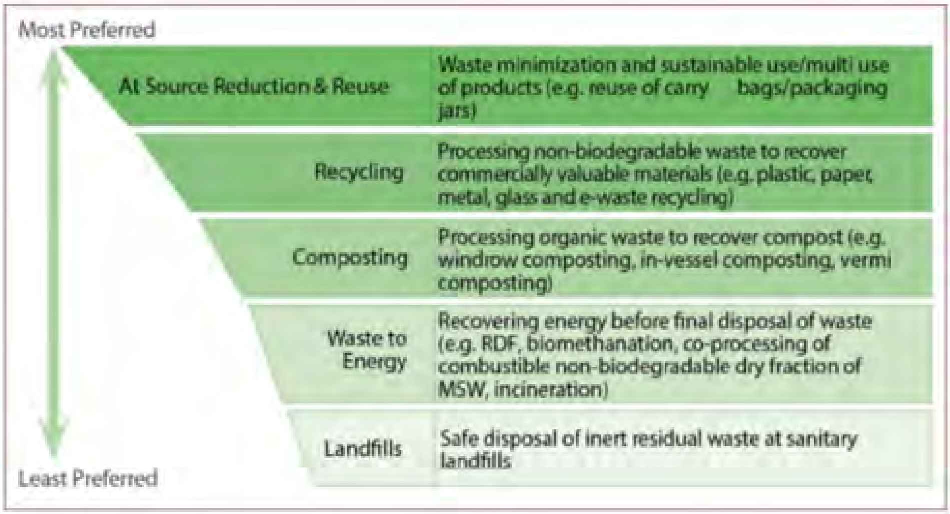

जुगनू : स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक

मौसम में परिवर्तन का संकेत देने वाले जुगनू जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो रहे हैं।

जुगनू

- जुगनू कोलियोप्टेरा समूह (Coleoptera) के लैंपिरिडाइ परिवार (Lampyridae) से सम्बंधित हैं, जो पृथ्वी पर डायनासोर युग से विद्यमान हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में जुगनू पाए जाते हैं।
- रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग इनके पेट में होता है। ये विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इसे 'लूसीफेरिन' (Luciferin) नामक तत्त्व से मिला देते हैं, जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रोशनी को 'बायोल्यूमिनिसेंस' (Bioluminescence) कहा जाता है। इस रोशनी में ताप लगभग न के बराबर होता है।

पर्यावरण संकेतक के रूप में

- जुगनू स्वस्थ पर्यावरण के भी संकेतक होते हैं, क्योंकि ये बदलते हुए पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये केवल स्वस्थ वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं।
- जुगनू ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहाँ जल जहरीले रसायनों से मुक्त होता है और भूमि व मृदा जीवन के लिये सहायक होती है तथा प्रकाश प्रदूषण न्यूनतम होता है।

प्रकाश प्रदूषण

- प्रकाश प्रदूषण को 'फोटो पौल्यूशन' या 'लुमिनस पौल्यूशन' के रूप में भी जाना जाता है। रात्रि के समय बढ़ते कृत्रिम प्रकाश को प्रकाश प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। मानवजनित और कृत्रिम प्रकाश वातावरण में प्रकाश प्रदूषण का एकमात्र कारण है।
- प्रकाश प्रदूषण रात्रि के समय आसमान को धुंधला कर देता है और तारों के प्रकाश तथा सर्कैडियन चक्र (अधिकतर जीवों की 24 घंटे की प्रक्रिया) को भी बाधित करता है, जिससे पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव व खगोल विज्ञान सम्बंधी शोध प्रभावित होते हैं।

उपयोगिता

- जुगनू मुख्यत: पराग या मकरंद के सहारे जीवित रहते हैं तथा बहुत से पौधों के परागण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जुगनुओं की उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक इसके चमकने के गुण का प्रयोग करके कैंसर व अन्य बीमारियों का पता लगा रहे हैं।
- उदाहरणस्वरुप स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने जुगनुओं को चमकने में सहायक प्रोटीन को एक केमिकल में मिलाया और जब उसे ट्यूमर कोशिका जैसे दूसरे मॉलेक्यूलर से जोड़ा गया तो यह चमक उठा।

संख्या में गिरावट

- जुगनुओं की आबादी कई कारणों से कम हो रही है। इसमें पेड़ों की कटाई व बढ़ता औद्योगीकरण प्रमुख है।
- साथ ही, प्रवासन भी एक समस्या है। कभी-कभी जुगनू ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं, जहाँ इनके रहने के लिये नमी और आर्द्रता जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं होती।
- प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू एक-दूसरे का प्रकाश नहीं देख पाते, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनका जैविक चक्र प्रभावित होता है।
- कीटनाशकों के प्रयोग से भी जुगनुओं के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। जुगनू के जीवन का एक बड़ा हिस्सा लार्वा के रूप में भूमि, भूमि के नीचे या जल में बीतता है, जहाँ इन्हें कीटनाशकों से खतरा रहता है।

भारत में दुर्लभ तितलियों की मौजूदगी

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, भारत में दुर्लभ 'ब्रांडेड रॉयल तितली' को 130 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद नीलगिरी में देखा गया है।
- इसको अंतिम बार वर्ष 1888 में ब्रिटिश कीट-विज्ञानशास्त्री (Entomologist) जी.एफ. हैम्पसन द्वारा देखा किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, काले रंग के मखमली पंखों वाली ब्लू मॉर्मन तितली को पटना में देखा गया है, जबकि यह पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति है।
- स्पॉटेड एंजेल तितली नामक एक अन्य दुर्लभ प्रजाति को छत्तीसगढ़ के आरक्षित वनों में देखा गया है। साथ ही, लिलिअक सिल्वरलाइन तितली को पहली बार राजस्थान के अरावली रेंज में देखा गया जो केवल बैंगलोर में पाई जाने वाली एक संरक्षित प्रजाति है।

वास स्थान के प्रति विशिष्टता

- तितलियाँ वास स्थान के प्रति अत्यंत विशिष्ट व संवेदनशील होती हैं, अत: इनके वास स्थान में बदलाव बहुत कम देखा जाता है अर्थात् अनुकूल वास स्थान के आभाव में तितलियाँ उस क्षेत्र को छोड़ देती हैं और इसीलिये इन्हें जैव-संकेतक भी माना जाता है।
- भारत में आमतौर पर तितलियों की उपस्थिति दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत से लेकर मानसून के बाद तक देखी जाती है।

वास स्थान में बदलाव का कारण

- वास स्थान के बाहर तितलियों का पाया जाना इनके आवास स्थल के विस्तार की ओर संकेत करता है। इसका दूसरा कारण महामारी के दौरान अधिक लोगों द्वारा गैर-अन्वेषित आवासों तक पहुँच और घरेलू उद्यानों का अधिक अवलोकन हो सकता है।

- इसके अतिरिक्त इन तितलियों का पहाड़ी और ऊँचे स्थानों की जगह मैदानी व अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर मिलना जलवायु परिवर्तन का भी द्योतक है।
- **'बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया'** के नाम से प्रसिद्ध इसाक केहिमकर के अनुसार, तितलियाँ मौसम व आवास के प्रति संवेदनशील होती हैं और जब आवास स्थल प्रदूषित होता है तो वे इसको छोड़ देती हैं।
- इसके अतिरिक्त आवास स्थलों के संकुचन से भी इनकी आबादी बाह्य क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है।

अन्य तथ्य

- विशाखापत्तनम में पहली बार रिकॉर्ड किये गए मार्बल्ड मैप तितली को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-II के तहत संरक्षित किया गया है। यह दुर्लभ प्रजाति सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, भूटान और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों तक सीमित है।
- 'भूटान ग्लोरी' भी एक संकटापन्न प्रजाति है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। विदित है कि मालाबार बैंडेड पीकॉक दक्षिण भारत की एक स्थानिक तितली है।

नए रामसर स्थल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लोनार झील (महाराष्ट्र) तथा सूर सरोवर (उत्तर प्रदेश) को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में अब भारत की आर्द्रभूमियों की संख्या 41 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है।

प्रमुख तथ्य

- लोनार झील देश की एकमात्र क्रेटर झील है, जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के टकराने की वजह से हुआ था। खारे पानी की यह झील महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में स्थित है।
- सूर सरोवर को 'कीथम झील' के नाम से भी जान जाता है और यह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में अवस्थित है। पंचकोणीय आकार वाली इस झील के किनारे अनेक पक्षी तथा मछलियाँ पाई जाती हैं। साथ ही, यहाँ मानव-निर्मित टापू भी बने हुए हैं। दंतकथाओं के अनुसार, इस झील का नाम नेत्रहीन कवि सूरदास के नाम पर पड़ा जिन्हें यहां पर भक्ति काव्य की रचना की प्रेरणा मिली थी। उत्तर प्रदेश की यह आठवीं आर्द्रभूमि है। इसे वर्ष 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया था।
- ध्यातव्य है की इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामसर अभिसमय के तहत काबरताल (बिहार में पहली आर्द्रभूमि) को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। साथ ही, उत्तराखंड के पहले आर्द्रभूमि के रूप में आसन संरक्षण रिज़र्व को भी इस सूची में जोड़ा गया था।
- आसन कंजर्वेशन रिज़र्व, उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में यमुना नदी की सहायक आसन नदी के समीप 444 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो जैव विविधता केंद्र के रूप में गम्भीर रूप से लुप्तप्राय रेडहेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर तथा बीयर्स पोचर्ड (Baer's Pochard) सहित पक्षियों की 330 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रवासी पक्षियों जैसे कि रेड क्रेस्टेड पोचर्ड और रूडी शेल्डक के साथ-साथ 40 से अधिक मछली की प्रजातियों का भी एक प्रसिद्ध प्रवास स्थल है। रामसर स्थल घोषित किये जाने के लिये इस रिज़र्व ने आवश्यक नौ मानदंडों में से पाँच मानदंडों को पूरा किया है, जिसके बाद यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है।
- कबरताल, जिसे कंवर झील के रूप में भी जाना जाता है, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में 2,620 हेक्टेयर क्षेत्र में भारत-गंगा मैदान में फैला हुआ है। यह स्थल स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर

प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाढ़ बफर का भी कार्य करता है। यह स्थल गम्भीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध, जैसे रेड हेडेड वल्चर और व्हाइट रम्प्ड वल्चर आदि का निवास स्थान है।

रामसर अभिसमय

- रामसर अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2 फरवरी, 1971 को सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौते में से एक है।
- ईरान के रामसर शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे इस कारण इसके तहत संरक्षण के लिये चुने गए स्थानों को 'रामसर स्थल' के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 170 से अधिक सदस्य देशों के 2,000 से अधिक स्थलों को नामित किया गया है।

मियावाकी वन

चर्चा में क्यों?

- जापान की मियावाकी पद्धति से प्रेरणा लेते हुए भारत में भी वनों की नई श्रृंखलाओं पर विभिन्न राज्यों द्वारा काम किया जा रहा है। इस पद्धति द्वारा निर्मित वनों को मियावाकी वन कहा जाता है।

मियावाकी पद्धति (Miyawiki Method)

- यह वनरोपण की एक विशेष पद्धति है, जिसकी खोजअकीरा मियावाकी नामक जापान के एक वनस्पतिशास्त्री ने की थी। इसमें छोटे-छोटे स्थानों पर छोटे-छोटे पौधे रोपे जाते हैं, जो साधारण पौधों की तुलना में दस गुनी तेजी से बढ़ते हैं।
- वर्ष 2014 में मियावाकी ने इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए हिरोशिमा के समुद्री तट के किनारे पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे न सिर्फ शहर को सुनामी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सका था, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया गया कि किस प्रकार हम इन विशेष तकनीकों के माध्यम से बड़े खतरों को रोक सकते हैं।
- यह पद्धति विश्व-भर में लोकप्रिय है और इसने शहरी वनरोपण की संकल्पना में क्रांति ला दी है। दूसरे शब्दों में, इस पद्धति ने घरों और परिसरों को उपवन में परिवर्तित कर दिया है। चेन्नई में भी यह पद्धति अपनाई जा चुकी है।

क्या है यह तकनीक?

- इस तकनीक में 2 फीट चौड़ी और 30 फीट लम्बी पट्टी में 100 से भी अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं।
- पौधे पास-पास लगाने से उन पर मौसम की मार का विशेष असर नहीं पड़ता और गर्मियों के दिनों में भी पौधों के पत्ते हरे बने रहते हैं। पौधों की वृद्धि भी तेज गति से होती है।
- कम स्थान में लगे पौधे एक ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करते हैं और बारिश को आकर्षित करने में भी सहायक होते हैं।
- एक प्राकृतिक वन को विकसित होने में 100 साल लगते हैं। लेकिन चूँकि मियावाकी पद्धति में, पौधों को सूर्य के प्रकाश के लिये प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है अतः इस पद्धति में पौधे तेजी से बढ़ते हैं, और 20-25 वर्षों में ही परिणाम प्राप्त होने लगता है।
- इस तकनीक का इस्तेमाल केवल वन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि घरों के गार्डन में भी किया जा सकता है।

भारत में मियावाकी पद्धति के अनुप्रयोग

- विगत कुछ वर्षों में, नगरपालिकाओं की सक्रियता तथा पर्यावरणविदों के अथक प्रयासों से मियावाकी वन परियोजनाएँ पूरे देश में प्रसिद्ध हो रही हैं।

- तेलंगाना राज्य सरकार, घने वृक्षारोपण की 'यादाद्री' पद्धति (Yadadri method) का प्रयोग कर रही है, जिसके कारण वारंगल में सकरात्मक परिणाम सामने आए हैं।
- इस क्रम में तमिलनाडु में, हरित योद्धा (Green Warriors) भी इस प्रकार के वन मॉडल को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय पारिस्थितिकी में सुधार आएगा बल्कि किसानों की आय का एक नया विकल्प भी खुलेगा।

एन.टी.पी.सी. की नई हरित पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (JBIC) के ग्लोबल एक्शन फॉर रिसाइक्लिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एन्वॉयरनमेंट प्रोटेक्शन (GREEN) पहल के तहत जे.बी.आई.सी. के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है।

मुख्य बिंदु

- समझौते के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कम्पनी एन.टी.पी.सी. को 50 अरब जापानी येन (लगभग 48.2 करोड़ डॉलर या 3,582 करोड़ रुपए) का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- समझौते के प्रावधानों के तहत जे.बी.आई.सी. सुविधा राशि का 60% हिस्सा प्रदान करेगा और बाकी हिस्सा जापान के अन्य वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराएंगे। ये बैंक यह राशि जे.बी.आई.सी. की गारंटी के तहत प्रदान करेंगे।
- एन.टी.पी.सी. लिमिटेड इस ऋण आय का उपयोग अपने फ्लू गैस डी–सल्फराइज़ेशन (Flue Gas Desulphurization– FGD) और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में आने वाले पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिये करेगा।
- एन.टी.पी.सी. लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन

- फ्लू गैस डी–सल्फराइज़ेशन (FGD) जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैसों (दहन के फलस्वरूप चिमनी से निकलने वाली गैसों का मिश्रण) से दहन प्रक्रियाओं से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) को पृथक करने की एक विशेष तकनीक है। अतः यह पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस तकनीक में जीवाश्म-ईंधनों पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैस में उपस्थित SO_2 को एक प्रकार की अवशोषण प्रक्रिया (Absorption Process) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। एफ.जी.डी. प्रणाली में आर्द्र स्क्रबिंग (Wet Scrubbing) या ड्राई स्क्रबिंग (Dry Scrubbing) प्रक्रियाएँ भी शामिल होती हैं।
- आर्द्र एफ.जी.डी. प्रक्रिया में फ्लू गैसों को एक अवशोषक के सम्पर्क में लाया जाता है, जो एक तरल या ठोस सामग्री का घोल होता है। सामान्य अभिक्रिया स्वरुप SO_2 इस अवशोषक में घुल जाती है और अलग कर ली जाती है।
- ड्राई एफ.जी.डी. प्रणाली में अवशोषक के रूप में चूना पत्थर या लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है।
- आर्द्र एफ.जी.डी. प्रणाली के द्वारा प्रदूषण कम करने के अलावा उत्पाद के रूप में **जिप्सम** भी प्राप्त होता है, जो लगभग 90% शुद्ध होता है। आर्द्र एफ.जी.डी. प्रक्रिया में प्राप्त सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2) के कैल्शियम से अभिक्रिया के बाद जिप्सम ($CaSO_4 - 2H_2O$) का निर्माण होता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन, जापान का एक प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, जो मुख्यत: एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जिसकी स्थापना 1 अक्तूबर 1999 को जापान के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (JEXIM) और ओवरसीज इकॉनोमिक को-ऑपरेशन फंड (OECF) के विलय द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो में है।

निर्यात ऋण एजेंसियाँ

निर्यात ऋण एजेंसियाँ या निवेश बीमा एजेंसियाँ मुख्यत: निजी या अर्द्ध सरकारी संस्थाएँ होती हैं, जो सरकारों और निर्यातकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। ये एजेंसियाँ निर्यात बीमा क्षेत्र से जुड़े समाधान जारी करती हैं और वित्तपोषण के लिये गारंटी देती हैं।

गिद्ध संरक्षण हेतु कार्य योजना 2020-2025 (Action Plan for Vulture Conservation)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण हेतु पंचवर्षीय कार्य योजना (2020-2025) की शुरुआत की है।

मुख्य बिंदु

- इस कार्य योजना का उद्देश्य न केवल गिद्धों की संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि इनकी आबादी को सक्रिय रूप से बढ़ाना भी है।
- भारत में गिद्धों की घटती आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कार्य योजना को शुरू किया है। गिद्ध मृत पशुओं का मांस खाकर पर्यावरण संरक्षण तथा कई बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ध्यातव्य है कि गिद्धों की घटती संख्या का मुख्य कारण उन मृत पशुओं के मांस का सेवन है, जिनमें डाईक्लोफिनेक नामक दर्द निवारक दवा के अंश पाए गए।
- इस कार्य योजना से गिद्धों के भोजन तथा मवेशी पशुओं में जहरीले तत्वों को रोकने के लिये पशु चिकित्सा को नियंत्रित तथा विनियमित किया जाएगा।
- इस कार्य योजना हेतु लगभग 207 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा में गिद्धों के 5 अतिरिक्त प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

अन्य तथ्य

- केंद्र सरकार द्वारा इजिप्शियन तथा रेड-हेडेड गिद्धों के लिये संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं- ओरिएंटल व्हाइट-बेक्ड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन।
- वर्ष 1980 के दशक तक भारत में गिद्धों की आबादी लगभग 40 मिलियन थी। हालाँकि 1990 के दशक के मध्य तक इनकी संख्या में 90% तक गिरावट आ गई।

पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व

- हाल ही में, पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फियर (MAB) प्रोग्राम के तहत बायोस्फियर रिज़र्व की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। यह इस सूची में शामिल भारत का 12वाँ बायोस्फियर रिज़र्व है।
- विंध्यन पर्वत श्रेणी में स्थित पन्ना बायोस्फियर रिज़र्व मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर ज़िले में फैला हुआ है। इसके मध्य में केन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
- पन्ना नेशनल पार्क को वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2011 में इसे बायोस्फियर रिज़र्व घोषित किया था।
- इस रिज़र्व में बाघ के अतिरिक्त तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, चित्तीदार बिल्ली, साही और सांभर जैसे जानवर तथा 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ, जिनमें लाल सिर वाला गिद्ध, बार-हेडेड हंस, हनी बुझार्ड और भारतीय गिद्ध आदि शामिल हैं, निवास करती हैं। यहाँ केन नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं।
- वनस्पति प्रकारों में यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सागौन, बोसवेलिया वन, एनोजिअस पेंडुला वन के साथ-साथ पठारों की खड़ी ढलानों पर बबूल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसका गठन 4 नवम्बर 1946 को हुआ था। जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा मानव-पशु संघर्ष को हल करने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष नए बायोस्फियर रिज़र्व को नामित किया जाता है।

ब्राउन कार्बन टारबॉल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ब्राउन कार्बन टारबॉल (Brown Carbon Tarballs) हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की गति को और तेज़ कर रहे हैं।

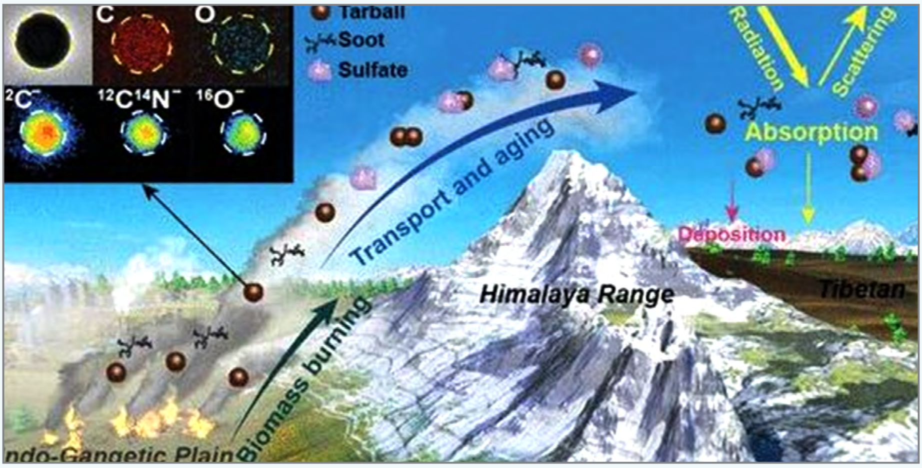

ब्राउन कार्बन टारबॉल क्या हैं?

- टारबॉल प्रकाश अवशोषित करने वाले कार्बनयुक्त छोटे कण हैं, जो वर्तमान में हिमालयी क्षेत्रों में जमी बर्फ पर बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं।

- ये टारबॉल मुख्यत: जीवाश्म ईंधनों के जलने के दौरान उत्सर्जित ब्राउन कार्बन से बने होते हैं।
- ध्यातव्य है कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से ब्लैक कार्बन भी उत्सर्जित होता है और वह भी ब्राउन कार्बन के सामान ही प्रदूषक होता है।
- इन टारबॉल का औसत आकार 213 और 348 नैनोमीटर होता है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

- पूर्व के अध्ययनों के अनुसार अभी तक ब्लैक कार्बन के ही हिमालयी वायुमंडल में प्रवेश करने की घटना सामने आई थी।
- नए अध्ययनों से पता चला है कि भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गेहूँ के अवशेषों को जलाने की वजह से उत्पन्न प्रदूषक विशेषकर ब्राउन कार्बन, मैदानों से हिमालय की ओर चलने वाली पवनों के द्वारा बड़ी मात्रा में हिमालयी क्षेत्रों में पहुँच रहा है।
- हिमालयी क्षेत्रों में टारबॉल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और यह ग्लेशियरों के पिघलने व वैश्विक तापन की गति को और ज़्यादा तेज़ कर रहा है।

ग्रेट बैरियर रीफ

- ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक पृथक प्रवाल भित्ति (Coral Reaf) की खोज की है, जिसकी ऊँचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आइफिल टॉवर की ऊँचाई से भी अधिक है।
- 100 वर्षों में इस तरह की यह पहली खोज है।
- ब्लेड के सामान आकृति का यह रीफ लगभग 500 मीटर ऊँचा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है।
- यह समुद्र तल से 40 मीटर नीचे और ग्रेट बैरियर रीफ के किनारे से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित है।

ग्रेट बैरियर रीफ

- द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है, जो 2,900 से अधिक एकल प्रवाल भित्तियों और 900 द्वीपों से मिलकर बना है। यह विलक्षण मूँगे की चट्टानों के लिये प्रसिद्ध है।
- यह लगभग 344,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी चौड़ाई 16 किमी. से 140 किमी. तक है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 16 से 240 किमी. है।
- वर्ष 1981 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था।

हरित पटाखे

हरित पटाखे

- हरित पटाखे (Green Firecrackers) इस प्रकार निर्मित होते हैं कि इन्हें जलाने पर जल-अणु उत्पन्न होतें हैं और इन पटाखों से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन के स्तर में भी बहुत कमी आती है। इसके अलावा, इन पटाखों से उत्पन्न जल-अणु, धूल-कणों का अवशोषण भी करते हैं। इन पटाखों की आवाज भी कम होती है।
- सामान्य पटाखों के मुकाबले हरित पटाखों के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर-डाई-ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों तथा 'पर्टिकुलेट मैटर्स' आदि के उत्सर्जन में 30- 35% तक की कमी आती है, इनसे पोटैशियम तत्वों का उत्सर्जन भी 50-60% कम हो जाता है। इनकी निर्माण लागत भी कम होती है।

- सी.एस.आई.आर.–नीरी द्वारा विकसित हरित पटाखे निम्नलिखित हैं–

1. **स्वास (SWAS) या सेफ वॉटर रिलीज़र :** इन पटाखों के प्रयोग से SO_2, NOx और पार्टिकुलेट मैटर आदि कम (30-35%) उत्सर्जित होते हैं। इनकी आवाज लगभग 105-110 dBA की सीमा में होती है। ये हरित पटाखे निर्माण के अगले तीन हफ्तों तक खराब नहीं होते।
2. **स्टार (STAR) या सेफ थर्माइट क्रैकर**
3. **सफल (SAFAL) या (सेफ मिनिमल एल्यूमीनियम) :** इन पटाखों के द्वारा सामान्य पटाखों की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन कम (35-40%) होता है। इनके निर्माण में एल्यूमीनियम (केवल शुरुआत के लिये फ्लैश पाउडर के रूप में) का न्यूनतम उपयोग होता है। इनकी ध्वनि तीव्रता भी 110-115 dBA सीमा में है।

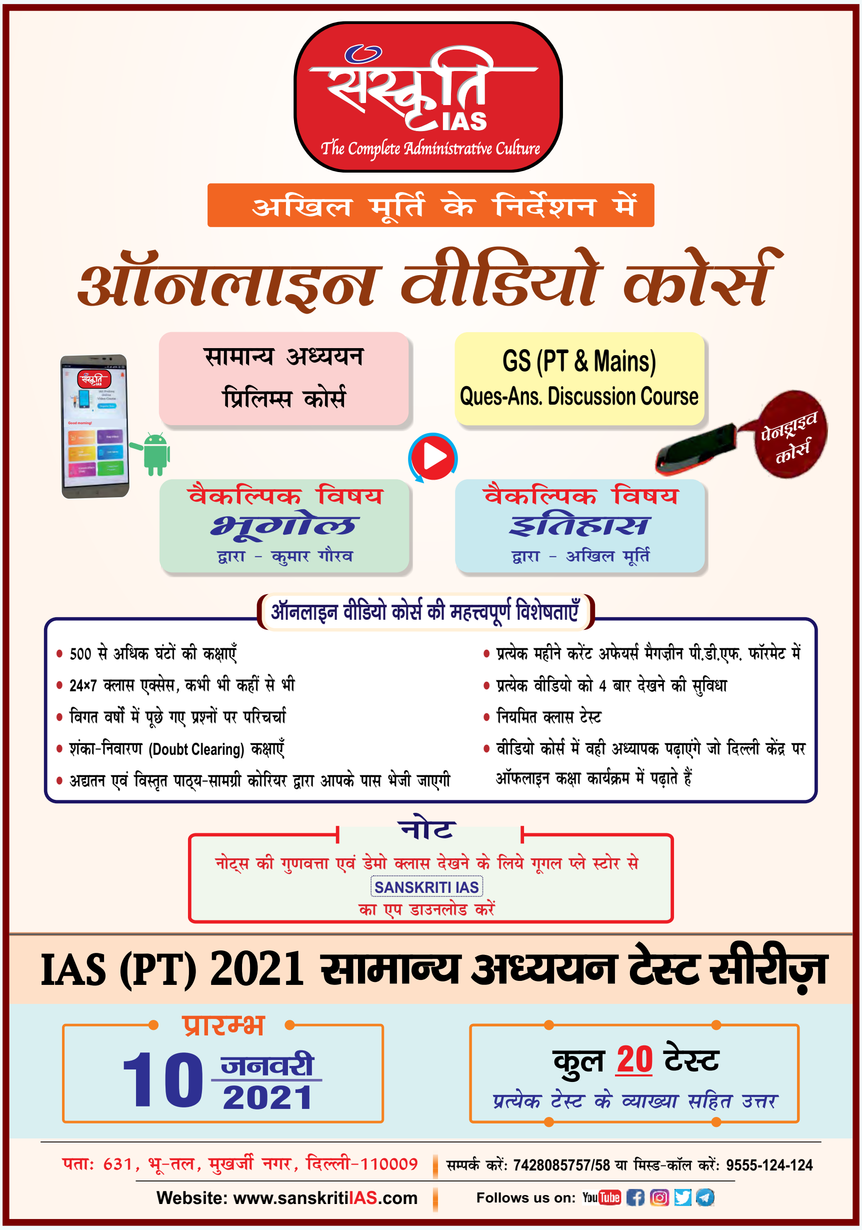

9 रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

तटीय नौवहन विधेयक, 2020 का मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पोत परिवहन मंत्रालय ने शासन व्यवस्था में आम जनता और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु तटीय नौवहन विधेयक– 2020 का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा तटीय नौवहन विधेयक 2020 का मसौदा, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग–XIV के स्थान पर लाया गया है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय तटीय नौवहन से सम्बंधित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं का अवलोकन किया गया है।

आवश्यकता

- भारत में पोत परिवहन क्षेत्र का अत्यधिक तीव्रता से विकास हो रहा है इसलिये नौपरिवहनअ शृंखला तथा तटीय नौवहन के विकास और उसे विनियमित करने हेतु एक विशेष कानून की आवश्यकता है।
- भारत के जहाजरानी उद्योग की मांगों को पूरा करने तथा सम्बंधित नीतिगत प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के लिये इसकी आवश्यकता है।

मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधान

- इस मसौदा विधेयक में तटीय नौवहन तथा तटीय जल सीमा की परिभाषाओं में विस्तार किया गया है।
- इसमें भारत के ध्वजवाहक जहाजों के लिये तटीय व्यापार हेतु लाइसेंस की जरूरत को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, अन्य क्षेत्रों के लिये लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान भी किया गया है।
- मसौदा विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्गों को भारत के तटीय समुद्री परिवहन के साथ एकीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।
- मसौदा विधेयक में भारत के तटीय तथा अंतर्देशीय नौवहन के लिये एक राष्ट्रीय रणनीतिक तथा सामरिक योजना के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।
- मसौदा विधेयक में तटीय जहाज़ों के नौवहन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये एक प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण तथा परिवहन की लागत को कम करने हेतु एक मज़बूत फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

मसौदा विधेयक से सम्बंधित मुद्दे तथा सुझाव

- विधेयक के मसौदे में ट्रांसशिपमेंट (निर्यात के उद्देश्य से आयात करना) व्यवसाय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत को अपनी विस्तृत तटीय सीमा तथा रणनीतिक भू-स्थिति का लाभ उठाते हुए ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिये।
- भारत में वस्तुओं के परिवहन हेतु अधिकतर व्यवसाय या उद्योग सड़क या रेलमार्गों पर निर्भर हैं इसमें जल परिवहन की हिस्सेदारी बहुत कम (लगभग 6%) है, जबकि विकसित देशों में जल परिवहन की हिस्सेदारी लगभग 30% है। साथ ही, यह दोनों माध्यमों (सड़क और रेल) से सस्ता, सुगम तथा पर्यावरण हितैषी भी है। जल परिवहन को प्रोत्साहित करने हेतु बंदरगाहों, सड़क तथा रेल परिवहन को एकीकृत कर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- इस मसौदा विधयेक में पोत उद्योग के विनियमन हेतु एक समर्पित संस्था या विनियामक तंत्र का अभाव है। अत: सुगम तथा पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु एक स्वयात्त विशेष एजेंसी का निर्माण किया जाना चाहिये।
- वर्तमान में तटीय नौपरिवहन की अनुपालन लागत (Cost of Compliance) बहुत अधिक है। सुरक्षा तथा पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लागत को कम किया जाना चाहिये।
- मसौदा विधयेक में समग्र तटीय नौपरिवहन के विनियमन का अभाव है। सभी पोत या शिपिंग व्यवसायों को इस विधयेक के दायरे में लाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक संवृद्धि तथा व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन में तटीय नौपरिवहन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिये इस क्षेत्र के विकास हेतु गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श कर ठोस प्रयास किये जाने चाहिये।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- वर्ष 2017 में भारत सरकार ने बंदरगाहों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कसा तथा तटरेखा के आस-पास के क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- हाल ही में, भारत सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर 'पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय' करने की घोषणा की है।

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, 26/11 हमले की 12वीं वर्षगांठ पर तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई है। समुद्री सुरक्षा में 'सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र' (IMAC) द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण यह संस्था चर्चा में है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल तथा समुद्री पुलिस द्वारा तटीय क्षेत्रों में तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जिससे समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम में अभूतपूर्व सफलता मिली है।
- ध्यातव्य है कि 26/11 हमले में शामिल आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से ही मुम्बई में प्रवेश कर हमले को अंजाम दिया था, जिससे तटीय सुरक्षा की कई कमजोरियाँ सामने आई।
- मुम्बई हमले जैसे खतरनाक हमलों को रोकने के लिये आई.एम.ए.सी. का निर्माण किया गया।

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre –IMAC)

- आई.एम.ए.सी. की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। यह संस्थान समुद्री सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी के एकत्रीकरण और प्रसार के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- आई.एम.ए.सी. को भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल द्वारा सयुंक्त रूप से संचालित किया जाता है। यह संस्थान भारत के हितों से सम्बंधित समुद्री यातायात की निगरानी के लिये राष्ट्रीय कमान नियंत्रण, संचार एवं खुफिया नेटवर्क की आधारशिला है।

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के कार्य

- यह विभिन्न राष्ट्रीय हितधारकों के मध्य समुद्री सुरक्षा से सम्बंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान करता है तथा सामान्य संचालन तंत्र के विकास पर भी बल देता है।
- चूँकि समुद्री क्षेत्र में खतरे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं इसलिये आई.एम.ए.सी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से भी आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं।
- आई.एम.ए.सी. केवल गैर सैन्य या वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी करता है, जिन्हें वाइट शिपिंग के रूप में जाना जाता है। सैन्य जहाजों को एक वर्गीकृत नेटवर्क के माध्यम से नौसेना संचालन निदेशालय द्वारा ट्रैक किया जाता है।
- आई.एम.ए.सी. हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करता है तथा इस क्षेत्र से गुजरते समय जहाज एक स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification System– AIS) को संकेत प्रेषित करते हैं, जिसमें जहाज के लिये मार्ग, गंतव्य, राष्ट्रीयता और स्वामित्व आदि की जानकारी शामिल होती है।
- अगर किसी जहाज ने अपनी पहचान बदल ली है या वह किसी देश में कानूनी प्रवर्तन से सम्बंधित मुद्दों में शामिल है तो आई.एम.ए.सी. इसकी भी जाँच करने में सक्षम है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हिंद महासागर क्षेत्र सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जो 7500 नॉटिकल मील लम्बे तथा 5500 नॉटिकल मील चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसमें 35 देश शामिल हैं।
- भारतीय नौसेना समग्र समुद्री सुरक्षा (तटीय और अपतटीय) के लिये जिम्मेदार है। साथ ही, तटरक्षा बल, राज्य समुद्री पुलिस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा समुद्री सुरक्षा में सहायता प्रदान की जाती है।
- 26/11 हमले के बाद वर्ष 2009 में सुरक्षा मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने तटरक्षक बल को क्षेत्रीय स्तर पर तटीय सुरक्षा के लिये जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में नामित किया था
- नोट : सूचना प्रबंधन और विश्लेष्ण केंद्र का नाम बदलकर नेशनल मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति

- हाल ही में, चक्रवात की स्थिति की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee – NCMC) की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिव भी शामिल रहे।
- इस समिति ने चक्रवात 'निवार' की स्थिति की समीक्षा की। इस चक्रवात के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों से टकराने की सम्भावना है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संकटों से निपटने के लिये 'सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति' और 'राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति' आपदा प्रबंधन के सम्बंध में निर्णय लेने वाली शीर्ष स्तरीय समितियाँ हैं।
- एन.सी.एम.सी. का गठन विशिष्ट आपदा प्रबंधन दायित्वों का निर्वहन करने के लिये किया जाता है। केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों और एजेंसियों के सचिव इसमें भाग लेते हैं।
- उल्लेखनीय है कि मई में आए सुपर साइक्लोन 'अम्फान' के बाद बंगाल की खाड़ी में यह दूसरा गम्भीर चक्रवात है। जबकि वर्ष 2018 में गाजा चक्रवात के बाद तमिलनाडु को पार करने वाला यह दूसरा चक्रवात है।

भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की समिति ने भारत द्वारा प्रायोजित दो प्रस्तावों को अपनाया है। ये प्रस्ताव परमाणु हथियारों के निषेध का आह्वान करते हैं और विश्व में परमाणु हथियारों के आकस्मिक व दुर्घटनावश उपयोग के जोखिमों को कम करने से सम्बंधित हैं।
- 'परमाणु हथियारों' के समूह के तहत इन दोनों प्रस्तावों का नाम 'परमाणु हथियार उपयोग पर प्रतिबंध' और 'परमाणु खतरे को कम करना' हैं।
- ये संकल्प परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं।
- महासभा में वर्ष 1982 से भारत द्वारा 'परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध' प्रस्ताव को पेश किया गया था।
- वर्ष 1998 से प्रस्तुत 'परमाणु खतरे को कम करने' से सम्बंधित प्रस्ताव परमाणु हथियारों के उपयोग और परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र

प्रमुख बिंदु

- भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र (Centre for Land Warfare Studies : CLAWS) ने 18 नवम्बर 2020 को अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे किये। भारतीय सेना से जुड़े इस थिंक टैंक की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सी.एल.ए.डब्ल्यू.एस. जमीनी युद्ध एवं रणनीतिक अध्ययन पर आधारित एक स्वायत्त थिंक टैंक है, जो नई दिल्ली में स्थित है।
- 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सी.एल.ए.डब्ल्यू.एस. द्वारा चीन से बढ़ते जोखिम पर विशेष ध्यान देने के साथ युद्ध के परिवर्तित कार्यक्षेत्र' पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
- इस दौरान विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण वृद्धि, कोर क्षमताओं को मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारी के महत्त्व और युवाओं के मध्य रणनीतिक संस्कृति को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- साथ ही, थल सेना प्रमुख और सी.एल.ए.डब्ल्यू.एस. के संरक्षक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 'स्कॉलर वारियर अवॉर्ड' प्रदान किये।

IAS (PT) 2021 सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़

प्रारम्भ 10 जनवरी 2021

कुल 20 टेस्ट
प्रत्येक टेस्ट के व्याख्या सहित उत्तर

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on:

चीन द्वारा माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को उनकी जगह से हटाने के लिये 'माइक्रोवेव हथियारों' का इस्तेमाल किया था। यद्यपि भारतीय सेना ने इन दावों को गलत बताया है।

'माइक्रोवेव हथियार' क्या हैं?

- माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार (Direct Energy Weapons — DEWs) होते हैं, जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा के रूपों (ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव के रूप में) के द्वारा लक्षित करते हैं।
- इसमें उच्च-आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की बीम द्वारा मानव त्वचा को लक्षित किया जाता है, जिससे त्वचा में दर्द और असहजता उत्पन्न होती है।
- इनकी तरंगदैर्ध्य एक मिमी. से लेकर एक मीटर तक होती है जबकि इनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज (100 सेंटीमीटर) और 300 गिगाहर्ट्ज (0.1 सेंटीमीटर) के बीच होती है।
- इन्हें हाई-एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है।
- इसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव तरंगें भेजता है। ये तरंगें जब किसी खाद्य पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो वो गर्मी पैदा करती हैं। ये हथियार भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं।
- इस तरह के हथियार बेहद घातक होते हैं। हालांकि, इस तरह के हथियारों से किये गए हमलों में शरीर के ऊपर बाहरी चोट के निशान या तो होते नहीं हैं या काफी कम होते हैं लेकिन ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं।
- इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात ये होती है कि ये जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में किये जा सकते हैं। इस तरह के हमले में उच्च ऊर्जा वाली किरणों को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर उनके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

मिसाइल रोकने में सक्षम

- माइक्रोवेव हथियारों को विभिन्न तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल को रोकने के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है।
- यद्यपि मिसाइल आदि रोकने के मामले में इस तरह के हथियार अभी तक केवल प्रयोग तक ही सीमित हैं। माइक्रोवेव हथियारों के अंदर पार्टिकल बीम वैपन, प्लाज़्मा वेपन, सॉनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं।
- पारम्परिक हथियारों की तुलना में प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार कहीं ज़्यादा असरदार साबित हो सकते हैं।
- इन हथियारों को गुप्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर और नीचे इनके विकिरण अदृश्य होते हैं और इनसे आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है।
- चूँकि, प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण का बेहद कम असर पड़ता है, ऐसे में यह लगभग एक समतल वक्र (फ्लैट ट्रैजेक्टरी) देता है। इसके अलावा लेज़र, प्रकाश की गति से चलते हैं अतः ये स्पेस वॉरफेयर में काफी कारगर साबित होते हैं।

- लेज़र या माइक्रोवेव आधारित हाई-पावर डी.ई.डब्ल्यू. विरोधियों के ड्रोनों या मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं।

विभिन्न देशों द्वारा प्रयोग

- 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में डी.ई.डब्ल्यू. को लेकर खोजबीन शुरू हुई थी। वर्ष 1930 में राडार की खोज के साथ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
- चीन ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में पॉली डब्ल्यू.बी.–1 (Poly WB-1) नामक "माइक्रोवेव हथियार" का प्रदर्शन किया था।
- अमेरिका ने भी 'एक्टिव डेनियल सिस्टम' नामक एक माइक्रोवेव-पद्धति के हथियार को विकसित करने का दावा किया है।
- पूर्व में भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया था किंतु बाद में यह दावा भी किया था कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति पर नहीं किया गया।
- रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों के विकास में लगे हुए हैं। वहीं, तुर्की और ईरान का दावा है कि उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं।
- भारत में रक्षा शोध और विकास संस्थान (DRDO) भी डी.ई.डब्ल्यू. पर काम कर रहा है।

भारत का डीप ओशन मिशन

चर्चा में क्यों?

- सागरों, महासागरों के जल के नीचे की दुनिया के खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज के उद्देश्य से भारत जल्द ही एक महत्वाकांक्षी 'डीप ओशन मिशन' की शुरुआत करने वाला है। ध्यातव्य है कि महासागरों के नीचे की दुनिया का एक बड़ा भाग अभी तक गैर-अन्वेषित है, जिसके बारे में व्यापक शोध और अध्ययन किया जाना अभी बाकी है।

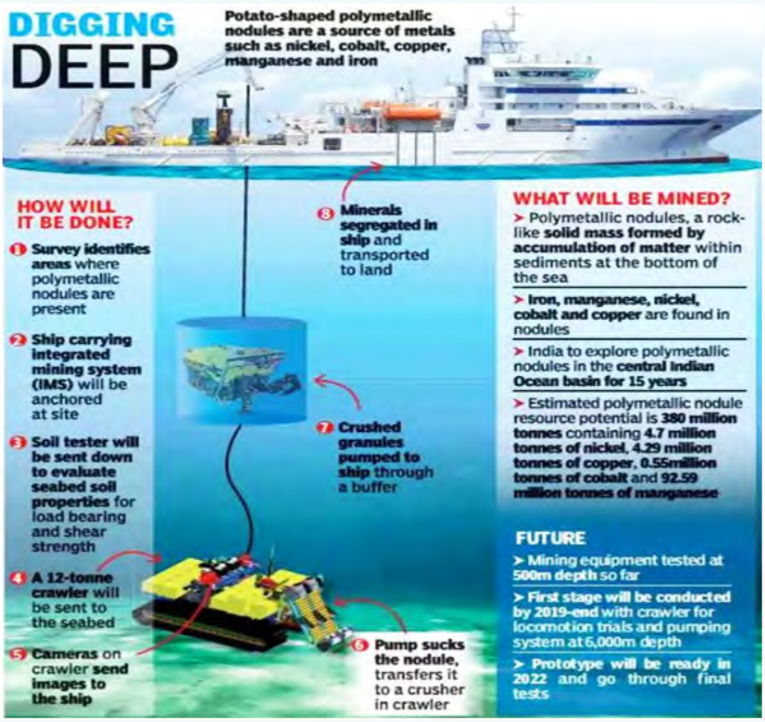

डीप ओशन मिशन (DOM)

नोडल एजेंसी: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

- अंडरवाटर रोबोटिक्स (Underwater Robotics) और 'मानवयुक्त' सबमर्सिबल (Manned Submersibles), डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक हैं जो विभिन्न संसाधनों (जल, खनिज और ऊर्जा) का सीबेड और गहरे पानी से दोहन करने में भारत की मदद करेंगे।
- इस दौरान किये जाने वाले कार्यों में गहरे समुद्र में खनन (Deep-sea Mining), सर्वेक्षण, ऊर्जा स्रोतों की खोज और अपतटीय विलवणीकरण शामिल हैं।
- इस प्रकार की तकनीकी विकास से जुड़ी अभिक्रियाओं को सरकार की अम्ब्रेला योजना- ओ-स्मार्ट (Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science) के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (PolymetallicNodules- PMN)

- मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (PMN) का अन्वेषण और निष्कर्षण (Extraction) करना है।
- पी.एम.एन. संरचना में छोटे आलू के सामान होते हैं और मुख्यत: मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन हाइड्रॉक्साइड जैसे खनिजों से बने होते हैं।
- ये हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं और इनका आकार कुछ मिमी. से कुछ सेमी. तक का हो सकता है।
- पी.एम.एन. से प्राप्त धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनलों में भी किया जाता है।

समुद्री अन्वेषण और उत्खनन

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल अधिकरण (International Seabed Authority – ISA), एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो वर्ष 1982 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea) के तहत स्थापित किया गया था। यह संगठन गहरे समुद्र में खनन के लिये 'क्षेत्रों' को आवंटित करता है।
- भारत वर्ष 1987 में 'पायनियर इंवेस्टर' का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था। नोडल अन्वेषण के लिये भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (Central Indian Ocean Basin– CIOB) में लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र दिया गया था।
- वर्ष 2002 में, भारत ने आई.एस.ए. के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये और समुद्री क्षेत्र के सम्पूर्ण संसाधनों के अध्ययन के बाद भारत ने 50% क्षेत्र को छोड़ दिया और केवल 75,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र को अन्वेषण के लिये रखा।

समुद्री उत्खनन की दौड़ में शामिल अन्य देश

- सी.आई.ओ.बी. के अलावा, केंद्रीय प्रशांत महासागर में भी पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को पाया गया है। इसे क्लेरियन-क्लिपर्टन जोन (Clarion-Clipperton Zone) के रूप में जाना जाता है।
- आई.एस.ए. की वेबसाइट के अनुसार, आई.एस.ए. ने 29 देशों व द्वीप समूहों के साथ समुद्र में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स (Cobalt-rich Ferromanganese Crusts) की खोज के लिये 15 साल का अनुबंध किया है।
- हाल ही में इस अनुबंध को वर्ष 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया था।

- चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और कुछ छोटे द्वीप जैसे कुक आइलैंड, किरिबाती आदि भी समुद्री उत्खनन की दौड़ में शामिल हैं।
- इनमें से अधिकांश देशों ने उथले/छिछले पानी में अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है और अभी तक गहरे समुद्र में निष्कर्षण शुरू नहीं किया है।

भारत की तैयारी

- भारत का मुख्य खनन व अन्वेषण क्षेत्र लगभग 5,500 मीटर की गहराई पर स्थित है, जहां दबाव अत्यंत उच्च और तापमान अत्यंत कम है।
- भारत ने अपने अध्ययन के अनुसार मध्य हिंद महासागर बेसिन के खनन क्षेत्र में 6,000 मीटर की गहराई परसुदूर संचालित वाहन (Remotely Operated Vehicle) और इन-सीटू सॉइल टेस्टर को भी तैनात किया है।
- नोड्यूल्स को सतह पर कैसे लाया जाए, यह समझने के लिये भारत द्वारा और परीक्षण किये जा रहे हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव

- आई.यू.सी.एन. के अनुसार, ये गहरे दूरस्थ स्थान कई विशेष समुद्री प्रजातियों के घर भी हो सकते हैं, जो उन क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों के लिये अनुकूलित होंगें और इस प्रकार के खनन कार्यों से उनकी प्रजाति और उनके निवास स्थान पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- गहरे समुद्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी को अभी तक उचित तरीके से समझा नहीं जा सका है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना और खनन के लिये जरूरी दिशा-निर्देशों को तैयार करना मुश्किल हो जाता है।
- हालाँकि खनन के लिये सख्त दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया है लेकिन वे केवल अन्वेषण से जुड़े हैं। समुद्री दोहन से जुड़े सख्त दिशा-निर्देशों पर अभी भी काम किया जाना बाकी है।

स्वदेशी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम (ERS) की स्वदेशी तकनीक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में विद्युत संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिये एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित की है।

क्या है इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम (Emergency Retrieval System : ERS)

- ई.आर.एस. संरचनात्मक रूप से बेहद स्थिर बॉक्स वर्गों से बना एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल चक्रवात या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मानव जनित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टावरों के गिरने के तुरंत बाद विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु अस्थाई संरचना के रूप में किया जाता है।
- इस प्रणाली का पुनरुपयोग किया जाता है तथा इस सिस्टम को कठोर संरचनात्मक परीक्षणों से सत्यापित किया जाता है। आपदा स्थल पर ई.आर.एस. को स्थापित करने के लिये बुनियादी ज्ञान और उपकरण की आवश्यकता होती है।

प्रणाली का महत्त्व

- वर्तमान में भारत ई.आर.एस. आयात करता है। विश्व में इसके निर्माता सीमित ही हैं, जबकि लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यह तकनीकी विकास भारत में पहली बार इस प्रकार के विनिर्माण को सक्षम करेगा, जिससे आयात का एक वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित होगा। ई.आर.एस. की भारत के साथ-साथ सार्क और अफ्रीकी

देशों के बाज़ार में भी बड़ी माँग है। इसलिये, इस तकनीक का विकास आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी पहल है।

- आपदा स्थल पर 2-3 दिनों में विद्युत की अस्थाई बहाली हेतु ई.आर.एस. को तीव्रता से स्थापित किया जा सकता है, जबकि स्थाई बहाली में कई सप्ताह लग जाते हैं। इस प्रणाली का तकनीकी विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों की विफलता लोगों के सामान्य जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है और बिजली कम्पनियों के लिये भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनती है।
- इस प्रणाली में ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के विभिन्न वोल्टेज-क्लास के लिये उपयुक्त प्रारूप (Configuration) सम्भव हैं। इसे 33 से 800 के.वी. वर्ग की विद्युत लाइनों के लिये स्केलेबल सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो आपदा को झेलने में सक्षम होगा।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2020 के विकास हेतु परामर्श बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (Science, Technology & Innovation Policy – STIP), 2020 में योगदान हेतु भारतीय डायस्पोरा के साथ एक नीतिगत परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- यह अपनी तरह की पहली परामर्श बैठक है जिसमें कुशल भारतीय वैज्ञानिक डायस्पोरा के साथ भारत सरकार के विज्ञान विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं।
- इस नीतिगत परामर्श वार्ता का उद्देश्य एस.टी.आई.पी, 2020 के निर्माण में सहायक महत्त्वपूर्ण विचारों का सृजन करना, उन्हें सुगम बनाना तथा नीतिगत प्रक्रिया में प्रवासी भारतीयों को प्रमुख हितधारक के रूप में शामिल करना है।
- इस परामर्श बैठक से भारतीय डायस्पोरा की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनके लिये उपयुक्त अवसरों के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।
- साथ ही, भारतीय वैज्ञानिक डायस्पोरा भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

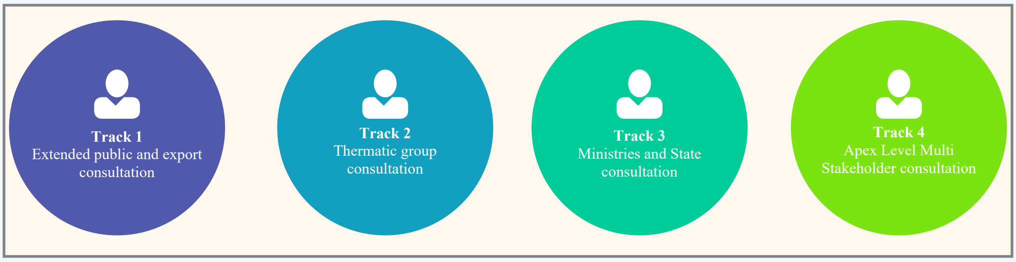

एस.टी.आई.पी. 2020

- एस.टी.आई.पी. 2020 भारत सरकार की एक प्रस्तावित नीति है जिसका निर्माण प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा किया जाएगा।
- इस नीति का उद्देश्य विकेंद्रीकृत, बॉटम-अप एप्रोच तथा समावेशी निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक सामाजिक-आर्थिक कल्याण हेतु अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना है।
- सहभागी मॉडल पर आधारित चार इंटरकनेक्टेड ट्रैक्स के साथ एस.टी.आई.पी, 2020 के निर्माण की कल्पना की गई है।

- विदित है कि सरकार द्वारा हाल ही में इस परामर्श प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म 'प्रभास' (Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark — PRABHASS) की शुरुआत की गई है।

वैभव समिट

- 2 अक्तूबर, 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट (वैभव समिट) की शुरुआत की गई। यह सम्मेलन 2 से 31 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित किया गया।
- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अकादमिक संगठनों द्वारा विचार-विमर्श, अनुसंधान तथा विकास प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिये समस्या समाधान दृष्टिकोण पर आधारित एक सहयोगात्मक पहल है।

उद्देश्य

- वर्तमान में उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को साझे मंच पर लाने के लिये एक सुव्यवस्थित तथा सहयोगात्मक ढाँचा विकसित करना।
- वैश्विक पहुँच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना।

भारतीय डायस्पोरा

सामान्यत: डायस्पोरा का अर्थ 'प्रवासी' होता है। भारतीय डायस्पोरा में अनिवासी भारतीय (NRI) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को शामिल किया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय वैज्ञानिक डायस्पोरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

विलवणीकरण संयंत्र

चर्चा में क्यों?

- विश्व भर में, विलवणीकरण को जल संकट को रोकने के लिये एक सम्भावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में, महाराष्ट्र ने मुम्बई में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की, जो इस प्रकार के संयंत्र का प्रयोग करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

विलवणीकरण

- लवण व खनिजों को खारे जल से अलग करने की प्रक्रिया विलवणीकरण कहलाती है, जैसे- मृदा विलवणीकरण।
- सामान्य रूप से खारे जल को मीठे जल में बदलने के लिये विलवणीकरण किया जाता है ताकि यह पीने योग्य या सिंचाई के लिये उपयुक्त बना रहे।
- उन क्षेत्रों में, जहाँ ताजे जल की उपलब्धता सीमित है या कम हो रही है, वहाँ ताजे जल को उपलब्ध कराने के लिये आजकल विलवणीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

विलवणीकरण संयंत्र

- विलवणीकरण संयंत्र खारे जल को पेयजल में बदलता है।
- दुनिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में जेबेल अली संयंत्र (चरण 2) है।
- इस प्रक्रिया के लिये सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली तकनीक निर्वात आसवन और रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) के द्वारा जल से दूषित पदार्थों को दबाव का उपयोग करके अर्धपारगम्य झिल्ली (Semipermeable Membrane) के माध्यम से बाहर निकाला जाता है।

भारत में प्रयोग

- विलवणीकरण संयंत्रों का प्रयोग काफी हद तक मध्य पूर्व के समृद्ध देशों तक सीमित है। हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इनको स्थापित किया गया है।
- भारत में, तमिलनाडु इस तकनीक का उपयोग करने में अग्रणी रहा है, चेन्नई में वर्ष 2010 में दो और फिर वर्ष 2013 में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया गया।

पारिस्थितिकी पर असर

- विलवणीकरण शुद्ध पेयजल उत्पन्न करने का एक महँगा तरीका माना जाता है क्योंकि इसके लिये उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, एक मुख्य समस्या इससे निकलने वाले उपोत्पादों, विशेषकर उच्च सांद्रता वाले खारे जल का निपटान है। हालाँकि ज़्यादातर जगहों पर इसे वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, लेकिन इससे संयंत्र के आसपास की स्थानीय पारिस्थितिकी को गम्भीर नुकसान पहुँचने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एन.टी.पी.सी. (NTPC) लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर कंक्रीट उत्पाद (Geo Polymer Aggregate) को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एन.टी.पी.सी. ने प्राकृतिक एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का विकास किया है।
- एन.टी.पी.सी. की फ्लाई ऐश से जियो-पॉलिमर एग्रीगेट के उत्पादन की अनुसंधान परियोजना भारतीय मानकों के वैधानिक मापदंडों के अनुरूप है। साथ ही, इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (NCCBM), हैदराबाद ने भी की है।
- भारत में इन एग्रीगेट की कुल माँग लगभग 2000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। एन.टी.पी.सी. द्वारा फ्लाई ऐश से विकसित एग्रीगेट इस माँग को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।
- उल्लेखनीय है कि एन.टी.पी.सी. भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है।

जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का उपयोग व महत्त्व

- जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का उपयोग प्राकृतिक एग्रीगेट के स्थान पर किया जा सकेगा। इससे प्राकृतिक एग्रीगेट से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- निर्माण उद्योग में जियो-पॉलिमर एग्रीगेट का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, जिससे राख को पर्यावरण अनुकूल सामग्री में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- इसमें कंक्रीट में मिश्रण के लिये किसी भी स्तर पर सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फ्लाई ऐश आधारित जियो-पॉलिमर मोर्टार बंधनकारी सामग्री (Binding Agent) के रूप में कार्य करता है।
- जियो-पॉलिमर एग्रीगेट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे। साथ ही, इसके उपयोग से जल के उपभोग में भी कमी आएगी।
- विदित है कि प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करने के लिये पत्थर के उत्खनन की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है।

फ्लाई ऐश

- 'फ्लाई ऐश', कोयला दहन से सूक्ष्मकण के रूप में प्राप्त एक उपोत्पाद है। इसे 'फ्लू ऐश' (Flue Ash) या 'पल्वेरिस्ड फ्यूल ऐश' (Pulverized Fuel Ash) भी कहा जाता है। ये कोयला आधारित बॉयलरों से फ्लू गैसों के साथ निकलते हैं।
- प्रयोग किये गए कोयले के स्रोत व संघटन के कारण फ्लाई ऐश के अवयवों में भिन्नता हो सकती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2), एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। ध्यातव्य है कि ये सभी कोयले की चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज यौगिक हैं।
- फ्लाई ऐश में अल्प मात्रा में आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कोबाल्ट, कैडमियम व क्रोमियम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम (Hexavalent Chromium), लेड, मैंगनीज, पारा तथा मालिब्डेनम के साथ-साथ सेलेनियम, स्ट्रांशियम, थैलियम व वैनेडियम जैसे अवयव सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं।
- साथ ही, डायोक्सिंस (Dioxins) तथा पी.ए.एच. (PAH) यौगिक की अत्यंत कम सांद्रता के साथ इसमें अपूर्ण दहन वाले कार्बन भी होते हैं।

फ्लाई ऐश के अनुप्रयोग

- फ्लाई ऐश पोजोलेनिक (Pozzolanic) प्रकार के होते हैं, इसमें एलुमिनस व सिलीसियस पदार्थ होते हैं। फ्लाई ऐश में जब चूना व पानी मिलाया जाता है तो पोर्टलैंड सीमेंट के सामान एक यौगिक का निर्माण होता है। इसके अलावा, फ्लाई ऐश से सीमेंट उत्पादन में पोर्टलैंड की अपेक्षा कम पानी तथा ऊर्जा (Low Embodied Energy) की आवश्यकता होती है। अतः यह पोर्टलैंड सीमेंट का एक अच्छा विकल्प है।
- मोज़ैक टाइल्स (Mosaic Tiles) तथा खोखले व हल्के ब्लॉक्स (Hollow Blocks) तथा कंक्रीट निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश के कंकणों या गोलियों (Pellets) को कंक्रीट के मिश्रण में वैकल्पिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- तटबंधों के निर्माण व इंटरलॉकिंग ईंटो के निर्माण में भी यह प्रयुक्त होती है। फ्लाई ऐश का प्रयोग मुख्यतः सीमेंट व निर्माण उद्योग के साथ-साथ सड़क निर्माण, कंक्रीट व ईंट विनिर्माण तथा निचले इलाकों व खानों (Mines) के पुनर्भरण में होता है।
- शीत गृह प्रतिरोधक में प्रयोग होने के साथ-साथ फ्लाई ऐश रिसाव, दरार व पारगम्यता को भी कम करता है।

भारत में फ्लाई ऐश

- भारत में कोयले से चलने वाले विद्युत कारखानों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 258 एम.एम.टी. राख (फ्लाई ऐश) का उत्पादन किया जाता है। इसमें से लगभग 78% राख का उपयोग किया जाता है और शेष राख डाइक में इकठ्ठा रहती है।
- शेष राख का उपयोग करने के लिये एन.टी.पी.सी. वैकल्पिक तरीकों के लिये शोध कर रहा है, जिसमें वर्तमान अनुसंधान परियोजना भी शामिल है। इस अनुसंधान परियोजना में 90% से अधिक राख का उपयोग करके एग्रीगेट का उत्पादन किया जाता है।
- अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स (ASTMC) के अनुसार, फ्लाई ऐश 'क्लास C' और 'क्लास F' प्रकार की होती हैं। भारत में उत्पादित फ्लाई ऐश मुख्यतः 'क्लास C' प्रकार की होती है। इसमें कैल्शियम और चूने की अधिकता होती है।
- यूरोपीय देशों में 'क्लास F' प्रकार की फ्लाई ऐश पाई जाती है। 'क्लास F' में प्रायः 5% से कम कार्बन पाया जाता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रभाव-

1. फ्लाई ऐश में पाई जाने वाली सभी भारी धातुएँ, जैसे- निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम तथा लेड प्रकृति में विषाक्तता पैदा करती हैं।
2. इलेक्ट्रोस्टेटिक अवक्षेपक (Electrostatic Precipitator) या अन्य फिल्टर विधियों का प्रयोग करके फ्लाई ऐश को वायु में मिलने से रोका जा सकता है।
3. फ्लाई ऐश से निकलने वाले विकिरण से अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही फ्लाई ऐश के सूक्ष्म कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
4. ऐश डाइकों के टूटने तथा जल में मिश्रित होने से भी बड़ी संख्या में जल निकाय संदूषित होते हैं। फ्लाई ऐश डाइक को ऐश डैम या राख का बांध भी कहा जाता हैं।

पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह (EOS-01)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा लगभग एक वर्ष बाद पहला अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसरो द्वारा ई.ओ.एस.-01 (Earth Observation Satellite-01 : EOS–01) नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, जो कि एक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है।
- EOS-01 रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT) की ही तरह है, जो पिछले वर्ष लॉन्च किये गए RISAT-2B और RISAT-2BR1 के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- EOS-01 को विदेशी देशों के नौ उपग्रहों के साथ PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इस मिशन में नौ विदेशी उपग्रहों में से चार-चार उपग्रह अमेरिका और लक्ज़मबर्ग के हैं, जबकि एक अन्य लिथुआनिया का है।
- उल्लेखनीय है कि इसरो ने इस वर्ष जनवरी में संचार उपग्रह जीसैट-30 (GSAT-30) को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया था, जिसके लिये एक एरियन रॉकेट का उपयोग किया गया था।

पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह (EOS-01) के कार्य

- भूमि व वनों का मानचित्रण तथा निगरानी
- संसाधनों का मानचित्रण
- मौसम एवं जलवायु अवलोकन
- मृदा का आकलन तथा भू-स्थानिक मानचित्रण

नामकरण की नई पहल

- EOS-01 को प्रारम्भ में RISAT-2BR2 नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य सभी सभी प्रकार के मौसम में चौबीस घंटे हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियों को प्राप्त करना था।
- EOS-01 के नामकरण के साथ इसरो अपने पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रहों के नामकरण हेतु एक नई प्रणाली अपना रहा है। अब तक इनका नामकरण उपग्रह के उद्देश्य व थीम के आधार पर किया जाता है।
- उदाहरणस्वरुप उपग्रहों की कार्टोसैट (Cartosat) शृंखला भूमि स्थलाकृति और मानचित्रण के लिये डाटा प्रदान करने से सम्बंधित थी, जबकि ओशनसैट (Oceansat) उपग्रह समुद्र के पर्यवेक्षण के लिये था।

- इनसैट शृंखला, रिसोर्ससैट शृंखला, जी.आई.एस.ए.टी. (GISAT) और स्कैटसैट (Scatsat) भी पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह हैं। इनका नामकरण इनके द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं या इन सेवाओं के लिये प्रयुक्त अलग-अलग उपकरणों के आधार पर किया गया है।

रडार इमेजिंग

- RISAT-2B और RISAT-2BR1 की तरह EOS-01 भी भूमि की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को प्राप्त करने के लिये एक्स-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radars) का उपयोग करता है।
- उल्लेखनीय है कि सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) रडार का एक रूप है, जिसका उपयोग वस्तुओं के दो-आयामी चित्र या त्रि-आयामी संरचना बनाने के लिये किया जाता है।
- रडार इमेजिंग में प्रयुक्त ऑप्टिकल उपकरण अत्यंत लाभकारी है क्योंकि यह मौसम, बादल, कोहरे या सूर्य की कम रोशनी से अप्रभावित रहता है। इससे सभी परिस्थितियों में तथा प्रत्येक समय उच्च-गुणवत्ता वाली छवियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- इस रडार द्वारा प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य के आधार पर भूमि के विभिन्न गुणों की छवियों को प्राप्त किया जा सकता है।
- EOS-01 और RISATs, एक्स-बैंड रडार का उपयोग करते हैं जो निम्न तरंग दैर्ध्य पर कार्य करते हैं। ये शहरी भू-दृश्यों की निगरानी और कृषि या वन भूमि की इमेजिंग के लिये सबसे अच्छे माने जाते हैं।
- इसरो के अनुसार EOS-01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा।

नए रॉकेट का प्रयोग

- EOS-01 के प्रक्षेपण के लिये इसरो ने अपने पी.एस.एल.वी. रॉकेट के एक नए संस्करण का उपयोग किया है। इससे पूर्व ऐसे रॉकेट का प्रयोग केवल एक बार पिछले वर्ष जनवरी में माइक्रोसैट-आर उपग्रह के लिये किया गया था।
- पी.एस.एल.वी. के इस संस्करण में उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद रॉकेट का अंतिम चरण व्यर्थ (Waste) नहीं जाता है। रॉकेट का अंतिम चरण अपनी स्वयं की कक्षा प्राप्त (उपार्जित) कर लेता है और अंतरिक्ष में प्रयोग व परीक्षण के लिये एक कक्षीय मंच के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रॉकेट का अंतिम चरण उपग्रह के अलग होने के बाद शेष रहता है।
- वास्तव में चौथा चरण एक अन्य उपग्रह की तरह कार्य करता है, जिसका जीवन काल लगभग छह महीने का होता है।

कोरोना वायरस का प्रभाव

- इसरो ने वर्ष 2020-21 में 20 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई थी। इसमें आदित्य एल1 (सूर्य के लिये प्रथम खोजपूर्ण अभियान) जैसे मिशन और मानव रहित गगनयान (भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान का अग्रगामी) शामिल है। इन सब अभियानों में कोरोना वायरस के कारण देरी हुई है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- पी.एस.एल.वी. की यह 51वीं उड़ान थी। अभी तक इसके केवल दो प्रक्षेपण ही असफल हुए हैं।
- माइक्रोसैट-आर उपग्रह का प्रयोग पिछले वर्ष भारत के प्रथम एंटी-सैटेलाइट टेस्ट (A-SAT) में किया गया था।

स्टारलिंक

स्टारलिंक : प्रमुख बिंदु

- ‘स्टारलिंक’ इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिये उपग्रहों का एक नेटवर्क है। एलन मस्क की एयरोस्पेस कम्पनी स्पेस एक्स (SpaceX) द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है।
- उपग्रहों का यह नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पृथ्वी की सतह से 550 किमी. ऊपर संचालित होता है। इसके विपरीत पारम्परिक रूप से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले उपग्रह पृथ्वी की सतह से अधिक दूरी पर (35,000 किमी. की ऊँचाई) पर स्थित होते हैं।
- स्पेस एक्स का पहला स्टारलिंक मिशन 24 मई, 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 60 उपग्रह शामिल थे। वर्तमान में इस मिशन के 800 से अधिक उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित हो रहे हैं।
- प्रत्येक उपग्रह को बारीकी से डिजाइन किया गया है, जिसका वजन लगभग 260 किलोग्राम है। यह फोर-फेज्ड ऐरे एंटीना (Four-Phased Array Antennas), एकल सौर ऐरे (Single Solar Array), आयन प्रणोदन प्रणाली (Ion Propulsion System), नेविगेशन सेंसर और मलबा ट्रैकिंग प्रणाली से सुसज्जित है।

कार्य प्रणाली

- जब किसी इंटरनेट सिग्नल को पृथ्वी से भेजा जाता है, तो स्टारलिंक समूह में से एक उपग्रह इसे प्राप्त करता है और फिर नेटवर्क में शामिल अन्य उपग्रहों के साथ साझा करता है।
- इसके बाद सिग्नल जब सबसे आदर्श उपग्रह तक पहुँच जाता है, तो इसे एक ग्राउंड रिसीवर तक रिले कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है।
- स्टारलिंक उपग्रह लेज़र प्रकाश का उपयोग करते हुए एक दूसरे से संचार करते हैं।
- फोर-फेज्ड ऐरे एंटीना से उपग्रह कम समय में ही बड़ी मात्रा में डाटा का स्थानांतरण कर सकते हैं, जबकि इन-बिल्ट नेविगेशन सेंसर सटीक इंटरनेट डाटा ट्रांसफर के लिये उपग्रहों को ऊँचाई की जानकारी प्रदान करते हैं।
- स्टारलिंक उपग्रह की कक्षा एल.ई.ओ. में स्थित होने के कारण सतह पर स्थित रिसीवर के बहुत निकट होते हैं, जो डाटा ट्रांसफर प्रक्रिया के समय को काफी कम कर देता है।
- आयन प्रणोदक, उपग्रहों को कक्षा में ले जाने, संचालित करने और उसके जीवन काल की समाप्ति पर डी-ऑर्बिट करने में मदद करते हैं।

लाभ

- एल.ई.ओ. उपग्रहों का नेटवर्क पूरी तरह से अनुपलब्ध या सीमित कनेक्टिविटी वाले सुदूर क्षेत्रों में उच्च गति और तीव्रता के साथ इंटरनेट प्रदान करेगा।
- साथ ही, यह हवाई जहाज़ और पोत परिवहन में भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा।
- हालाँकि, इन उपग्रहों को एल.ई.ओ. में स्थापित करने का एक नकारात्मक पहलू यह है कि पृथ्वी के अधिक निकट स्थित होने के कारण ये उपग्रह केवल एक सीमित क्षेत्र को ही कवर कर सकते हैं अत: व्यापक कवरेज़ के लिये अधिक संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता होती है।

आगे की योजना

- कम्पनी को 12,000 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च करने की मंजूरी प्राप्त है और इसने अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) से 30,000 अन्य उपग्रहों के प्रक्षेपण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
- विदित है कि इसी प्रकार अमेजॉन के ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ को भी एफ.सी.सी. द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है।

चंद्र अन्वेंषण यान : 'चांग ई-5'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, चीन ने चंद्र अन्वेंषण मिशन के रूप में 'चांग ई-5' यान को लॉन्च किया है। यह एक 'लूनर सैम्पल रिटर्न मिशन' है।

पृष्ठभूमि

- यह विगत चार दशकों में चंद्रमा के अभी तक गैर-अन्वेषित हिस्से से चट्टानों के नमूनों को लाने वाला पहला अन्वेंषण मिशन बन जाएगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 के प्रारम्भ में चीन के चंद्र अन्वेंषण मिशन के अंतर्गत 'चांग ई-4' द्वारा चंद्रमा के सुदूर हिस्से या अंधेरे वाले हिस्से की छवियों को सफलतापूर्वक प्रेषित किया था। चंद्रमा के इस हिस्से में उतरने वाला यह पहला अन्वेंषण यान था।

चांग ई-5 यान

- 'चांग ई-5' अंतरिक्ष यान चंद्रमा से चट्टानों के नमूनों को लाने के लिये 'चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन' (CNSA) के अन्वेंषण मिशन का एक हिस्सा है। इस अंतरिक्ष यान को 'लॉन्ग मार्च-5 वाई 5' (Long March-5 Y5) रॉकेट से चीन के हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है।
- इसका नामकरण चीन में प्रसिद्ध चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है, जो पारम्परिक रूप से एक सफेद खरगोश के साथ होती है।

लक्ष्य

- यह यान चंद्रमा के मॉन्स रुमर क्षेत्र (Mons Rumker Region) में लैंड करेगा, जहाँ यह एक चंद्र दिवस के लिये संचालित होगा। विदित है कि एक चंद्र दिवस की अवधि लगभग दो सप्ताह की होती है।
- इस यान में एक मून ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक असेंडर (Ascent Probe) शामिल है, जो चंद्रमा से प्राप्त नमूनों को कक्षा में वापस ले जाएगा और उन्हें पृथ्वी पर भेजेगा।
- चांग ई-5 एक रोबोटिक आर्म, एक कोरिंग ड्रिल व एक सैम्पल चैम्बर के साथ-साथ एक कैमरा, रडार तथा एक स्पेक्ट्रोमीटर से सुसज्जित है। इस अंतरिक्ष यान के 15 दिसम्बर के आस-पास पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद है।
- यह यान चंद्रमा की सतह पर सम्भवत: 2 मीटर गहरी खुदाई करके चंद्रमा की चट्टान का लगभग 2 किलोग्राम नमूना लेकर वापस लौटेगा।

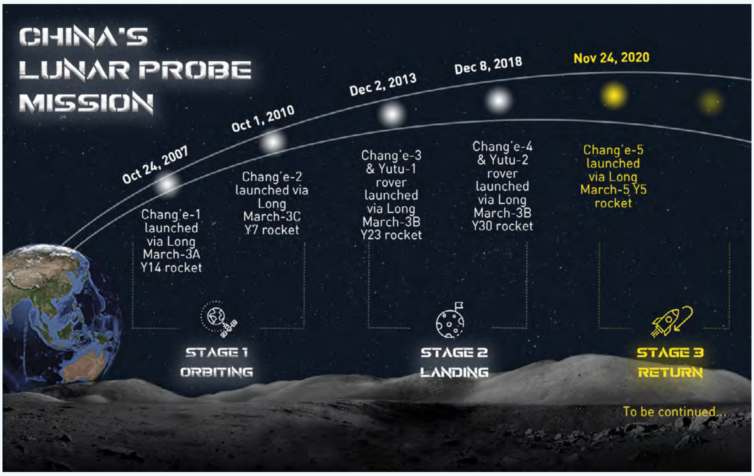

लूनर सैम्पल से प्राप्त होने वाली जानकारी

- नासा के अनुसार, चंद्रमा से प्राप्त नमूने चंद्र विज्ञान और खगोल विज्ञान में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने तथा उत्तरों को जानने में मदद कर सकते हैं।
- इनमें चंद्रमा की आयु, चंद्रमा का निर्माण व गठन, पृथ्वी तथा चंद्रमा के भूगर्भिक विशेषताओं व इतिहास के बीच समानताएँ एवं असमानताएँ शामिल हैं।
- साथ ही, इसमें इस बात का भी अन्वेंषण किया जाएगा कि क्या चंद्रमा वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। उदहारणस्वरूप, किसी चट्टान में विशिष्ट कंकड़ों व क्रिस्टलों की आकृति, माप, गठन और संरचना वैज्ञानिकों को इसके इतिहास के बारे में बता सकती है, जबकि रेडियोधर्मी घड़ी चट्टानों की आयु के बारे में जानकारी दे सकती है।
- इसके अतिरिक्त, चट्टानों में छोटी दरारें पिछले 100,000 वर्षों में सूर्य के विकिरण इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकती हैं।
- 'लूनर एंड प्लानेट्री इंस्टिट्यूट' के अनुसार, चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों से पुरानी हैं और इसलिये वे पृथ्वी और चंद्रमा के साझा इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण हैं।

पूर्व के प्रयास

- चंद्रमा से चट्टानों का पहला नमूना अपोलो-11 मिशन के दौरान एकत्रित किया गया था।
- वर्ष 1970 में सोवियत संघ का लूना-16 अन्वेंषण मिशन चंद्रमा से लगभग 100 ग्राम वजनी नमूना लेकर लौटा था। इसके बाद अपोलोनियस हाइलैंड्स क्षेत्र से भी मिट्टी का नमूना लाया गया था। इन दोनों ही मामलों में मिट्टी के नमूने चंद्रमा की सतह से कुछ सेंटीमीटर नीचे से ही लिये गए थे।
- वर्ष 1976 में लूना-24 ने चंद्रमा की सतह से 2 मीटर नीचे से 170 ग्राम से अधिक वजन का एक नमूना एकत्र किया था।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार 'वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व' (Scientific Social Responsibility : SSR) सम्बंधी नीति को अगले कुछ महीनों में लागू करने की तैयारी कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर शांति और विकास के लिये विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार में वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व पर बल दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि विश्व विज्ञान दिवस हर वर्ष 10 नवम्बर को मनाया जाता है। इस वर्ष विज्ञान दिवस का विषय– 'विज्ञान, समाज के लिये और समाज के साथ' (Science For and With Society) है।
- विज्ञान और समाज के बीच नया जुड़ाव विकसित करने हेतु वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व महत्त्वपूर्ण है।

लाभ

- विज्ञान को समाज से जोड़ने पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी दोनों ही शांति तथा विकास के सबसे मजबूत स्तम्भों में से एक बन सकते हैं।
- समाज के लिये वृहद स्तर पर विज्ञान का संचार एक बड़ी चुनौती है, जिसको वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। साथ ही, विज्ञान तथा समाज के बीच एक नया इंटरफेस विकसित किया जा सकेगा।

- टीकाकरण, निगरानी व स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ व्यापार व ऑनलाइन कक्षाओं के लिये भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। अत: समाज और विज्ञान के बीच अंतराल को कम किये जाने की आवश्यकता है, जिसे वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व के माध्यम से किया जा सकता है।
- वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व के माध्यम से विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि डी.एस.टी. द्वारा 'किरण कार्यक्रम' (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) का संचालन किया जाता है, जो महिला वैज्ञानिक कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करता है।

डिस्पोज़ेबल पेपर कप सम्बंधी चिंताएँ

प्रमुख बिंदु

- आई.आई.टी, खड़गपुर के शोधकर्ताओं के अनुसार डिस्पोज़ेबल पेपर कप में गर्म पेय पदार्थ का प्रयोग हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनमें से माइक्रोप्लास्टिक सहित कई हानिकारक तत्त्व निकलते हैं।
- अध्ययन में पाया गया है कि पेपर कप में 15 मिनट तक गर्म पानी रखने से माइक्रोप्लास्टिक की पतली परत क्षीण हो जाती है।

डिस्पोज़ेबल पेपर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री

- पेपर कप महीन हाइड्रोफोबिक फिल्म से तैयार किये जाते हैं, जो अधिकांशत: प्लास्टिक (पॉलीथिलेन) से बने होते हैं।
- कई बार पेपर कप में तरल पदार्थ को रोकने के लिये को-पॉलीमर्स का प्रयोग किया जाता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- अध्ययन के अनुसार, एक पेपर कप में यदि 15 मिनट तक 85-90 °C तापमान वाले 100 मिली. गर्म तरल पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें से अधिक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक के कण निकलते हैं।
- इसका तात्पर्य यह है कि एक औसत व्यक्ति यदि एक दिन में तीन बार पेपर कप में चाय या कॉफी का सेवन करता है तो उसके शरीर में लगभग 75 हजार सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक के कण पहुँचते हैं। माइक्रोप्लास्टिक कणों की इतनी मात्रा किसी व्यक्ति को दृष्टिहीन बना सकती है।

ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग

- 'ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग' (BEOSP) को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछताछ का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें अपराध की जाँच 'मानव मस्तिष्क के वैद्युत व्यवहार' की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है। इस परीक्षण में इलेक्ट्रो-ऐंसेफलोग्राम प्रक्रिया (Electroencephalogram Process) के माध्यम से इलेक्ट्रो-फिजियो-लॉजिकल इम्पल्स को हटाकर अपराध में किसी संदिग्ध की भागीदारी का पता लगाया जाता है।
- इस परीक्षण के तहत अभियुक्त की सहमति लेकर उन्हें इलेक्ट्रोड कैप पहनाई जाती है, जिसके बाद अपराधी के दिमाग में न्यूरॉन्स के ट्रिगर, जो मस्तिष्क तरंगें (Generate Brainwaves) उत्पन्न करता है, की जाँच के लिये अपराध से सम्बंधित दृश्य या ऑडियो क्लिप दिखाई जाती है। अपराध में अभियुक्त की भागीदारी का निर्धारण परीक्षण परिणामों के आधार पर किया जाता है। यह परीक्षण 'ज्ञान' और 'अनुभव' पर आधारित है।

- इस प्रक्रिया से इतर पॉलीग्राफ टेस्ट में अभियुक्त से प्रश्न किये जाते हैं तथा आरोपी व्यक्ति के शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, पल्स रेट, श्वसन और शारीरिक हाव-भाव के आधार पर अपराध में संलिप्तता का अध्ययन किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ व्यक्ति रक्तचाप और पल्स रेट को संकट के समय नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि बी.ई.ओ.एस.पी. परीक्षण अधिक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।
- ध्यातव्य है कि सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक मामले (2010) में उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी अभियुक्त को उसकी सहमति के बिना नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के लिये मज़बूर नहीं किया जा सकता। साथ ही, परीक्षण के परिणाम एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। हालाँकि, इन परिणामों को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है।

वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप

- हाल ही में, अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE) ने माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) को प्रतिष्ठित माइलस्टोन फेसिलिटी के रूप में चिन्हित किया है। इसके तहत शामिल यह भारत का अब तक का तीसरा प्रोजेक्ट है, इससे पूर्व 'रेडियो तरंग' (सर जे.सी. बोस) तथा 'प्रकाश का प्रकीर्णन' (सी.वी. रमन) को यह दर्जा प्रदान किया गया है।
- आई.ई.ई.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से सम्बंधित सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित तकनीकी पेशेवरों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है।
- जी.एम.आर.टी. पुणे के समीप स्थित 45-मीटर व्यास के परवलयाकर रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है, जो मीटर तरंग दैर्ध्य (Metre Wavelength) का अवलोकन करती है। यह पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। इसका संचालन राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र करता है।
- जी.एम.आर.टी. एक बहुमुखी उपकरण है जो सौरमंडल से लेकर अवलोकनीय ब्रह्मांड तक की विभिन्न रेडियो एस्ट्रोफिजिकल समस्याओं की जाँच करने में सक्षम है। इसका उपयोग कई खगोलीय पिंडों जैसे- एच.आई.आई. क्षेत्रों, आकाशगंगाओं, पल्सर, सुपरनोवा, सूर्य तथा सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिये किया गया है।

थर्टी-मीटर टेलिस्कोप (TMT) प्रोजेक्ट

प्रमुख बिंदु

- टी.एम.टी. परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है। इसमें कैल टेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत आपस में सहयोग कर रहे हैं। भारत विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से सहयोग कर रहा है।
- तीस मीटर वाली विशालकाय दूरबीन (TMT) परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के सम्बंध में वर्ष 2020 के भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया गेज़ और भारतीय खगोलविदों के बीच इस परियोजना के अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों में सहयोग किया जा रहा है।
- ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिये तथा अंतरिक्ष से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के मोनाकिया में इस दूरबीन को स्थापित किया जा रहा है।
- जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स जर्नल में वर्ष 2015 में प्रकाशित एक लेख में ब्रह्मांड के अध्ययन के लिये भविष्य में टी.एम.टी. की उपयोगिता को रेखांकित किया गया है।

6 G प्रायोगिक उपग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चीन ने दुनिया का पहला 6 G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- लगभग 70 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को चीन के शांक्सी प्रांत के ताईयुआन सैटेलाइट सेंटर से 'लॉन्ग मार्च-6 केरियर रॉकेट' द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह रॉकेट अपने साथ अर्जेंटीना द्वारा विकसित कई कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (न्यूसैट 9-18) को भी ले गया है। यह उपग्रह जंगल तथा फसल की आग को ट्रैक करेगा।
- यह अंतरिक्ष में टेराहर्टज तरंगों की प्रौद्योगिकी का परीक्षण करेगा तथा 6 G के जमीनी संचार नेटवर्क के साथ उपग्रह संचार नेटवर्क को सयोंजित करेगा। टेरा हट्‌र्ज तरंगे एक उच्च आवृत्ति विकिरण है जिसमें डाटा एक सेकंड में 50 गीगाबिट्स की गति से ट्रेवल करता है।
- ध्यातव्य है कि 6 G तकनीक अभी वास्तविकता से दूर है लेकिन चीनी इंजीनियरों के अनुसार यह उपग्रह विशिष्ट तरह की संचार तरंगों का सफल परीक्षण करेगा जिससे वर्तमान संचार तरंगों के प्रवाह की गति (Streaming) 100 गुना तक बढ़ जाएगी।

11 विविध

जल जीवन मिशन

संदर्भ

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एक बहु-अनुशासनात्मक तकनीकी समिति ने राज्यों को क्षेत्रीय स्तर के समाधान प्रदान करने के लिये पेयजल और स्वच्छता से सम्बंधित पाँच तकनीकों की सिफारिश की है।
- समिति द्वारा की गई सिफारिशें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी उपयुक्तता और आवश्यकता के आधार पर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करेंगी। तकनीकी समिति द्वारा विचार और अनुशंसा से पहले इन तकनीकों का विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन किया गया था। समिति ने क्षेत्रीय स्तर के समाधान प्रदान करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आवेदन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों के लिये सहायक होगा।

बहु-अनुशासनात्मक तकनीकी समिति

- इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा की जाती है तथा इसके अन्य सदस्य नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सी.एस.आई.आर, डी.आर.डी.ओ, आई.आई.टी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य विभागों से होते हैं।
- समिति द्वारा निम्नलिखित पाँच तकनीकों की सिफारिश की गई है–
  - **ग्रुंडफॉस एक्यूप्योर (Grundfos AQpure)-** यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जल उपचार संयंत्र है, जो अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन पर आधारित है।
  - **जन-जल वॉटर ऑन व्हील-** यह आई.ओ.टी. आधारित इलेक्ट्रिक वाहन होगा, जो घरों के दरवाजे तक सुरक्षित पानी पहुँचाने के लिये जी.पी.एस. का उपयोग करेगा।
  - **प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर-** यह एक गैर-विद्युत आधारित ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो जीवाणु प्रदूषकों को हटाने के लिये पानी का कीटाणु शोधन करता है।
  - **जोहकासो तकनीक (Johkasou Technology)** यह अवायवीय-वायवीय विन्यास पर आधारित जल उपचार प्रणाली है, जो इनबिल्ट सीवेज, रसोई और स्नानगार जल को शुद्ध करने में सक्षम है। इसे भूमिगत रूप से स्थापित किया जा सकता है।
  - **एफ.बी.टी.ई.सी. (FBTec)-** यह फिक्स्ड फिल्टर मीडिया का उपयोग कर विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली को एकत्रित कर तैयार की गई एक साइट है।
- गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिये प्रयासरत है।

मानव शरीर का 'सामान्य' तापमान और विसंगति

विगत कई वर्षों से डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि 98.6 ° F (37 °C) वास्तव में शरीर का मानक 'सामान्य' तापमान नहीं है, जिसे पूर्व में मानक तापमान माना जाता था।

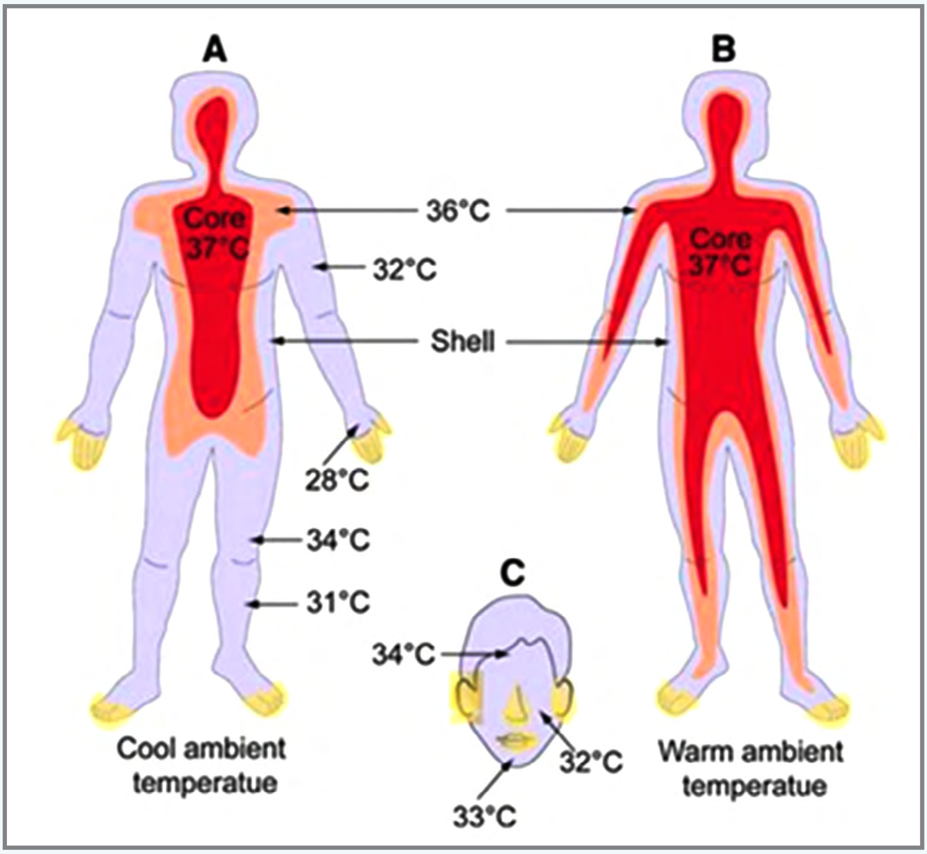

शरीर का 'सामान्य' तापमान

- वर्ष 1851 में, कार्ल रीनहोल्ड ऑगस्ट वंडरलिच ने शरीर के तापमान को मापने के लिये नैदानिक थर्मामीटर (Clinical Thermometer) का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया।
- यह थर्मामीटर लगभग एक फुट लम्बी रॉड के आकार का था, जिसे वो लीपज़िग विश्वविद्यालय से जुड़े अस्पताल में रोगियों की काँख (Armpits) में लगा देते थे और फिर तापमान दर्ज करने के लिये 15 मिनट तक प्रतीक्षा करते थे।
- उन्होंने लगभग 25,000 रोगियों के शरीर के तापमान के दस लाख से अधिक नमूने एकत्र किये और वर्ष 1868 में एक पुस्तक में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किये, जिसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि औसत मानव शरीर का तापमान 98.6° F है।
- यद्यपि वर्तमान में अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिकों को लगता है कि वंडरलिच के प्रयोग त्रुटिपूर्ण थे और उनके उपकरण भी सही नहीं थे।
- एक अध्ययन में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि औसत मानव शरीर का तापमान 98.2 °F (36.8 °C) के करीब है और सुझाव दिया कि 98.6 °F के बेंचमार्क को अब हटा देना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि द्रवों का आयतन ताप ग्रहण कर बढ़ जाता है तथा आयतन में होने वाली यह वृद्धि तापक्रम के समानुपाती होती है। साधारण थर्मामीटर इसी सिद्धान्त पर काम करते हैं। साधारण थर्मामीटर की खोज का श्रेय इटली के चिकित्सक और वैज्ञानिक, 'संतोरियो संतोरियो' (Santorio Santorio) को जाता है, जबकि आधुनिक पारे के थर्मामीटर की खोज का श्रेय डच वैज्ञानिक 'डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट' (Daniel Gabriel Fahrenheit) को जाता है।

शारीरिक तापमानों में विसंगति

- अमेरिका और यूरोप में हुए व्यापक अध्ययनों में समय के साथ शरीर के औसत तापमान में गिरावट देखी गई है।
- हाल के वर्षों में, विभिन्न अध्ययनों द्वारा शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के सामान्य तापमान का औसत अलग-अलग पाया है, जिसमें 97.7°F, 97.9°F और 98.2°F शामिल हैं।
- विगत वर्ष प्रकाशित, एक बड़े अध्ययन में यह पाया गया कि अमेरिकियों के शरीर के सामान्य तापमान में पिछली दो शताब्दियों में गिरावट देखी गई है।

मानसर झील विकास योजना

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया।
- इस परियोजना के लागू होने के बाद, मानसर क्षेत्र में प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या मौजूदा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी।
- साथ ही, मानसर कायाकल्प योजना से लगभग 1.15 करोड़ मानव-दिवस रोज़गार सृजित होने और प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने का अनुमान है।
- जम्मू-कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7% है।
- 'नमामि गंगे' और 'गंगा सफाई परियोजना' के समान ही देविका नदी और मानसर झील के कायाकल्प एवं नवीकरण सम्बंधी परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
- देविका नदी को गंगा की बहन भी कहा जाता है और मानसर झील का उल्लेख महाभारत के प्राचीन लेखों में भी मिलता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कुछ समय पूर्व शाहपुर कंडी सिंचाई परियोजना और उझ बहुउद्देशीय परियोजना पुनः प्रारम्भ की गई हैं। पंजाब राज्य में जम्मू-कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण उझ नदी पर जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में करने की योजना है। उझ नदी रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- विदित है कि रियासी (Reasi) ज़िले में निर्माणाधीन चिनाब रेल ब्रिज बनकर तैयार होने के बाद यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल होगा।

विश्व आर्थिक मंच के स्मार्ट सिटी रोडमैप में 4 भारतीय शहर शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के 36 स्मार्ट सिटी रोडमैप शहरों में 4 भारतीय शहरों (बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर) को शामिल किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ल्ड इकनोमिक फोरम (डब्ल्यू.ई.एफ.) द्वारा इन भारतीय शहरों को नई प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रूप से अपनाने हेतु एक बेहतर रोडमैप तैयार करने के आधार पर चुना गया है।

- डब्ल्यू.ई.एफ. द्वारा 6 उपमहाद्वीपों तथा 22 देशों के 36 ऐसे शहरों का चयन किया गया है जो G-20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ एलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी हेतु एक एक नई वैश्विक नीति रोडमैप का नेतृत्व कर रहे हैं।
- इस रोडमैप में 4 भारतीय शहरों के अलावा लंदन, मॉस्को, टोरंटो, ब्राज़ीलिया, दुबई और मेलबर्न को भी शामिल किया गया है।
- ध्यातव्य है कि G-20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ एलायंस द्वारा 36 पायनियर शहरों का एक समूह गठित किया गया है। यह समूह व्यक्तिगत और साइबर सुरक्षा से लेकर दिव्यांग जनों के लिये बेहतर सेवाओं और ब्रॉडबैंड कवरेज के क्षेत्रों में अपनी नीतियों में प्रसार हेतु वैश्विक विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

G-20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ एलायंस

- जून 2019 में स्थापित G-20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ एलायंस का उद्देश्य नगरपालिका, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों, निजी क्षेत्र के भागीदारों और शहरों के निवासियों को स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग हेतु उचित तथा व्यावहारिक सिद्धांतों के साथ एक साझा मंच पर एकजुट करता है।
- यह एलायंस सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में तेज़ी लाने, सम्भावित जोखिमों को कम करने और अधिक खुलेपन तथा सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिये विश्व स्तरीय नीतिगत मानदंडों को स्थापित और प्रोत्साहित करता है।
- वर्ल्ड इकनोमिक फोरम तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर पब्लिक-प्राइवेट को-ऑपरेशन इस एलायंस के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं।

आई.सी.सी. द्वारा खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु का निर्धारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिये खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु से सम्बंधित नीति निर्धारित की है।

मुख्य बिंदु

- आई.सी.सी. के अनुसार, वैश्विक स्तर पर खेलने के लिये क्रिकेटर की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिये। परिषद् द्वारा न्यूनतम उम्र का निर्धारण खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- न्यूनतम आयु सीमा सम्बंधी नियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर लागू होंगे, जिनमें आई.सी.सी. के टूर्नामेंट, द्विपक्षीय क्रिकेट तथा अंडर-19 क्रिकेट शामिल हैं। ध्यातव्य है कि ये नियम महिला क्रिकेटरों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
- अपवाद की स्थिति में 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को खेलने के लिये खिलाड़ी का खेल अनुभव, उसका मानसिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलने में सक्षमता के आधार पर बोर्ड के सदस्य आई.सी.सी. से अनुरोध कर सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि अभी तक किसी भी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिये न्यूनतम आयु से सम्बंधित कोई नियम नहीं था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद्

- आई.सी.सी. की स्थापना वर्ष 1909 में इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है।

- आई.सी.सी. क्रिकेट के लिये वैश्विक शासी निकाय है, जो 105 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। आई.सी.सी. द्वारा सदस्य देशों की सहायता से क्रिकेट को नियंत्रित तथा प्रशासित किये जाने के साथ ही इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पाकिस्तान के हसन रजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।
- सचिन तेंदुलकर देश के लिये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।

इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल' का शुभारम्भ किया।

मुख्य बिंदु

- यह पोर्टल एक प्रकार का 'एकल बिंदु सूचना संसाधन' होगा, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई जलवायु सम्बंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इससे उपयोगकर्ता इन पहलों की अद्यतन स्थिति का लाभ उठा सकेंगे।
- यह पोर्टल विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे क्षेत्रवार अनुकूलन और शमन कार्रवाईयों के साथ-साथ अद्यतन जानकारी सहित उनके कार्यान्वयन को एक स्थान पर एक साथ लाता है।
- साथ ही, यह नॉलेज पोर्टल नागरिकों के बीच सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- इस नॉलेज पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :
  - भारत की जलवायु रूपरेखा और राष्ट्रीय नीति ढाँचा
  - भारत का एन.डी.सी. (NDC) लक्ष्य और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग
  - अनुकूलन सम्बंधी कार्रवाई तथा शमन सम्बंधी कार्रवाई
  - अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता तथा रिपोर्ट व प्रकाशन
- एन.डी.सी. का पूरा नाम- Nationally Determined Contributions (NDCs) है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित है। एन.डी.सी. राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को कम करने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रत्येक देश द्वारा किये जा रहे प्रयासों को शामिल करता हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने 2020 पूर्व जलवायु सम्बंधी कार्रवाई से जुड़े अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत हवाई परिवहन में छूट

मुख्य बिंदु

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 'ऑपरेशन ग्रीन योजना' टॉप टू टोटल के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों व सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुँचाने के लिये हवाई परिवहन पर 50% सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- इस सुविधा के अनुसार, एयरलाइंस कम्पनियों द्वारा आपूर्तिकर्ता/माल भेजने वाले/माल प्राप्तकर्ता तथा एजेंट को परिवहन सब्सिडी सीधे प्रदान की जाएगी अर्थात इनको वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50% ही चुकता करना होगा तथा शेष 50% धनराशि हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के समक्ष दावा पेश करना होगा।
- 'ऑपरेशन ग्रीन– टॉप टू टोटल योजना' के अंतर्गत पात्र हवाई अड्डों से परिवहन के लिये अधिसूचित फलों और सब्जियों की सभी खेप 50% माल भाड़ा सब्सिडी के लिये पात्र होंगे, चाहे उसकी मात्रा और कीमत कुछ भी हो।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना के लिये बढ़ाया गया था। अधिसूचित फल व सब्जियों पर रेलवे केवल 50% किराया ही लेता है।

अधिसूचित फसलें

- 41 अधिसूचित फसलों में 21 प्रकार के फलों तथा 20 प्रकार की सब्जियों को शामिल किया गया है। प्रमुख फलों में कीवी, लीची, किन्नू, नींबू, कटहल, बादाम फल, पैशन फ्रूट तथा शकरकंद व चीकू शामिल हैं।
- साथ ही, प्रमुख सब्जियों में ओकरा/लम्बी भिंडी, ककड़ी/खीरा, मटर, लहसुन, प्याज, बड़ी इलायची, अदरक, स्क्वैश और हल्दी (सूखी) शामिल हैं।

सम्बंधित हवाई अड्डे

पूर्वोत्तर राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा) और त्रिपुरा के सभी हवाई अड्डों सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख के सभी हवाई अड्डे इसके लिये पात्र हैं।

सीमा शुल्क आँकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के डाक विभाग और अमेरिका के डाक सेवा द्वारा दोनों देशों के मध्य डाक नौवहन से सम्बंधित सीमा शुल्क आँकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य:** इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में डाक चैनलों के माध्यम से छोटे और बड़े निर्यातकों को 'सुगम निर्यात' (Ease of exports) की सुविधा प्रदान करना है।
- **विशेषताएँ:** इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के उनके गंतव्य पर भौतिक रूप में पहुँचने से पहले उनके इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भेजना तथा प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा और इससे नए वैश्विक डाक ढाँचे के अनुरूप डाक वस्तुओं के सीमा शुल्क की अग्रिम निकासी भी हो सकेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा (Exchange of Electronic Advance Data — EAD) के आदान-प्रदान से निर्यात को बल मिलेगा, जो आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- ध्यातव्य है कि भारत के लिये यू.एस.ए. शीर्ष निर्यात गंतव्य है (17%) जो डाक चैनलों के माध्यम से वस्तुओं के आदान-प्रदान में भी परिलक्षित होता है।
- वर्ष 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (Express Mail Service — EMS) का लगभग 20% और भारतीय डाक द्वारा प्रेषित 30% पत्र एवं छोटे पैकेट यू.एस.ए. भेजे गए थे, जबकि भारतीय डाक को प्राप्त पार्सल का 60% हिस्सा यू.एस.ए. से आया था।

लाभ

- इससे निर्यातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क सम्बंधी मंजूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने सम्बंधी निर्यात उद्योग की प्रमुख माँग पूरी होगी और भारत, भविष्य में विश्व का निर्यात केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा।
- यह समझौता डाक सेवाओं के प्रदर्शन में विश्वसनीयता लाने और सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा।

लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सतलज नदी पर 210 मेगा वाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के लिये 1810.56 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का कार्यान्वयन सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू ज़िलों में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेंटेन-(Build-Own-Operate-Maintain — BOOM) के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रत्येक वर्ष इस परियोजना से 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होने का अनुमान है। इस परियोजना की समयावधि 40 वर्ष है।
- 62 महीनों की अवधि में लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली उत्पन्न होगी उससे ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी तथा बिजली की आपूर्ति में भी सुधार होगा।
- इस परियोजना से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि इससे न केवल ग्रिड को महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होंगे बल्कि वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली लगभग 6.1 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा में भी कमी आएगी।
- इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2020

पृष्ठभूमि

- हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स–2020 जारी किया गया।
- वर्तमान में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अध्यक्ष इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन हैं। इसकी वार्षिक रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग के लिये शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण न्याय संगतता, वृद्धि और धारणीयता के तीन स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत् विकास के संदर्भ में किया जाता है।
- यह भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिये वर्ष 1994 में स्थापित एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है।

बड़े राज्यों की स्थिति

- चारों दक्षिणी राज्य- केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शासन के संदर्भ में बड़े राज्य की श्रेणी में प्रथम चार स्थानों पर काबिज हैं।
- बड़े राज्यों में केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। इसके बाद ओडिशा और बिहार हैं।

छोटे राज्यों की स्थिति

- छोटे राज्य की श्रेणी में गोवा प्रथम और मेघालय द्वितीय स्थान पर है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर का है।
- दिल्ली को छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और सबसे खराब प्रदर्शन में मणिपुर के बाद इसका दूसरा स्थान है।

केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा, जबकि दादरा और नागर हवेली अंतिम स्थान पर है।

आर्मी एविएशन कोर (Army Aviation Corps)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारतीय सेना की सबसे बाद में गठित आर्मी एविएशन कोर द्वारा 35वाँ स्थापना दिवस मनाया गया है। आर्मी एविएशन कोर भारतीय सेना का एक घटक है, जिसका गठन 1 नवम्बर 1986 को एक अलग संगठन के रूप में किया गया था।

आर्मी एविएशन कोर की भूमिका

- इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। साथ ही, इसके अन्य अधिकारियों व कर्मियों की भर्ती सेना के विभिन्न अंगो से की जाती है।
- भारतीय सेना ने विभिन्न समर्पित विमानन इकाईयों, जैसे- परिचालन कोर और कमांड संरचनाओं के साथ आर्मी एविएशन कोर को जोड़कर इसकी भूमिका को और बढ़ा दिया है। वर्तमान में ये कोर चेतक, चीता, लांसर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ए.एल.एच. इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम (रुद्र भी कहा जाता है) आदि को संचालित करती है।
- इनके हेलिकॉप्टर सामान्यत: एयरबोर्न कमांड पोस्ट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें ज़मीनी कमान पोस्ट की जगह उपयोग किया जा सकता है।
- आर्मी एविएशन कोर के हेलिकॉप्टर शांतिकाल में मानवीय सहायता पहुँचाने तथा आपदा के समय राहत अभियानों में भी सहयोग प्रदान करते हैं। ये हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से सैन्य परीक्षणों, अवलोकन प्रक्रिया, आपदा के समय निकासी, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने, युद्धक खोज व बचाव आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- श्रीलंका में 'ऑपरेशन पवन' (1987) के दौरान आर्मी एविएशन कोर ने अपनी युद्ध क्षमताओं का जबरदस्त प्रदर्शन किया था साथ ही, पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर की अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इसके जवानों और पायलेटों ने अभूतपूर्व कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है।

भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारम्भ

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारम्भ 20 नवम्बर, 2020 को किया गया।
- अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इस परियोजना के पहले चरण का शुभारम्भ किया था।

- भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण के कार्यान्वयन ने पूरे भूटान में ए.टी.एम. और प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) तक भारतीय आगंतुकों की पहुँच को सुगम बनाया है। इसका दूसरा चरण भूटानी कार्डधारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने में समर्थ बनाएगा।

रुपे कार्ड (RuPay Card)

- रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) का एक उत्पाद है। एन.पी.सी.आई. देश में खुदरा भुगतानों को संचालित करने वाली एक अम्ब्रेला संस्था है। इस कार्ड का शुभारम्भ मार्च, 2012 में किया गया था
- रुपे कार्ड पूरे भारत में ए.टी.एम, पी.ओ.एस. उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर व्यापक स्वीकृति के साथ भारत का अपनी तरह का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) को भारत में एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व निपटान प्रणाली के सृजन की शक्ति प्रदान करते हैं।
- वर्तमान में, रुपे कार्ड 1,100 से अधिक बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक शामिल हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल

मुख्य बिंदु

- हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल' लॉन्च किया।
- यह पोर्टल देश में कहीं से भी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिये डिजिटली आवेदन करने में मदद करेगा।
- यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी भौतिक इंटरफेस के बिना और किसी भी कार्यालय में जाए बिना आई-कार्ड प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यह पोर्टल इस समुदाय के बहुत से लोगों को आगे लाने और उनकी स्वयं की पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र व पहचान पत्र प्राप्त करने में मदद करेगा, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

गरिमा गृह

- साथ ही, गुजरात के वडोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एक आश्रय गृह 'गरिमा गृह' का उद्घाटन किया गया है, जो अन्य सुविधाओं के अलावा इस समुदाय के कौशल विकास और क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिये प्रायोगिक आधार पर देश में 13 आश्रय स्थल स्थापित करने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 10 शहरों की पहचान की गई है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

ध्यातव्य है कि 10 जनवरी, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जारी किया।

न्याय बंधु ऐप का आई.ओ.एस. संस्करण

मुख्य बिंदु

- 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर न्याय बंधु ऐप के आई.ओ.एस. (IOS) वर्जन के साथ इसे उमंग प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया।
- अनुच्छेद 39A के तहत नि:शुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये न्याय बंधु मोबाइल ऐप केंद्रीय कानून एवं न्याय और आई.टी. मंत्री श्री रविशंकर प्रयाद द्वारा फरवरी, 2019 में प्रारम्भ किया गया था।
- उमंग प्लेटफॉर्म पर न्याय बंधु एप के जुड़ने से 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता आसानी से मोबाइल आधारित कानूनी सेवा नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- न्याय विभाग ने ऐसे अधिवक्ताओं का एक डाटाबेस बनाने की परिकल्पना की है जो नि:शुल्क विधिक सहायता के रूप में अपना समय और सेवा देने के लिये सहमत हुए हैं।

उमंग ऐप

- उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance : UMANG) ऐप को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है।
- उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्रीय से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं तक पहुँचने के लिये एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- हाल ही में, उमंग ऐप के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार प्रदान किया गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के दौरान खेल गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किये जाने के कारण भारतीय खेल प्राधिकरण चर्चा में है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India : SAI)

- भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी।
- यह संस्था भारत में खेल तथा खेल उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु शीर्ष निकाय है।
- प्रारम्भ में इस संस्था की स्थापना 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर प्रतिभा की खोज तथा प्रतिभा की उत्कृष्टता हेतु कार्य करना तथा खिलाड़ियों के लिये आधुनिक खेल उपकरणों के साथ पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली की सहायता से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अवलोकन तथा उसमें सुधार करने के साथ ही राष्ट्र-स्तरीय टीम तैयार करना।
- भारत में खेल के लिये आधारभूत संरचना का विकास तथा उसकी देखभाल करना।
- खेल के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल तथा दक्ष प्रशिक्षकों (कोच) का चयन करना।

महिलाओं के लिये जर्मनी का नया बोर्डरूम कोटा

- जर्मनी, देश की सूचीबद्ध फर्मों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या निश्चित करने के लिये एक अनिवार्य कोटा लागू करने की योजना बना रहा है। विदित है कि जर्मनी में इसके पूर्व स्वैच्छिक प्रणाली लागू थी। इस ऐतिहासिक कदम को देश में लैंगिक असमानता की खाई को कम करने के लिये एक सशक्त कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- इसे 'दूसरा प्रबंधन पद अधिनियम' (Second Management Positions Act) के नाम से जाना जाता है। केबिनेट द्वारा इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, देश की सूचीबद्ध कम्पनियों में तीन से अधिक सदस्य वाले कार्यकारी बोर्ड में एक सदस्य का अनिवार्य रूप से महिला होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिन कम्पनियों में सरकार की हिस्सेदारी है, उन्हें पर्यवेक्षी बोर्ड में महिलाओं का न्यूनतम 30% कोटा तथा कार्यकारी बोर्डों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
- गौरतलब है कि जर्मनी में वर्ष 2015 के बाद से पर्यवेक्षी बोर्डों में महिलाओं के लिये स्वैच्छिक कोटा 30% का था, जो पदों के अनुपात में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत कम था। विदित है कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- बोर्डरूम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में जर्मनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बाद प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ प्रमुख देशों की सूची में जर्मनी की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। वर्तमान में उच्च प्रबंधन के स्तर पर 28.6% महिलाओं की भागीदारी के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है।

भू-प्रबंधन प्रणाली (LMS)

- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भूमि के सही व सम्पूर्ण प्रबंधन में सुधार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पहली बार रक्षा सम्पदा महानिदेशालय और सशस्त्र बलों के सहयोग से भू-प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है।
- इस अंतर-विभागीय पोर्टल की सहायता से भविष्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्बंधित भूमियों के बारे में प्राप्त आवेदनों को डिजिटल किया जाएगा। साथ ही आर्काइव में रखे दस्तावेजों और सम्बंधित आँकड़ों को भी डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
- इस पोर्टल से विभाग के भूमि सम्बंधित मामलों के निपटारे में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी। साथ ही भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित तकनीक से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच दोहराव या अनावश्यक संचार को कम करने में मदद मिलेगी जिससे जल्द निर्णय लेने में आसानी होगी।

IAS (PT) 2021 सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़

प्रारम्भ 10 जनवरी 2021

कुल 20 टेस्ट
प्रत्येक टेस्ट के व्याख्या सहित उत्तर

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on:

12 महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार संग्रह

कोविड महामारी के बाद भारत की तैयारी

पृष्ठभूमि

- वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 1930 की महामंदी और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् कोविड-19 महामारी के कारण भारी संकट का सामना कर रही है। इससे निपटने के लिये विभिन्न देशों की सरकारों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की तात्कालिक कार्रवाइयाँ जारी हैं।
- इस क्रम में, भारतीय नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य व आर्थिक मोर्चे पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इन चुनौतियों से निपटने के लिये 'बारबेल रणनीति' अपनाई गई है।

बारबेल रणनीति (Barbell Strategy)

- महामारी की स्थिति में स्वास्थ्य एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सबसे बड़ी बाधा अनिश्चितता और सूचना के आभाव की थी। इन स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष रणनीति को अपनाया जिसे वित्तीय बाज़ार में 'बारबेल रणनीति' कहा जाता है।
- बारबेल रणनीति के अंतर्गत, सर्वप्रथम महामारी से सम्बंधित बुरे से बुरे परिणामों से बचाव के उपाय किये जाते हैं, तत्पश्चात् 'बेजियन विधि' से अद्यतन जानकारी के आधार पर आगे कदम उठाए जाते हैं।
- भारत में इस नीति का अनुसरण करते हुए महामारी के शुरुआती दौर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिससे महामारी की रोकथाम और उपचार के लिये बड़े पैमाने पर जरूरी उपकरण, क्वारंटीन सुविधाओं और परीक्षण क्षमता विकसित करने के लिये पर्याप्त समय मिल गया।
- आर्थिक मोर्चे पर पर भी यह रणनीति कमज़ोर वर्गों और व्यावसायिक क्षेत्रों (मध्यम एवं लघु उद्योगों) को सहारा देने के उद्देश्य से लागू की गई। इसके अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराना, जन-धन खातों में नकदी अंतरण, लघु उद्यमों के लिये सरकारी ऋण गारंटी तथा वित्तीय अंतरणों की समय-सीमा में छूट आदि उपाय किये गए।
- सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना था, न कि मांग को बढ़ावा देना, क्योंकि लॉकडाउन में मांग बढ़ने की सम्भावना अत्यंत कम थी।
- लॉकडाउन को पूर्णता हटाने के बाद मांग को प्रेरित करने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जाना चाहिये क्योंकि वित्तीय घाटे के बावजूद मौद्रिक व वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

कोविड परवर्ती काल में अनुकूलन

- कोविड महामारी से उबरने के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व भू-राजनीतिक, सप्लाईचेन तथा टेक्नोलॉजी सम्बंधी नवसृजन, संस्थागत ढाँचा तथा उपभोक्ता प्राथमिकताओं से सम्बंधित परिवर्तनों का सामना करेगा।
- भारत में अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने और अनुकूलन क्षमता विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में किसानों को उपज का उचित मूल्य प्रदान करने तथा कुछ वस्तुओं के भंडारण (जो पहले जमाखोरी माना जाता था) की अनुमति देने सम्बंधी सुधार किये गए हैं।
- श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने और कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये पूर्व के दर्जनों श्रम कानूनों के स्थान पर केवल चार श्रम संहिताएँ बना दी गई।
- व्यापारियों द्वारा बैंकों के जरिये आपसी लेनदेन हेतु बाइलेटरल नेटिंग एंड ट्रेड फाइनेंस फैक्टरिंग कानून का निर्माण कर वित्तीय प्रणाली को अधिक लचीला बनाने का प्रयास किया गया।

- लचीलापन दीर्घावधि ढाँचे का महत्त्वपूर्ण घटक है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने का प्रयास कर रहा है। आर.सी.ई.पी. से बाहर निकलने का निर्णय इसी का उदाहरण है।

कोविड काल में देश की मौद्रिक नीति

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति की भांति सार्वजनिक नीति का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य, वित्तीय बाज़ारों में होने वाले उतार-चढ़ाव की स्थिति को नीतियों के माध्यम से नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना है। धन की लागत व उपलब्धता मौद्रिक नीति के अंतर्गत, जबकि कर एवं व्यय राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं।

मौद्रिक नीति की नवीन संरचना

- वर्ष 2016 में भारत के मौद्रिक नीति ढाँचे में बदलाव किया गया और लचीली व मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर को 4(±2)% (न्यूनतम सीमा 2% तथा अधिकतम 6%) बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह मौद्रिक-राजकोषीय समन्वय का एक उदाहारण है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार तथा आर.बी.आई. मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में साझा जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों को मापता है। मौद्रिक नीति के निर्माण में सी.पी.आई. के मुद्रास्फीति सम्बंधी आँकड़ो को ध्यान में रखा जाता है ताकि महँगाई के सहनशील स्तर को प्राप्त किया सके। सी.पी.आई. पारदर्शिता को बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का वेतन व मज़दूरी सी.पी.आई. से अनुक्रमित होती है ताकि जब भी सी.पी.आई. एक निश्चित सीमा से बढ़े तो उन्हें महँगाई भत्ता प्रदान किया जा सके।
- मौद्रिक नीति संरचना में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिसके तहत अब मौद्रिक नीति के कार्यों और अवस्थिति से सम्बंधित निर्णय 6 सदस्यीय समिति द्वारा लिये जाएंगे। इस समिति का अध्यक्ष रिज़र्व बैंक का गर्वनर होगा, डिप्टी गवर्नर व एक अधिकारी समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।
- प्रत्येक तिमाही में मौद्रिक नीति समिति की कम-से-कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य है
- मौद्रिक नीति वांछित और व्यावहारिक लक्ष्य के मध्य संतुलन स्थापित करती है, इसका सबसे बड़ा योगदान सतत् और समावेशी विकास के लिये मैक्रो इकॉनोमिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

आत्मनिर्भरता की ओर भारत

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता के समय, भारतीय नीति-निर्माताओं के समक्ष मुख्य चुनौती एक गरीब कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक औद्योगीकृत में परिवर्तित करना थी। यहाँ संसाधनों का गम्भीर संकट विद्यमान था। अत: सीमित संसाधनों के आवंटन के लिये कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। पी.सी. महालनोबिस द्वारा तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस दिशा में एक निर्णायक प्रयास था। इसके अंतर्गत, राज्य के नेतृत्व में औद्योगीकरण पर मुख्य बल दिया गया, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना था।

- पहला महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की ओर से औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में जारी किया गया था। इसके बाद औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 और औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 लागू किये गए, जिन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य सहयोग पर जोर दिया। हालाँकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का प्रावधान किया गया।
- 1990 के दशक पर गौर करें तो उस समय जारी नीति 1980 के दशक के उत्तरार्ध से चल रहे संकट की नीतिगत प्रतिक्रिया थी। इसमें औद्योगिक विनियमन, विदेशी व्यापार नीति, मुद्रा विनियमन दर एवं भुगतान व्यवस्था, पूंजी बाज़ार व बैंकिंग क्षेत्र और राजकोषीय एकत्रीकरण से सम्बंधित अनेक सुधार किये गए।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति वर्ष 2011 में जारी की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे- मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12-14% तक बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद निर्माण क्षेत्र में विनिर्माण की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 25% तक बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार सृणित करना।

कोविड-19 के कारण नई सोच

- भारत अभी भी चिकित्सा सम्बंधी उपकरणों एवं औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी तथा रसायनों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर है। महामारी ने हमें कुछ महत्त्वपूर्ण सबक सिखाये हैं, जैसे- आयात पर निर्भरता को कम करना, घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना और आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला बनाना।
- कोविड उपरांत विश्व की औद्योगिक नीति में निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं:
  - विश्व के लिये मेक इन इंडिया- यह हमें किसी भी देश पर निर्भरता को कम करने, थोक दवाओं, बिजली उपकरण, उपभोक्ता समान, रक्षा सम्बंधी उत्पाद आदि के लिये आत्मनिर्भरता विकसित करने में सक्षम करेगा। इसी प्रकार, सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले सभी प्रयासों में रोज़गार-सृजन एक महत्त्वपूर्ण पहलू होना चाहिये।
  - उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख मुद्दा है। अत: गुणवत्ता मानकों व तकनीकी नियमन को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में ही परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना चाहिये।
  - बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना चाहिये, इससे भारतीय उत्पाद विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
  - कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कारोबार में सुगमता की व्यवस्था राज्य सरकारों और ज़िला प्राधिकरणों के दायरे में होनी चाहिये। राज्य सरकारों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे कारोबारी सुगमता के आधार पर ज़िलों का वर्गीकरण करें और उन्हें रैंक प्रदान करें, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद के महत्त्व को दर्शाते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकें।
  - भारतीय उद्योगों को उन्नत प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने और वैश्विक एवं भारतीय नवाचारियों द्वारा विकसित तकनीकों को भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता है। 'उद्योग 4.0' अनेक अवसर प्रदान करता है, जैसे– उत्पादकता में वृद्धि, कम अपशिष्ट और बेहतर कार्य कुशलता। परंतु, इसे अपनाने में लागत और सम्भावित रोज़गार में कमी जैसी चिंताएँ भी हैं। हालाँकि डिजिटलीकरण को अपनाना, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना, मज़बूत डेटा संरक्षण शासन जैसे उपाय सहायक हो सकते हैं।
  - व्यवसाय जगत को कोविड-19 के उपरांत आर्थिक स्थितियों और वास्तविकताओं के अनुरूप नीतियाँ अपनानी होंगी तथा ऐसे उपायों को लागू करना होगा जिससे आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त किया जा सके।

कृषि: अर्थव्यवस्था की तारणहार

पृष्ठभूमि

- कोविड-19 महामारी ने दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर वज्रपात कर दिया है। अपने समकक्ष देशों के बीच भारत को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जी.डी.पी. में 23.9% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा।
- हालाँकि, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एकमात्र सफल क्षेत्र के रूप में उभरीं, जिसमें 3.4% जी.डी.पी. वृद्धि दर देखी गई।
- कृषि रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिये लॉकडाउन के दौरान भी कृषि वस्तुओं और सेवाओं से सम्बंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को कार्य करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, सुधार एवं वित्तीय प्रोत्साहन और किसान हितैषी योजनाओं को भी लागू किया गया। इन प्रयासों से पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ, जैसे– खरीफ फसलों के कवरेज में 5.7% की तीव्र वृद्धि हुई।
- अच्छे मानसून और पर्याप्त जल भंडारण के कारण सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के लिये 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

संरक्षण और ऋण

- लॉकडाउन के दौरान, विपरीत प्रवासन से भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी व मांग में कमी के कारण एक गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा।
- सरकार ने प्रवासी मज़दूर और छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिये तत्काल आर्थिक लाभ के लिये अनेक कदम उठाए। सरकार ने पी.एम. किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए का अग्रिम भुगतान हस्तांतरित किया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS) के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिये मज़दूरी दर को योजना के लिये बढ़ाए गए आवंटन के साथ संशोधित किया गया।
- वंचित वर्ग के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लॉकडाउन के दौरान देखभाल के लिये शुरू की गई थी।
- अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों, जिनमें ज़्यादातर प्रवासी शामिल हैं, को प्रधानमंत्री केयर फंड से भोजन और नकद सहायता प्रदान की गई।
- नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को फसल ऋण आवश्यकता के लिये 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता का विस्तार कर रहा है।
- लगभग 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्वीकृत किये गए जिनसे 25,000 रुपए की ऋण सीमा तक ब्याज की रियायती दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया गया है।
- तीन करोड़ से अधिक किसानों ने तीन महीनों में ब्याज उपार्जन और ऋण स्थगन का लाभ उठाया। समय पर ऋण प्रोत्साहन पैकेज ने किसानों को फसल सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली।
- अपने गृह राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की आजीविका के मुद्दे को हल करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' लॉन्च किया गया था। इस योजना को लॉकडाउन से छह सबसे अधिक प्रभावित राज्यों– बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 ज़िलों में एक मिशन मोड के रूप में लागू किया गया।
- श्रमिक ग्रामीण आवास से लेकर ग्रामीण मंडियों, सड़को और सामुदायिक शौचालय जैसे 25 सार्वजनिक बुनियादी कार्यों में लगे हुए थे।

- इस योजना ने समावेशी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए गाँवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिये भी काम किया।
- प्रवासी श्रमिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार ने 'पी.एम. श्रमिक सेतु पोर्टल' और 'पी.एम. सेतु ऐप' लॉन्च किया है, जो नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल के अनुसार भावी नियोक्ताओं के साथ जोड़ने में मदद करता है।

बुनियादी ढाँचे में निवेश

- कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिये नई केंद्रीय योजना 'कृषि अवसंरचना निधि' शुरू की गई। यह योजना किसानों को उनके गाँवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करेगी तथा कृषि आधारित उद्योग तथा बुनियादी ढाँचे के विकास को सक्षम बनाएगी।
- यह योजना फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे के सृजन और समुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण को उत्प्रेरित करेगी, जैसे- कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, पैक हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयाँ इत्यादि।
- भारतीय रेलवे ने परिवहन आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिये एक विशेष 'किसान रेल' योजना शुरू की। इससे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं, जिनमें दूध, माँस और मछली हैं, के लिये एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी।
- 7 अगस्त, 2020 को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई। सरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर घाट तथा राजा का तालाब में और दिल्ली के आदर्श नगर जैसे व्यवसाय के चुनिंदा क्षेत्रों में ताप नियंत्रित पेरिशबल कार्गो केंद्र स्थापित कर रही है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसान रेल के साथ प्रतिगामी संयोजन के लिये नए स्टार्टअप और नए किसान उतपादक संगठनों को बढ़ावा दे रही है।

सुधार और पुनः प्रवर्तन

- पूर्व में किसान अपनी उपज को कृषि उपज मंडी समिति (APMC) में ले जाने के और बेचने के लिये कानूनी रूप से बाध्य थे। दुर्भाग्यवश ये मंडियाँ स्थानीय एकाधिकार में तब्दील हो गई, जहाँ किसानों को आम तौर पर बिचौलियों द्वारा विभिन्न तरकीबों से धोखा दिया जाता था। भारत सरकार ने तीन अध्यादेशों की घोषणा की जो संसदीय प्रक्रिया के बाद कानून बन गए हैं:
    1. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 कृषि उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के लिये सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया।

       इस कानून से व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त होगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भी सहायक होगा।
    2. दूसरा कानून, किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम, 2020 किसानों को बड़े खरीदारों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, किसानों को बुवाई से पहले कीमत का आश्वासन मिलेगा और बाज़ार के जोखिम अब किसान से प्रयोजक को स्थानांतरित हो जाएंगे।
    3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटाता है जिससे व्यापार में खुलापन आएगा और किसानों तथा व्यापारियों की लाभकारिता बढ़ेगी।
- सरकार ने ज़मीनी स्तर पर किसानों के हितों की रक्षा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ मंडियों को जारी रखने का आश्वासन दिया है।

- अनुबंध खेती के संदर्भ में कानून किसान और व्यापारी के मध्य किसी भी विवाद के समाधान के लिये तंत्र प्रदान करता है। संक्षेप में 'वन नेशन, वन मार्केट' किसानों को अपनी आय को बढ़ाने में मदद करेगा और छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धा से लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

- ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्धारक बन सकता है। साथ ही, तत्काल केंद्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की अधिक विश्वसनीय प्रणाली के साथ-साथ छोटे स्थानीय विकास समूह बनाने के लिये एक-साथ कार्य करना चाहिये।
- इसके अलावा, गाँव से शहरी प्रवसन को रोकने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के उपाय करने चाहिये। साथ ही, कृषि उपज पर आधारित छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

रोज़गार के लिये संकल्प

पृष्ठभूमि

- लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का प्रवास, राज्यों के समक्ष एक अभूतपूर्व चुनौती बनकर उभरा। स्थानीय रोज़गार प्रदान करने के लिये इसने राज्यों की तैयारी पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
- इस चुनौती के मद्देनजर, देश की कई राज्यों की सरकारों ने व्यापक व्यवस्थाओं की घोषणा की है:
- इन उपायों में वापस आए कामगारों और उनके कौशल स्तरों का पंजीकरण करना और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।
- हालाँकि इसके लिये यह आवश्यक है कि रोज़गार की पहचान के लिये जमीनी स्तर पर मजबूत संस्थाओं को स्थापित किया जाए।

श्रमिक परिदृश्य

- भारत में 48 करोड़ 70 लाख कामगार/श्रमिक हैं, इनमें प्रत्येक माह 10 लाख से अधिक श्रमिक शामिल होते हैं। हालाँकि, लगभग दो-तिहाई भारतीय नियोक्ताओं का कहना है कि उन्हें श्रमिकों को खोजने के लिये काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
- विश्व आर्थिक मंच की 'मानव पूंजी विकास रिपोर्ट' में भारत 122 देशों की सूची में 78वें स्थान पर है।
- भारत को इससे बेहतर स्थिति में होना चाहिये क्योंकि यहाँ हाल के वर्षों में अनेक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं।

संकल्प कार्यक्रम

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विश्व बैंक समर्थित संकल्प कार्यक्रम (आजीविका संवर्धन के लिये कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता) को कौशल नियोजन और कार्यान्वयन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये लागू किया गया है।
- वर्तमान में, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण नीति और प्रबंधन की जिम्मेदारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की है और इसे कई संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त है।
- राज्य स्तर पर, लगभग सभी राज्यों में राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) शुरू किये गए थे।
- अधिकांश राज्यों ने अपने कौशल विकास का प्रबंधन करने के लिये अलग से ज़िला कौशल समितियाँ (आमतौर जिन्हें पर डी.एस.सी. कहा जाता है) गठित की हैं।
- कई मामलों में, डी.एस.सी. अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कार्य-योजना नहीं बना सकी हैं क्योंकि इनके पास नेतृत्व के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की कमी है। साथ ही, ज़िला स्तर पर इनकी स्थिति और भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है।

- कई मामलों में, ज़िला कौशल समितियों ने ज़िला कौशल विकास योजना का निर्माण किया है लेकिन वास्तव में उनका योगदान या प्रक्रिया में भागीदारी अस्पष्ट है।
- संकल्प कार्यक्रम ज़िला स्तर की योजनाओं की तैयारी के संदर्भ में ज़िला कौशल समितियों का मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और इन मुद्दों को सम्बोधित करने की कोशिश कर रहा है।

निष्कर्ष

- विकेंद्रीकरण का दायरा डी.एस.सी. से आगे ग्राम पंचायतों तक तार्किक रूप से बढ़ाया जाना चाहिये।
- कौशल नियोजन एवं कार्यान्वयन में सक्रिय ग्राम पंचायतों की सहायता से मज़बूत ज़िला कौशल समितियाँ न केवल कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगी, बल्कि उत्कृष्ट उत्पादकता के लिये उन्नत कौशल के माध्यम से श्रम बाज़ार की गुणवत्ता भी सुधारने में भी सहायक होंगी।

पर्यावरण अनुकूल सड़कें और राजमार्ग

- भारत में कुल 46.99 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं, इनमें से 2% यानी 96,214 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में हैं।
- देश में कुल यातायात का 40% सड़कों से होकर गुजरता है।
- सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों और 40,000 किमी. अतिरिक्त सड़कों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित राजमार्गों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
- इससे अंतर्गत, राजमार्गों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिये सक्रिय उपाय शामिल होंगे। इसी प्रकार का एक उपाय सड़कों के आस-पास हरित पट्टी को विकसित करना है, जो प्रदूषण स्रोतों के आसपास अवरोध के रूप में काम करता है और ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करता है तथा धूलकणों को समेटकर प्रदूषण को नियंत्रित करता है।
- वृक्षारोपण तटबंध ढलानों पर मिट्टी के कटाव तथा रात के समय वाहनों की हेडलाइट से होने वाली चकाचौंध को रोकते हैं और हवा तथा विकिरण के प्रभाव को कम करते हैं।

वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली

- भारत में, परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। वर्ष 2017 में इसके द्वारा कुल अंतिम खपत (TFC) के रूप में 17% ऊर्जा का उपभोग किया गया। इसमें तेल के रूप में ईंधन का हिस्सा 96% था, जबकि प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों का हिस्सा 3% और विद्युत चालित परिवहन का हिस्सा 1% था।
- वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण में तेल वाहनों का हिस्सा 40% है। यह वायु में 40% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 13.5% कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं।
- भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने सम्बंधी सुविधा प्रदान करने के लिये बुनियादी ढाँचा विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्ष 2030 तक 30% वाहनों को विद्युत द्वारा संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- कई नीतियों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत पहलें अपनाई जा रही हैं।
- वर्ष 2020 तक वाहनों की कुल संख्या में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का हिस्सा 20% तक ले जाने का अनुमान है।

हरित राजमार्ग डिज़ाइन की शुरुआत

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सितम्बर 2015 में, 'हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण और अनुरक्षण) नीति-2015' जारी की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास हरित गलियारों का विकास करना है ताकि समावेशी विकास के साथ-साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा की जा सके।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन का गठन किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी हरित राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिये एक नोडल एजेंसी है।
- वृक्षारोपण और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिये एक कोष 'हरित निधि' की भी स्थापना की गई है।

हरित राजमार्ग नीति, 2015 की विशेषताएँ

- वृक्षारोपण व वृक्षों की देखभाल के कार्य मे ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी से लोगों को रोज़गार प्रदान करना।
- वृक्षारोपण के लिये वर्षा, जलवायु तथा मिट्टी के प्रकार जैसी स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखना।
- इस नीति का उद्देश्य सड़कों के किनारे हरित पट्टियाँ बनाकर भू-दृश्य में सुधार की प्रक्रिया में बदलाव लाना है।
- नई नीति में वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों के उत्तरदायित्वों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किये गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित जगह वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है या नहीं। ये एजेंसियाँ पौधरोपण में प्रगति और उसकी स्थिति की नियमित निगरानी करेंगी।
- राजमार्ग परियोजनाओं में हरित पट्टी के विकास के लिये समूची परियोजना लागत का 1% आवंटित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये दिशा-निर्देश

- गाँव की सड़कों के विकास हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर सड़कें बनाने की बात कही गई है।
- इन दिशा-निर्देशों में 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के 50 किमी. के दायरे में सड़कों के निर्माण में कोलतार और हॉटमिक्स के उपयोग को बढाव दिया जा रहा है।

हरित राजमार्ग के लिये इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें

हरित राजमार्गों के विकास की कई विधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं-

जलग्रहण क्षेत्र से बहने वाले जल का प्रबंधन

- वर्षा जल का प्रबंधन कर इसे राजमार्गों की बजाय ऐसे स्थानों की तरफ भेजना जहाँ इसका उपयोग भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने में किया जा सके।
- राजमार्गों के निर्माण में वर्षा जल प्रबंधन के लिये जैव-ढलान, जैव-नालियाँ, बायोरिटेशन सेल, पेड़-पौधों एवं वनस्पतियों वाली फिल्टर पट्टी का निर्माण और वृक्ष लगाने जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी

- उत्सर्जन को घटाने की तकनीकों के अंतर्गत राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में सीमेंट या कोलतार के स्थान पर फ्लाई ऐश, धान की भूसी, ब्लास्ट फर्नेस के कचरे, फाउंड्री की रेत, रबड़ के खराब टायरों और टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है और करीब 6.4 अरब गैलन गैस की सालाना बचत हो सकती है।

- इसी तरह, प्लास्टिक कचरे का उपयोग कोलतार की जगह पक्की सड़कों के विकास में किया जा सकता है। हालाँकि, पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया में काफी ऊर्जा की खपत होती है, तभी कोई वैकल्पिक उत्पाद बन पाता है ।

पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और नवीकरणीय

इसके तहत औद्योगिक उपात्पादों का पुनः प्रयोग गड्ढे भरने व सड़क निर्माण में किया जाता है, इससे ऊर्जा की बचत होती है।

संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन

हरित राजमार्गों में संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रबंधन सम्बंधी कार्यों में वन्यजीवों के लिये सुरक्षित क्षेत्र और अंडरपास का निर्माण करना, जिससे वन्यजीवों की टक्कर/दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके।

- सामाजिक लाभ तीन प्रकार के होते हैं- पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक लाभ जो गैर-ऊर्जा श्रेणी में आते हैं।
- सड़क या राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण अगर गुणवत्ता के उच्च मानदंडों के अनुसार किया गया जाए तो इससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

हरित राजमार्ग मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत

- राजमार्गों का डिज़ाइन तैयार करते समय सतत् विकास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।
- राजमार्गों के निर्माण और इन्हें बनाते समय मोटरवाहनों से होने वाले उत्सर्जन और भूमिगत जल के प्रदूषण, जीव-जंतुओं के पर्यावासों के उजड़ने, भूमि बदलाव, जलवायु परिवर्तन और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन्हें उसे कम-से-कम करना आवश्यक है ।
- हरियाली की सीमा निर्धारित करने के लिये हरित राजमार्ग मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
- हरित बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के बाद राजमार्गों के निर्माण में भी रेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। यह सड़क परियोजनाओं के लिये एक स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष रेटिंग प्रणाली है।

निष्कर्ष

- हरित राजमार्ग पहल के तहत राजमार्गों के विकास हेतु सातत्य पर आधारित मानदंड निर्धारित किये जा सकते हैं।
- सड़कों के निर्माण से रोज़गार के अवसर सृजित कर गरीबी उन्मूलन के उपायों को अपनाया गया है।
- साथ ही, स्थानीय स्तर की क्षमता निर्माण के माध्यम से आय बढ़ाने वाले उपायों को अपनाया गया है।
- जब हरित राजमार्ग और सड़कें सतत् विकास के तीन मुख्य पक्षों यथा- सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों का पालन किया जाएगा तो इससे स्थानीय लोगों को हरित सड़कों को सम्भालने और इनके रखरखाव की प्रेरणा मिलेगी।

स्वामित्व योजना

परिचय

- 'स्वामित्व योजना' राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई थी, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिये नोडल मंत्रालय है ।
- राज्यों में, राजस्व विभाग/भूमि रिकॉर्ड विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जो राज्य पंचायती राज विभाग के समर्थन से इस योजना को आगे बढ़ाएगा।

- भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके कार्यान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी भागीदार (Technology Partner) के रूप में कार्य करेगा।

योजना के उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य, ग्रामीण भारत के लिये एक एकीकृत सम्पत्ति सत्यापन समाधान प्रस्तुत करना है।
- इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें बैंक से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिये सम्पति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
- ग्रामीण नियोजन के लिये सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण ।
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढाँचे और जी.आई.एस. मानचित्र का निर्माण।
- जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना ।
- सम्पत्ति सम्बंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।

योजना का क्रियान्वयन

- प्रायोगिक (पायलट) तौर पर यह योजना 6 राज्यों में शुरू की गई। इन राज्यों के 763 गाँवों के लगभग 1 लाख सम्पतिधारक अब अपना सम्पत्ति कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
- पूरे देश में अगले 4 वर्षों (2020-2024) में चरणबद्ध तरीके से लगभग 6.62 लाख गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा।

लाभ

- इससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
- सम्पत्ति का रिकॉर्ड होने से निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।
- यह योजना ग्राम पंचायतों के लिये ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी।

जल संचय: पहलें और भविष्य की संरचनाएँ

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, भारत जल संकट और खराब स्वच्छता सुविधाओं की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत मे प्रतिवर्ष 140 बी.सी.एम. अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। साथ ही, अपशिष्ट जल का कुप्रबंधन भूजल को भी दूषित करता है।
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कमी तथा खराब स्वच्छता की आदतों के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा दूषित जल-जनित बीमारियों से पीड़ित रहता है।
- असुरक्षित जल और स्वच्छता के कारण प्रति व्यक्ति रोग के प्रभाव का परिणाम वर्ष 2017 में भारत में चीन की तुलना में 40% और श्रीलंका की तुलना में 12% अधिक था।

सरकारी पहलें और कार्यक्रम

- भारतीय संविधान के अनुसार, जल और स्वच्छता का विषय सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है।
- 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (JJM) की शुरुआत हर ग्रामीण घरों में पाइपयुक्त पानी की आपूर्ति के लिये की गई थी।

- इस कार्यक्रम के अनिवार्य तत्त्वों के रूप में संधारणीय उपायों को लागू किया गया है, जैसे कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग, जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन।
- जल जीवन मिशन जल के लिये एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और मिशन के महत्त्वपूर्ण घटकों में व्यापक सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण शामिल होंगे।
- जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से, ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच 18% से बढ़कर 28.41% हो गयी है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने जुलाई 2019 में देश भर में 256 जल अभाव वाले ज़िलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की।
- यह अभियान सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक जन आंदोलन है।
- इसके अंतर्गत 75 लाख से अधिक पारम्परिक तथा अन्य जल निकायों और टैंकों का नवीनीकरण किया गया और एक करोड़ के आसपास जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएँ निर्मित की गई।
- भूजल संरक्षण पर विशेष जोर देने के लिये, वर्ष 2020 के बजट में अटल भुजल योजना (ABHY) को लॉन्च किया गया। यह स्थाई भूजल प्रबंधन की परिकल्पना मुख्यतः विभिन्न चालू योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से करता है। इसमें स्थानीय समुदायों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से मांग के उपायों पर जोर दिया जाता है।
- अटल योजना सूखे से बचाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे चयनित जलाभाव वाले क्षेत्रों में जलवायु के लचीलेपन में सुधार होगा, बेहतर कौशल विकास के माध्यम से बेहतर रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद का अनुसरण करते हुए जीवन के लिये जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) विकसित किया गया है।
- जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन और इसमें सुधार लाने के लिये वार्षिक अभ्यास के रूप में सी.डब्ल्यू.एम.आई. सूचकांक एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
- केंद्र सरकार की इन पहलों के अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिन्होंने स्थानीय जल समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया है। ऐसी कुछ योजनाएँ हैं-महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवहर, राजस्थान में मुखिया जल स्वावलम्बन अभियान, आंध्र प्रदेश में नीरू चेतु, गुजरात में सुजलाम सुफलाम आदि।
- इन पहलों में शामिल 'पंजाब प्रिज़र्वेशन ऑफ सबसॉइल वॉटर एक्ट, 2009' द्वारा धान की नर्सरी की बुवाई और पौध के प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही, किसानों को बिजली और भूजल का उपयोग कम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु "पानी बचाओ, पैसा कामओ" नामक एक स्वैच्छिक योजना शुरू की।

आगे की राह

जल को आर्थिक विकास का हिस्सा बनाना-

- बेहतर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और बेहतर जल संसाधन प्रबंधन देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और गरीबी उन्मूलन में बहुत सहायक होते हैं।
- जल की बेहतर आपूर्ति और स्वच्छता के आर्थिक लाभ निवेश की लागत की तुलना में बहुत अधिक हैं।

बड़े पैमाने पर जल बाज़ार का परिचय–

- यह सही समय है जब जल को सार्वजनिक वस्तु के साथ उच्च मूल्य वाली आर्थिक वस्तु माना जाना चाहिये। हम ऑस्ट्रेलिया से सबक सीख सकते हैं, यहाँ के मरे डार्लिंग बेसिन में सफल जल बाज़ार पाए जाते हैं, जहां जल एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बन गया और जल सिंचाई करने वालों के लिये आय का अतिरिक्त स्रोत भी।

- जल बाज़ारों के तहत, एक वर्ष की समयावधि के लिये, वर्षा और भंडारण स्तरों जैसे कारकों के अनुरूप पात्रता के अनुसार बेसिन अधिकारियों द्वारा जल वितरित किया जाता है। पात्रता धारक जल का प्रभावी और कुशल उपयोग कर सकता है और शेष मात्रा को उन संस्थाओं को बेच सकता है जो जल का अपने आवंटन से अधिक उपयोग कर रहे हैं।

जल निकायों में प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में प्रदूषण कर लगाना–

- जल सुरक्षा की लागत को विभिन्न हितधारकों को वितरित किया जाता है और जो संस्थाएँ व समुदाये जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें इसकी भरपाई के लिये भुगतान करना पड़ता है।
- ये कर या शुल्क न केवल प्रदूषण को कम करते हैं या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि सरकार को राजस्व भी प्रदान करते हैं जो प्रदूषण को कम करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

जल क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन करने के लिये नई रणनीति–

- सरकारें लम्बी अवधि की निवेश परियोजनाओं के लिये जोखिम शमन प्रदान करने पर विचार करें, जिससे जोखिम और सम्बंधित लाभ का उचित आवंटन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्टेट रिवॉल्विंग फंड्स एक स्थाई बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्ष

- ये सभी संरचनात्मक सुधार, यदि चरणबद्ध और विस्तृत तरीके से लागू किये जाते हैं, तो इससे केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के मौजूदा कार्यक्रम और योजनाओं को अपार लाभ मिलेगा।
- ये सरकारी क्षेत्र पर समग्र निर्भरता को कम करेंगे और निवेशकों के लिये क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आकर्षक और लाभदायक बनाएंगे, जो न केवल किसी एक क्षेत्र के लिये बल्कि पूरे देश के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण बिंदु है।

नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रभाव और प्रगति

- गंगा नदी न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान का मुख्य आधार है, बल्कि यह देश की 43% से अधिक आबादी को आर्थिक सहारा, जल और खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है।
- गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिये नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के साथ-साथ इसकी भू-जलीय एवं पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना है।
- एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के माध्यम से इस दिशा में कई एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न मोर्चों पर कार्य किया जा रहा है, उदाहरणस्वरूप- प्रदूषण को कम करना (निर्मल गंगा), पारिस्थितिकी और धारा को सुधारना (अविरल गंगा), नदी से लोगों के जुड़ाव को मजबूत बनाना (जन गंगा) और अलग-अलग तरह के शोध, वैज्ञानिक मानचित्रण और इन चीजों के आधार पर नीतियों का निर्माण (ज्ञान गंगा)।
- नीतियों के निर्माण, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, नियमित निवेश, वैज्ञानिक शोध, ज्ञान प्रबंधन, संस्थागत विकास, बेसिन प्रबंधन के मोर्चे पर समग्र और नए तरीके से काम करने से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्वरूप काफी बेहतर दिखाई दे रहा है ।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 28,854 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 315 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 130 परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं और बाकी पर काम चल रहा है।

प्रदूषण निवारण (निर्मल गंगा)

- इसके तहत प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटने के उपायों पर काम किया जाएगा। इसमें शहरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी ठोस अपशिष्ट, गाँवों की सफाई, खुले में शौच, खेती से जुड़े अपशिष्ट आदि से निपटने की बात की गई है।

सीवेज (नालों) से जुडी आधारभूत संरचना

- गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत शहरों का बिना ट्रीटमेंट वाला अपशिष्ट है। नमामि गंगे के तहत कुल 151 सीवेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ताकि गंगा बेसिन में ट्रीटमेंट क्षमता को अधिकाधिक बढ़ाया जा सके।
- इसके अलावा, इस अभियान के तहत पुरानी आधारभूत संरचना का आकलन किया गया है, ताकि जहाँ भी सम्भव हो, इस व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। नमामि गंगे के लिये पर्याप्त फंड उपलब्ध होने से गंगा के शुद्धीकरण के लिये व्यापक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद मिली है।
- इसके अंतर्गत सीवेज की ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण परियोजनाओं की संख्या 28 से बढ़कर 151 हो गई। अभी तक कुल 51 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है ।
- गंगा नदी में गिरने वाले 80 से भी ज्यादा मुख्य नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (पुराने और नए) तक पहुँचाया गया है। उदाहरण के लिये- हरिद्वार के कसावन नाले, ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर नाले का 140 एम.एल.डी. कचरा अब गंगा नदी में नहीं गिर रहा है।
- इस अभियान के तहत सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना के लिये हाइब्रिड एन्युटी मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम शुरू किया गया है।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पुनर्वास तथा 15 साल तक संचालन और रखरखाव के प्रावधान के लिये एक शहर - एक संचालक (ऑपरेटर) का फॉर्मूला अपनाया गया है। इससे प्रदर्शन मानकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

अपशिष्ट जल का पुनर्प्रयोग

- अपशिष्ट जल एक उपयोगी संसाधन है जिससे ऊर्जा, स्वच्छ जल, आर्गेनिक, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और अन्य संसाधन प्राप्त किये जा सकते हैं। इस जल का प्रयोग कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिये भी किया जा रहा है और बिहार जैसे राज्यों में यह अनिवार्य कर दिया गया है।
- स्वच्छता को टिकाऊ विकल्प बनाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत मददगार साबित हो सकते हैं।

मलयुक्त-गाद प्रबंधन

- सरकार मलयुक्त गाद के लिये अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करने के विकल्प पर विचार कर रही है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने सभी निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में ऐसे गाद के ट्रीटमेंट के लिये भी प्रावधान करने का फैसला किया है। हरिद्वार , कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू है।

औद्योगिक प्रदूषण

- गंगा में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान की गई है।
- हरित तकनीक को बढ़ावा देने व कचरे का उत्पादन कम करने के उद्देश्य से उद्योगों के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं। इससे कई उद्योगों में प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है ।
- इसके अलावा, निगरानी का ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार किया गया है ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम है। इस अभियान में घाटों पर और नदी के आसपास मौजूद ठोस कचरे से निपटने पर फोकस किया गया है। इसमें नदी के किनारों की नियमित सफाई, ठोस कचरे को एकत्र करने के लिये फिल्टर लगाना और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी जैसे उपाय शामिल हैं।

गांवों में स्वच्छता

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे बसे 4,465 गाँवों में लगभग 11 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। गंगा के आस-पास के गाँवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्राथमिकता है।

पानी की गुणवत्ता

- भारत में पहली बार वास्तविक समय में जल की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी प्रणाली प्रस्तुत की गई है। गंगा के आसपास मौजूद 36 स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है, जिसके सकरात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक होनी चाहिये और गंगा नदी का पानी अब इस मानक को पूरा कर रहा है।
- वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले में भी पानी की बेहतर गुणवत्ता देखने को मिली।

पारिस्थितिकी और प्रवाह (अविरल गंगा)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, नदी धारा को बेहतर बनाने और पारिस्थितिकीय प्रवाह के संदर्भ में पहली बार अक्तूबर 2018 में सरकारी अधिसूचना जारी की गई। इसके अंतर्गत, जल सम्बंधी मामलों में औपचारिक रूप से नदी का अधिकार स्थापित किया गया। यह पहल नदियों के पुनरुद्धार का प्रमुख हिस्सा है ।
- गंगा की निर्मलता, अविरलता, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ पर्यटन व जैवविविधता के लिये भी नदी के आस-पास आर्द्र भूमि का होना जरूरी है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये नमामि गंगे मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है।
- **वनीकरण:** गंगा से जुड़े पूरे क्षेत्र में पहली बार वन लगाने के लिये वैज्ञानिक तरीके से योजना तैयार कर इसे लागू किया गया है। इस योजना को वन शोध संस्थान ने तैयार किया है।
- **जैव विविधता का संरक्षण:** गंगा से सटे इलाकों में जैव विविधता के ठिकानों की पहचान और वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न प्रजातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर एक व्यापक परियोजना पर अमल किया जा रहा है। 'डॉल्फिन परियोजना' इसी के अंतर्गत आती है।
- **सतत् कृषि:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खेती के साथ-साथ औषधीय गुणों वाले पौधे लगाने को बढ़ावा दिया जाता है। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधीय पौधारोपण बोर्ड गंगा के किनारे औषधीय गलियारा विकसित करने पर विचार कर रहा है।
- **छोटी नदियों का पुनरुद्धार:** इसके अंतर्गत जिला स्तर पर छोटी नदियों की सूची तैयार कर मनरेगा की मदद से उनका पुनरुद्धार किया जाएगा।

नदी से लोगों का जुड़ाव (जन गंगा)

- नदियों के संरक्षण व पुनरद्धार के लिये जन भागीदारी आवश्यक है। नमामि गंगे मिशन को जन आंदोलन बनाने के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं-
- घाट और शवदाहगृहों पर स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। पटना और हरिद्वार में नदी के किनारे 138 घाट और 38 शवदाहगृह बनाए जा चुके हैं ।
- जन-भागीदारी के लिये समुदाय और सम्बंधित पदों से जुड़े समूह भी बनाए गए हैं, जैसे कि गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, गंगा मित्र, पूर्व सैन्यकर्मियों वाला गंगा टॉस्क फोर्स, एन.सी.सी, एन.एस.एस. आदि।

- गंगा आमंत्रण अभियान के अंतर्गत 35 दिनों की राफ्टिंग (नाव यात्रा) के माध्यम से यह अभियान चलाया गया। देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक रोमांचक खेल के जरिये लोगों को जोड़ने का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन युवाओं और अन्य लोगों को गंगा सफाई अभियान से जोड़ने के लिये कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित करता है, जैसे 'ग्रेट गंगा रन मैराथन'।
- स्कूल/कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिये गंगा पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया।
- गंगा के संरक्षण के लिये स्वच्छ गंगा फंड का निर्माण किया गया।

शोध, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

- मिशन में ठोस प्रमाणों पर आधारित नीतिगत फैसलों और वैज्ञानिक शोध पर आधारित आँकड़ों तथा अन्य जानकारी को प्राथमिकता दी गई है। इससे जुड़ी कुछ पहलें निम्नलिखित हैं-
- **लिडार मैपिंग :** लिडार (Lidar) का इस्तेमाल करके गंगा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले डी.ई.एम. और जी.आई.एस. डाटाबेस तैयार करने के लिये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक परियोजना पर काम हो रहा है। इससे परियोजना निर्माण, उसकी निगरानी, नियमन आदि की बेहत्तर व्यवस्था हो सकेगी।
- **सूक्ष्मजीव विविधता मानचित्रण:** नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सी.एस.आई.आर-एन.ई.ई.आर.आई. के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता और गाद का अध्ययन किया जा रहा है ।
- गैर-लाभकारी संस्था आई.एन.टी.ए.सी.एच. (INTACH) गंगा से जुड़ी प्राकृतिक और अन्य तरह की विरासत का सांस्कृतिक मानचित्रण करेगी।
- **जलवायु परिदृश्य मानचित्रण:** गंगा-सिंधु क्षेत्र के मैदानी इलाकों में जलवायु परिदृश्य का अध्ययन करने के लिये मिशन आई.आई.टी. दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है ।
- नमामि गंगे अभियान के तहत, आई.आई.टी. रुड़की और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से झरनों के पुनरुद्धार के लिये परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय भू-भौतकीय शोध संस्थान ने मिलकर एक्विफर मैपिंग (जलीय चट्टानी परत) योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य कौशांबी-कानपुर के दायरे में गंगा-यमुना दोआब वाले क्षेत्र में मृतप्राय हो चुकी धाराओं पर ध्यान केंद्रित करना है ।
- नदियों के किनारे बसे शहरों के लिये जल प्रबंधन नियोजन का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है।
- नदी घाटी प्रबंधन के लिये ज्ञान और तकनीक के आदान-प्रदान हेतु नमामि गंगे मिशन अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जैसे- भारत-यूरोपीय संघ जल सहभागिता।
- नमामि गंगे के अंतर्गत अब अर्थ-गंगा मॉडल विकसित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसमें गंगा से जुड़े इलाकों में आर्थिक विकास को पर्यावरण सम्बंधी सुधार और गंगा के पुनरुद्धार से जोड़ने की बात की गई है।

निष्कर्ष

- लॉकडाउन के दौरान मानवीय गतिविधियाँ नियंत्रित होने के कारण प्रकृति साफ-सुथरी और स्वच्छ हो गई थी। अत: इससे सबक लेते हुए आगे भविष्य में बेहतर नियमन को अपनाना चाहिये।
- बदलाव के लिये लोगों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सतत् विकास की अवधारणा शहरी विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसलिये सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गंगा का पुनरुद्धार बेहद जरूरी है।

- गंगा सभी नदियों का प्रतिनिधित्व करती है तथा यह हमेशा से लोगों को एकजुट करने वाली ताकत रही है। अत: गंगा के पुनरुद्धार में सभी की भागीदारी जरूरी है और सभी लोगों को इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता भी है।

महिलाओं के लिये स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार

- भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय आयु लगभग समान है। पुरुषों के लिये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.46 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिये 69.83 वर्ष है। फिर भी लड़कियों/महिलाओं में मृत्यु दर उच्च है।
- भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण समाज में उनकी स्थिति से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है
- लैंगिक भेदभाव, बेटियों के लिये दहेज का खर्चा जुटाने सम्बंधी चिंताओ के कारण लड़कियाँ या महिलाएँ कुपोषण का शिकार हो जाती हैं।

महिलाओं का खराब स्वास्थ्य: सम्बंधित चिंताएँ

- महिलाओं के स्वास्थ्य से न सिर्फ उनका, बल्कि उनके पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- बीमार स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या जटिल, बहुआयामी और कभी-कभी अनेक पीढ़ियों को प्रभावित करती है।
- कम उम्र की महिलाओं और कुपोषित महिलाओं के शिशुओं का जन्म के समय वजन कम होता है या कम होने की सम्भावना अधिक होती है।
- ग्रामीण महिलाएँ न केवल घरों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि खेती व पशुपालन में भी इनकी भूमिका अहम होती है
- महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और इष्टतम पोषण की स्थिति का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।
- यह समग्र रूप से परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है।

- सतत् विकास लक्ष्य-3 का उद्देश्य, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ावा देना है।
- स्वास्थ्य का उच्चतम मानक प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हालाँकि, लिंग-आधारित भेदभाव इस अधिकार को चुनौती देता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 2018 से 2028 की अवधि को 'सतत् विकास के लिये जल'- अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक घोषित करता है।

प्रयास

- वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) को स्वास्थ्य प्रणालियों को समग्र रूप से आकार देने में सरकार की भूमिका को स्पष्ट, मज़बूत और प्राथमिकता देने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था।
- एन.एच.पी. ने समन्वित कार्रवाई के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जो निम्लिखित हैं-
  - स्वच्छ भारत अभियान।
  - संतुलित, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम।
  - तम्बाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को संबोधित करना।
  - निर्भया नारी-लिंग हिंसा के खिलाफ कार्यवाही।

- ❖ कार्य-स्थल पर तनाव को कम करना और सुरक्षा में सुधार।
- ❖ घरों के अंदर और बाहर प्रदूषण को कम करना।

- स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह गुणवत्ता सुधार पहल), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि शामिल हैं।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सतत् विकास लक्ष्यों, विशेषकर एस.डी.जी-6.2 का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य पर्याप्त और समान रूप से स्वच्छता और आरोग्य की सुविधाओं तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- मासिक धर्म सम्बंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS) शुरू की गई थी।
- इसके अंतर्गत, उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि इनका उपयोग सुरक्षित व इनका निपटान पर्यावरण के अनुकूल भी हो।
- सबला कार्यक्रम महिलाओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पर बल देता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के प्रमुख घटकों में एनीमिया मुक्त भारत, ग्राम-स्वास्थ्य शिविर का संगठन, पोषण दिवस के साथ-साथ स्वच्छता और पोषण दिवसों का आयोजन (मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये) फोलिक एसिड एवं कैल्शियम सप्लीमेंट और आयोडीन युक्त नमक के सेवन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (एन.आई.पी.आई.) कार्यक्रम के तहत आयरन की कमी या एनीमिया पर नियंत्रण के लिये आयरन और फोलिक एसिड की पूरी खुराक दी जा रही है।
- माता और शिशु निगरानी प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना है।

गैर-संचारी रोगों के लिये कार्यक्रम

इनमें राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वक्ष रोग व हृदयघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शामिल हैं।

स्वच्छ नागरिक अभियान

- यह स्वास्थ्य के लिये एक सामाजिक आंदोलन है, जो प्राथमिकता प्राप्त उपर्युक्त क्षेत्रों में संकेतक और उनकी स्थापना की सिफारिश करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - लक्ष्य

- जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन
  - ❖ वर्ष 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करें।
  - ❖ वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना।

उम्र के अनुसार या कारण के अनुसार मृत्यु दर

- वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को मौजूदा स्तरों से घटाकर 100 कर दिया जाए।
- वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना।
- नव-नवजात मृत्यु दर को 16 तक कम करना और मृत शिशु जन्म दर को 2025 तक एक अंक की संख्या तक सीमित करना।

रोग प्रसार में कमी

- 2020 तक एच.आई.वी. /एड्स के लिये 90 : 90 : 90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना और एच.आई.वी. के साथ रहने वाले सभी लोगों में से 90% को एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी मिलना।
- हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह या पुरानी बीमारी से से असमय मृत्यु की दर को वर्ष 2025 तक 25% कम करना।
- वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की स्थिति को प्राप्त करना।
- कुष्ठ रोग उन्मूलन को वर्ष 2018 के लक्ष्य और स्थिति को बनाए रखना।
- अंधता के प्रकोप को वर्ष 2025 तक 0.25/1000 के स्तर पर बनाए रखना।

स्वास्थ्य प्रणाली का कार्य निष्पादन/स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा

- वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तरों में 50% की वृद्धि करना।
- प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज को वर्ष 2025 तक 90% से अधिक करना।
- वर्ष 2025 तक परिवार नियोजन की जरूरतों को राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय स्तर पर 90% से अधिक के स्तर पर पहुँचाना।
- घरेलू देखभाल के तहत ज्ञात उच्च रक्तचाप और मधुमेह के 80% रोगियों की बीमारी पर नियंत्रण की स्थिति को वर्ष 2025 तक बनाए रखना।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे :

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124	पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	Website: www.sanskritiIAS.com Follows us on: YouTube

11 तथ्यः एक नज़र में

- प्रधानमंत्री द्वारा नवम्बर 2020 में जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली (जैतपुरा) में 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण किया गया। अष्टधातु से निर्मित इस प्रतिमा की ऊँचाई 151 इंच है।
- नागर विमानन मंत्रालय एवं नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को ड्रोन की तैनाती व उपयोग करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।
- 17 नवम्बर को रूस की अध्यक्षता में सम्पन्न 12वें ब्रिक्स वर्चुअल सम्मलेन के दौरान ब्रिक्स महिला गठबंधन (BRICS Women's Alliance) का आयोजन किया गया।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'लीलावती अवार्ड-2020' की शुरुआत की गई। यह महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक नवोन्मेषी शिक्षा कार्यक्रम पहल है।
- सिक्किम के बाद लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि वाला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।
- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) की महानिदेशक सुनीता नारायण को वर्ष 2020 का एडिनबर्ग मेडल प्रदान किया गया है। एडिनबर्ग मेडल प्रत्येक वर्ष उन महिलाओं व पुरुषों को दिया जाता है, जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मानवता की समझ व कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- हाल ही में, हरिकेन इओता (Iota) मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से टकराया। अटलांटिक हरिकेन का मौसम जून से नवम्बर तक होता है जो अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को कवर करता है, जबकि पूर्वी प्रशांत तूफान का मौसम मई के मध्य से नवम्बर तक होता है।
- हाल ही में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान 'निवार' (NIVAR) तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से टकराया। 'निवार' नाम ईरान ने दिया है, जिसका अर्थ 'रोकथाम करना' होता है।
- बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन के कारण उत्पन्न चक्रवाती तूफान 'बुरेवी' ने कन्याकुमारी के तट पर दस्तक दी। हालाँकि, चक्रवात निवार द्वारा निर्मित समुद्रीय उद्वेलन के कारण इसकी तीव्रता कम रही। 'बुरेवी' नाम मालदीव द्वारा दिया गया है।.
- सी-डैक के राष्ट्रीय सुपर-कम्प्यूटिंग मिशन (NSM) के अंतर्गत बने उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (HPC-AI) सुपर कम्प्यूटर परम सिद्धी को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन-डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्यूटर प्रणालियों में 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (गाँधीनगर) में प्रधानमंत्री ने मोनोक्रिस्टलाइन (Monocrystalline) सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के उत्पादन संयंत्र और जल प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्ठता केंद्र की आधारशिला रखी।
- 18 नवम्बर, 2020 को तीसरा 'प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' (Naturopathy Day) मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी 'नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट' के आजीवन सदस्य बने थे। गांधी जी को भारत में नेचुरोपैथी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यूरोप की यह चिकित्सा पद्धति काफी हद तक उनके प्रयासों से ही भारत में लोकप्रिय हुई। 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी' पुणे में स्थित है।

- 19 नवम्बर को 'विश्व शौचालय दिवस' मनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 'स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण' के तहत स्वच्छता में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले 11 राज्यों के 20 ज़िलों को पुरस्कृत किया।
- न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास 'शग्गी बेन' (Shuggie Bain) के लिये दिया गया है।
- मैन बुकर पुरस्कार, 2020 के लिये दुबई की रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोशी को उनके पहले उपन्यास 'बंर्ट शुगर' (Burnt Sugar) के लिये अंतिम छः में चुना गया था। हालाँकि वे पुरस्कार जीतने में विफल रहीं।
- प्रधानमंत्री ने 22 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (India-Thailand Coordinated Patrol : Indo-Thai CORPAT) का 30वाँ संस्करण 18 से 20 नवम्बर 2020 तक आयोजित किया गया। दोनों नौ-सेनाएँ वर्ष 2005 से साल में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ-साथ हिंद महासागर में इसका आयोजन कर रही हैं।
- हाल ही में, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन पहल ई-संजीवनी ने 9 लाख परामर्श पूरे किये हैं। 'ई-संजीवनी' और 'ई-संजीवनी ओ.पी.डी. प्लेटफॉर्म' के माध्यम से सबसे ज़्यादा परामर्श देने वाले शीर्ष तीन राज्यों में क्रमशः तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा पंजाब के कपूरथला ज़िले के फगवाड़ा में सुखजीत मेगा फूड पार्क का शुभारम्भ किया गया।
- वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक कहे जाने वाले श्री फकीर चंद कोहली का देहावसान हो गया।
- भारत ने लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को हरित ऊर्जा आधारित बनाने का लक्ष्य रखा है।
- हाल ही में, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित संसद डॉ. गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में शपथ ली।
- प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के टीके के उत्पादन से सम्बंधित तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में 'पुणे स्थित भारतीय सीरम संस्थान', 'अहमदाबाद स्थित जाइडस बायोटेक पार्क' और 'हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक सुविधा केंद्र' का दौरा किया।
- 93वें ऑस्कर अवार्ड (एकडमी) के लिये भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री मलयालम भाषा की फीचर फिल्म 'जल्लीकट्टू' होगी।
- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा/राष्ट्रीय जलमार्ग- 40) पर 'रामायण क्रूज़ टूर' सेवा की शुरूआत की जाएगी। विदित है कि अयोध्या हिंदुओं के लिये सात सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों (मोक्षदायिनी सप्त पुरी) में से पहला है।
- ए.डी.बी. और भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मज़बूत करने के लिये 132.8 मिलियन डॉलर के ऋणपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थ रोधी कार्यकारी समूह की बैठक का शुभारम्भ किया।

- ए.डी.बी. और भारत ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिये 50 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किये।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (IAIS) की सदस्यता प्राप्त हुई है।
- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से कार्यबल का गठन किया गया।
- यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- जो बाइडन (डेमोक्रेटिक पार्टी) अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।
- भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उप-राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं।
- क्रिस गोपालकृष्णन को भारतीय रिज़र्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' (A Promised Land) नामक किताब का विमोचन किया है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

पेन ड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे :

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: